रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 1973/वैशाख 29, 1895
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 1973/VAISAKHA 29, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं ।

General Statutory Rules (including orders, by-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च 1973

सा.का. नि. 507.—भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपनियम (2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 39 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग में लिये गये भारतीय वन सेवा के सदस्य श्री आर. डी. रावल को 25 जनवरी 1971 से इस सेवा के हिमाचल प्रदेश संवर्ग आवंटित करती है ।

[सं 3/47/71-अ भा से (4)(i)]

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1973

G.S.R. 507 —In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 39 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970) and sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 the Central Government hereby allocates Shri R. D. Rawal, a member of the Indian Forest Service borne on the cadre of the Union Territories, to the Himachal Pradesh Cadre of that Service, with effect on and from the 25th January, 1971.

[No. 3/47/71-AIS(IV) (i)]

आदेश

सा. का. नि. 508.—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 82 उपधारा (2) तथा भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करके एतद्द्वारा निदेश देती है कि श्री आर. डी. रावल जो भारतीय वन सेवा के सदस्य हैं और जिन्हें पहली नवम्बर, 1966 के तत्काल पूर्व से इस सेवा के पंजाब संवर्ग में लिया गया है, उसी दिन से ही इस सेवा के राज्य क्षेत्र संवर्ग में आवंटित किये गये समझे जाएंगे ।

[सं. 3/47/71-अ. भा. से. (4)(2)]

एम. आर. भारद्वाज, अवर सचिव

ORDER

G.S.R. 508.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 82 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966) and sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 and in consultation with the State Government concerned, the Central Government hereby directs that Shri R. D. Rawal, a member of the Indian Forest Service and borne immediately before the 1st day of November, 1966, on the Punjab Cadre of the Service shall, as with effect from and on that day, be deemed to have been allocated to the Union Territories Cadre of the said Service.

[No. 3/47/71-AIS(IV) (ii)]

M. R. BHARDWAJ, Under Secy

नई दिल्ली, 7 मई, 1973

सा. का. नि. 509.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (दूसरा) संशोधन) नियम, 1973 कहे जाएंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 में—

(1) नियम 13 में प्रत्येक उप-नियम (2) और (7) के अन्तर्गत विद्यमान परन्तुकों के बाद निम्नलिखित परन्तुक और अन्तर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तुक यह और कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के मामलों के संबंध में आरक्षण उन अनुदेशों के अनुसार किए जाएंगे जो समय-समय पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी किए जाएं" ।

(2) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के ग्रेडों के लिए चयन सूचियों को बनाने और रखने के लिये विनियमों की चतुर्थ अनुसूची में वरिष्ठता से संबंधित उप-शीर्ष "खण्ड-सहायक ग्रेड" के अन्तर्गत पहले पैरे के नीचे और विनियम 3 के ऊपर आने वाली टिप्पणी को "टिप्पणी 2" संख्यांकित की जाएगी और इस प्रकार संख्यांकित किए जाने के पहले निम्नलिखित टिप्पणी अन्तर्विष्ट की जाएगी अर्थात् :—

"टिप्पणी 1—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों के मामलों पर विचार करते समय आरक्षण उन अनुदेशों के अनुसार किए जाएंगे जो समय-समय पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी किए जाएं ।"

[सं. 1/6/72-के. से.]

एस. के. वासुदेवन, अवर सचिव

New Delhi, the 7th May, 1973

G.S.R. 509.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Service Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Service (Second Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Service Rules, 1962,—

(i) in rule 13, under each of the sub-rules (2) and (7) after the existing provisos, the following further proviso shall be inserted, namely—

"Provided further that while considering the cases of officers belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, reservation shall be made in accordance with such instructions as may be issued by the Department of Personnel and Administrative Reforms in the Cabinet Secretariat from time to time."

(ii) in the Fourth Schedule containing Regulations for the constitution and maintenance of the Select Lists for the Section Officers' and Assistants' Grades of the Central Secretariat Service, under the sub-heading "B-ASSISTANTS' GRADE", the Note occurring below the first paragraph and above regulation 3, relating to seniority may be renumbered, as "Note 2" and before that Note as so renumbered, the following Note shall be inserted, namely—

"Note 1.—While considering the cases of officers belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, reservation shall be made in accordance with such instructions as may be issued by the Department of Personnel and Administrative Reforms in the Cabinet Secretariat from time to time."

[No. 1/6/72-CS(I)]

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मई, 1973

सा. का. नि. 510.—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ) नियम, 1958 में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) इन नियमों को अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1973 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16 क के उपनियम (4) के खण्ड (ख) में,

(1) "बारह मास" शब्दों के स्थान पर,

"चौबीस मास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(2) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा अर्थात् :—

"परन्तु यह कि जहां केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट हो कि चौबीस मास की उक्त अवधि में सेवा के किसी सदस्य की जन्मतिथि का निर्धारण करना व्यवहार्य नहीं है तो वह लिखित रूप में अभिलेखबद्ध कारणों के आधार पर उक्त अवधि को उतनी अवधि के लिये आगे बढ़ा सकती है जितनी वह उपयुक्त समझे ।"

[सं. 29/27/71-अ. भा. से. (2)]

एस. हबीबुल्लाह, अवर सचिव ।

New Delhi, the 10th May, 1973

G.S.R. 510—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 3 of the All-India Services Act, 1951, (61 of 1951) the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned hereby makes the following rules further to amend the All-India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the All-India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All-India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, in rule 16A, in clause (b) of sub-rule (4),

(i) for the words "twelve months", the words "twenty-four months" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

"Provided that where the Central Government is satisfied that it is not practicable to determine the date of birth of a member of the Service within the said period of twenty-four months, it may, for reasons to be recorded in writing, extend the said period by such further period as it may think fit."

[No. 29/27/71-AIS(II)]

S. HABEEBULLAH, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मई, 1973

सा. का. नि. 511.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिन्दी अनुवादक, श्रेणी 1 (गृह मंत्रालय) प्रशासनिक सुधार विभाग, भर्ती नियम, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम हिन्दी अनुवादक, श्रेणी 1 (गृह मंत्रालय) प्रशासनिक सुधार विभाग, भर्ती (संशोधन) नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. हिन्दी अनुवादक, श्रेणी 1 (गृह मंत्रालय) प्रशासनिक सुधार विभाग, भर्ती नियम, 1972 में—

(1) नियम 2 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्

"परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए साधारण आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों की दशा में शिथिल की जा सकेगी ।

(2) नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

5. "व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।"

[सं. ए-12018/1/71-ए.आर (प्रशा.)]

एम. एल. सम्पतकुमारन, अवर सचिव ।

New Delhi, the 10th May, 1973

G.S.R. 511—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Hindi Translator, Grade I (Ministry of Home Affairs), Department of Administrative Reforms Recruitment Rules, 1972, namely:—

1. (1) These rules may be called the Hindi Translator, Grade I (Ministry of Home Affairs) Department of Administrative Reforms Recruitment (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hindi Translator, Grade I (Ministry of Home Affairs) Department of Administrative Reforms Recruitment Rules, 1972:—

(1) to rule 2, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the upper age limit specified in Column 6 of the said Schedule for direct recruitment may be relaxed in the case of candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders issued from time to time by the Central Government.",

(2) after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:—

"5 **Saving**:—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard."

[No. A-12018/1/71-AR(Admn.)]

M. L. SAMPATHKUMARAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, इलाहाबाद

कारण निदर्शन सूचना

(उस किसी भी व्यक्ति को जिससे यह संबंधित हो)

इलाहाबाद, 4 मई 1973

सा. का. नि. 512.—चूंकि संलग्न अनुबंध में उल्लिखित आरोपों में निर्दिष्ट वस्तुएं सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 के अंतर्गत जब्त करने योग्य प्रतीत होती हैं ।

और चूंकि संबंधित मालिक उक्त अनुबंध में निहित आरोपों को ध्यान में रखते हुए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 के अंतर्गत दण्डनीय प्रतीत होता है ।

अतएव, अब, संबंधित मालिक से एतद्द्वारा यह अपेक्षित है कि वह इस सूचना के जारी किए जाने के दिनांक से एक माह के अन्दर, समाहर्ता, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, 38 महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद को इस मामले में स्पष्टीकरण दें तथा कारण बताएं कि अनुबंध में उल्लिखित वस्तुएं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 के अंतर्गत क्यों न जब्त कर ली जायं और उसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 112 के अंतर्गत क्यों न दंडित किया जाय ।

संबंधित मालिक कारण बताते समय वे सभी साक्ष्य भी प्रस्तुत करें जिनका आश्रय वह अपने प्रतिवाद के समर्थन में लेने का इरादा रखता हो । उसे अपने लिखित स्पष्टीकरण में यह भी बताना चाहिए कि क्या वह मामले के अधिनिर्णीत होने से पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर का उपयोग करना चाहेगा । यदि लिखित स्पष्टीकरण में, इस संबंध में कोई उल्लेख न होगा तो यह समझा जायगा कि वह व्यक्तिगत सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं है ।

यदि इस सूचना के जारी किए जाने के एक माह के भीतर प्रस्तावित कार्यवाही किए जाने के विरुद्ध कोई कारण नहीं बताया गया अथवा संबंधित मालिक की सुनवाई के लिए जो तारीख निश्चित की जाय, उस समय अधिनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तो मामले के गुण-दोष के आधार पर (उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर) एक-पक्षीय निर्णय लिया जायगा ।

अनुबंध

दिनांक 31-10-72 को सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क उन्नाव के अधिकारियों को यह सूचना मिली कि विदेशी पालचीनी के सात बंडलों का एक परेषण (कन्साइनमेन्ट) जिसकी तौल 351 कि. ग्राम (सकल भार) और जिसका मूल्य 52,500 रु. है, रेलवे स्टेशन माल गोदाम, मगरवारा में पड़ा हुआ है । उक्त माल गोरखुला रेलवे स्टेशन (बिहार) से भेजा गया था और गोरखुला रेलवे स्टेशन (बिहार) में प्राप्त परेषण नोट में परेषक (कन्साइनर) श्री राजेन्द्र प्रसाद और परेषिती (कन्साइनी) श्री राम प्रसाद के नाम थे और माल का नाम तेज मसाला था । रेलवे के रिकार्डों को देखने और उन्हें जांचने पर यह सुनिश्चित किया गया कि परेषण (कन्साइनमेंट) 5-10-72 को सील किए हुए वैगन नं. एस. ई. 54405 में प्राप्त हुआ था और इसके साथ कानपुर अनवरगंज से रेलवे द्वारा लादने उतारने या बीजक का कोई मेमो प्राप्त नहीं हुआ था । इन सातों बंडलों पर "3/7 गोरखला से मगर वारा" (3/7 जीकेएल टू एमजीडब्ल्यू) मार्क थे । इसलिए यह परेषण 1-11-72 को रोक लिया गया और आयात नियंत्रण आदेश 1955 (1970 तक यथा संशोधित) के साथ पठित आयात और निर्यात अधिनियम, 1947 की धारा 3(1) के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंधों के उल्लंघन में लावारिस (अनक्लेम्ड) माल के रूप में तारीख 24-11-72 को पकड़ (सीज कर) लिया गया ।

बाद की पश्चवर्ती कार्यवाही और जांच से यह मालूम हुआ कि उक्त माल नेपाल से भारत में चोरी छिपे लाया गया अथवा कलकत्ता सीमा शुल्क सीमा(बार्डर) से नेपाल ले जाए जाने के बजाय इसकी दिशा भारत की ओर कर दी गई । आगे यह भी मालूम हुआ कि परेषक और परेषिति के नाम निश्चित रूप से फर्जी थे ।

उक्त परेषक श्री राजेन्द्र प्रसाद और परेषिति श्री राम प्रसाद के बारे में मगरवारा अथवा कानपुर में कोई पता नहीं चल सका ।

उक्त माल को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 के अंतर्गत, इस यथोचित विश्वास के साथ पकड़ (सीज कर) लिया गया कि उसे अधिसूचना सं. 76/एफ एम 80/83/65-एल. सी.-1 दिनांक 19-5-65 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए नेपाल से चोरी छिपे भारत में लाया गया है ।

उक्त माल के मालिक ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11-सी, 11-डी और 11-ई का भी उल्लंघन किया है ।

[पत्र सं. VIII(10) सी. शु.-अधि. नि.-2/73]

सिद्धार्थ काक, सहायक समाहर्ता (निवारक)
कृते समाहर्ता

MINISTRY OF FINANCE

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

NOTICE TO SHOW CAUSE

(To whomsoever it may concern)

Allahabad, the 4th May, 1973

G.S.R. 512.—Whereas the goods referred to in the allegations enumerated in the enclosed annexure appear to be liable to confiscation under Section 111 of the Customs Act, 1962.

And whereas the owner concerned in view of the allegation contained in the said annexure appears to be liable to penalty under Section 112 of the Customs Act, 1962.

Now, therefore, the owner concerned is hereby required to explain the matter and to show cause to the Collector of Customs and Central Excise 38, M. G. Marg, Allahabad, within one month of the date of the issue of this notice why the goods mentioned in annexure should not be confiscated under Section 111 of the Customs Act, 1962 and why he should not be penalised under Section 112 of the Customs Act, 1962.

The owner concerned should also produce at the time of showing cause all the evidence upon which he intends to

rely in support of his defence. He should also indicate in the written explanation whether he would like to avail of the opportunity to be heard in person before the case is adjudicated. If no mention is made about this in his written explanation, it would be presumed that he does not desire a personal hearing.

If no cause is shown against the action proposed to be taken within one month of the issue of this notice, or the owner concerned does not appear before the adjudicating officer when the case is posted for hearing the case will be decided *ex-parte* on its own merits.

ANNEXURE

On 31-10-1972 Customs and Central Excise Officers Union received an information that a consignment of 7 bundles of foreign "Cinnamon" (Dalchini) weighing 351 kgs. (gross weight) valued at Rs. 52,500/- was lying at the Railway Station Goods Shed, Magarwara. The goods were booked from Gokhula Railway Station (Bihar) with the name of consignor Shri Rajendra Prasad and consignee Shri Ram Prasad as Taj Masala as per forwarding note received at Gokhula Railway Station (Bihar). On perusal and examination of the Railway records it was ascertained that the consignment was received in sealed wagon No. NE 54405 on 5-10-1972 without any Railway loading and unloading or any invoice memo received from Kanpur Anwar Ganj. The marking on all the seven bundles bear 3/7 Gokhula to Magharwara (3/7-GKA to MGW). As such the consignment was detained on 1-11-1972 and seized on 24-11-1972 as unclaimed in contravention of restrictions imposed under Section 3(1) of the Import and Export Control Act, 1947 read with the Import Control orders 1955 (as amended up to 1970).

On further follow up action and investigations it is revealed that the goods were smuggled from Nepal to India or diverted to India instead of finding its way to Nepal from Calcutta Customs border. It was further revealed that the names of consignor and consignee was invariably fictitious.

Shri Rajendra Pd. the consignor and consignee Shri Ram Prasad of the above consignment could not be traced out either at Magharwara or at Kanpur.

The above goods were seized under Section 110 of the Customs Act, 1962 in the reasonable belief that these have been smuggled from Nepal into India in contravention of the provisions of Notification No. 76/F. No. 80/83/65-LCI dated 19-6-1965 and Section 11 of the Customs Act, 1962.

The owner of the goods has also contravened the provisions of Section 11C, 11D, and 11E of the Customs Act, 1962.

[C. No. VIII(10) Cus.-Adj-2(73)]
S. KAK, Asstt. Collector Prev.
for Collector

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली 30 अप्रैल, 1973

सा. का. नि. 513.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार कल्याण विभाग की अधिसूचना सं. सा. का. नियम 494 दिनांक मार्च 21, 1970 के अधीन प्रकाशित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त और पिछड़े वर्गों के कल्याण के महानिदेशक (श्रेणी 1 और श्रेणी 2 अनुसंधान एवं मूल्यांकन पद) नियुक्त नियम 1970 को और संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त और पिछड़े वर्गों के कल्याण के महा निदेशक (श्रेणी 1 और श्रेणी 2 अनुसंधान एवं मूल्यांकन पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1973, के नाम से पुकारा जाय ;

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त और पिछड़े वर्गों के कल्याण के महा निदेशक (श्रेणी 1 और 2 अनुसंधान एवं मूल्यांकन पद) भर्ती नियम, 1970 की सूची में,

(1) निम्नलिखित पदों के संबंध में क्रम संख्या 1 के सामने (क) क्षेत्रीय निदेशक, पिछड़े वर्गों का कल्याण, और (ख) अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के उपायुक्त ,

(1) कालम 2 प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

पदोन्नति

नियमित आधार पर अपने ग्रेड में नियुक्ति के बाद 10 वर्ष की सेवा वाले पिछड़े वर्गों के कल्याण के उप निदेशक ।

प्रतिनियुक्ति.—भारत सरकार में उप सचिव की नियुक्ति के पात्र भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय सीमांत प्रशासन सेवा और केन्द्रीय सेवा श्रेणी 1 के उपयुक्त अधिकारी ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी),

(2) पिछड़े वर्गों के कल्याण के उप निदेशक के संबंध में क्रम संख्या 2 के सामने, (1) कालम 6 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"**40 वर्ष.**—(सरकारी कर्मचारियों के संबंध में छूट दी जा सकती है ।)"

(2) कालम 7 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ; अर्थात् —

अनिवार्य.—

(1) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष स्तर की संस्था से समाज कार्य या समाज विज्ञान या समाज मानव-विज्ञान या समाज मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि ।

(2) समाज कल्याण संगठन के नियोजन या विकास कार्य में लगभग 7 वर्ष का अनुभव ।

(अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में आयोग के विवेक पर योग्यताओं के संबंध में छूट दी जा सकती है) ।

वांछनीय.—

(1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कल्याण से संबंधित समस्याओं की पर्याप्त जानकारी हो ।

(2) रिपोर्ट तैयार करने/सांख्यिकीय प्रणालियां तैयार करने का अनुभव हो ।

(3) कालम संख्या 10 में प्रविष्टि 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात् :—

"50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ;

25 प्रतिशत स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ऐसा न हो सकने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा ,

25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।"

(4)) कालम 11 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ; अर्थात् —

पदोन्नति.—नियमित आधार पर अपने ग्रेड में नियुक्ति के बाद 6 वर्ष की सेवा वाले अनुसंधान अधिकारियों या विश्लेषक (कल्याण सांख्यिकी) ।

स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति.—केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के अधीन समान पदों पर कार्य कर रहे या रु. 400—950 के वेतन मान के पदों पर कम से कम 5 वर्ष की सेवा वाले या समकक्ष और समाज कल्याण कार्य के नियोजन या विकास का अनुभव वाले अधिकारी ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

[सं. 3/3/71-अनु. जा. ज. (1)]

ओ. आर. श्रीनिवासन, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th April, 1973

G.S.R. 513.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Director General, Backward Classes Welfare (Class I and II Research and Evaluation posts) Recruitment Rules, 1970, published with the Notification of the Government of India, in the Department of Social Welfare No. G.S.R. 484 dated the 21st March, 1970, namely :—

1. (1) These rules may be called the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Director General, Backward Classes Welfare (Class I and II Research and Evaluation posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1973,—

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Director General, Backward Classes Welfare (Class I and II Research and Evaluation posts) Recruitment Rules, 1970,—

(1) against serial number 1 relating to the posts of

(a) Zonal Director, Backward Classes Welfare; and

(b) Deputy Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes,—

(i) for the entry in column 11, the following entry shall be substituted, namely:—

Promotion

"Deputy Directors, Backward Classes Welfare with 10 years service in the grade, rendered after appointment thereto on a regular basis.

Deputation

Suitable officers of the I.A.S., I.F.A.S. and Central Services Class I eligible for appointment as Deputy Secretary to the Government of India.

(Period of deputation—ordinarily not exceeding 4 years)";

(2) against serial number 2 relating to the post of Deputy Director, Backward Classes Welfare,—

(i) for the entry in column 6, the following entry shall be substituted, namely:—

"40 years

(relaxable for Government servants)";

(ii) for the entry in column 7, the following entry shall be substituted, namely:—

"Essential

(i) Master's degree in Social Work or Sociology or Social Anthropology or Social Psychology of a recognised University or equivalent.

(ii) About 7 years experience of work in planning or development of social welfare organisation.

(Qualifications relaxable at Commissions discretion in case of candidates otherwise well qualified).

Desirable

(i) Adequate acquaintance with problems relating to the welfare of Scheduled Castes/Tribes.

(ii) Experience of drafting reports/statistical methods.";

(iii) for the entry in column 10, the following entry shall be substituted, namely:—

"50 per cent by promotion;

25 per cent by transfer or deputation, failing which by direct recruitment;

25 per cent by direct recruitment.".

(lv) for the entry in column 11, the following entry shall be substituted, namely:—

"Promotion

Research Officers or Analysts (Welfare Statistics) with 6 years service in the grades rendered after appointment thereto on a regular basis.

Transfer or deputation

Officers under the Central Government or State Governments holding analogous posts or with atleast 5 years service in posts in the scale of Rs. 400—950 or equivalent and having experience in planning or development of Social Welfare work.

(Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years)."

[No. 3/3/71-SCT (1)]

O. R. SRINIVASAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 मई, 1973

सा० का० नि० 514—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अपराध विज्ञान और न्याय-संबंधी विज्ञान संस्थान में पुलिस-उपाधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते है, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम अपराध विज्ञान और न्याय-संबंधी विज्ञान संस्थान, पुलिस-उपाधीक्षक भर्ती नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

निरर्हताएं—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :— जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** :— इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

गृह मंत्रालय के अपराध विज्ञान और न्याय-सम्बन्धी विज्ञान संस्थान में पुलिस उपाधीक्षक के पद के लिये भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
पुलिस-उपाधीक्षक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा-वर्ग-2 राजपत्रित अननुसचिवीय	400-25-500-30-590—द० रो-30-800-द० रो० 30-830-35-900 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की, दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो तो उस की संरचना	भर्ती करने के किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण** राज्य पुलिस या केन्द्रीय पुलिस बल में समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारी या राज्य या केन्द्रीय पुलिस बल में पुलिस-निरीक्षक जो पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति के लिये अनुमोदित अधिकारी हो या जिसने निरीक्षक की श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष नियमित सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष अनधिक)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 द्वारा यथा अपेक्षित।

[सं. 11/2/72-आई. जी. एफ. एस. (कार्मिक)]

पी. के. जी. कानूनगो, अवर सचिव

New Delhi, the 3 May 1973

G.S.R.514 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Superintendent of Police in the Institute of Criminology and Forensic Science, Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Institute of Criminology and Forensic Science, Deputy Superintendent of Police Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Post Classification and scale of Pay :** The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. **Methods of recruitment Age limit, Qualifications and other matters :** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.

4 **Disqualifications :** No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax**: Where the Central Government is of the opinion that it is necessary of expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**: Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Recruitment Rules for the post of Deputy Superintendent of Police in the Institute of Criminology & Forensic Science (Ministry of Home Affairs)

Name of post	No of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection Post or non-Selection post	Age limit for direct recruits.	Educational & other qualifications required for driect recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Supdt of Police	1	General Central Service Class II Gazetted Non-Ministerial	Rs. 400-25-500-30-590-EB-30-800-EB 30-830-35-900	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age & Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	Not applicable.	Transfer on Deputation.	**Transfer on deputation:-** Officers of the State Police or Central Police Forces who are holding equivalent posts or Inspectors of Police in the State or Central Police Forces who are officers approved for promotion to the posts of Deputy Superintdent of Police or who have put in at least 5 years regular service in the grade of Inspector. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years)	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption) from consultation) Regulations, 1958.

[No. 11/2/72-ICFS (Pers. I)]

P. K. G. KAIMAL Under Secy

नई दिल्ली, 5 मई, 1973

सा. का. नि. 515—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, महानिदेशालय में सहायक वित्तीय सलाहकार के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—इन नियमों का नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, (सहायक वित्तीय सलाहकार) भर्ती नियम, 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 11 तक में विनिर्दिष्ट है :

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति.—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है :

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, महानिदेशक में सहायक वित्तीय सलाहकार के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
सहायक वित्तीय सलाहकार	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग-1 (राजपत्रित)	900-50-1250 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होना	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (100 प्रतिशत)	**प्रोन्नति** — सहायक निदेशक (लेखा) जिसकी नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा हो। **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण** किसी भी संगठित लेखा सेवा अर्थात् भारतीय सम्परीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा या भारतीय रेल लेखा सेवा आदि के काल-वेतनमान अधिकारी। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अनधिक)	वर्ग-1 विभागीय प्रोन्नति समिति।	संघ लोक सेवा आयोग के नियमों के अधीन यथा अपेक्षित

[सं. फा. 2/60/71-स्थापन (सी. आर पी. एफ) (कार्मिक-1)]
पी. पी. खन्ना, निदेशक

New Delhi, the 5th May, 1973

G.S.R. 515.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Financial Adviser in the Directorate General, Central Reserve Police Force, namely :—

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force (Assistant Financial Adviser) Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number, Classification and Scale of Pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. **Method of Recruitment, Age Limit, Qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications, and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 11 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—(a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to this post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Recruitment rules for the post of Assistant Financial Adviser in Ministry of Home Affairs in the Directorate of central Reserve Police Force

Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Asistant Financial Adviser.	1	General Central Services Class I Gazetted.	Rs. 900-50-1250.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Priod of probation if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which U. P. S. C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	By transfer on deputation/promotion	*Transfer on deputation/promotion/* Time scale officers from any of the organised Accounts Services, namely Indian Audit and Accounts Service, Indian Defence Accounts Service or Indian Railway Accounts Service etc., or Accounts/Audit Officers with atleast 8 years service in the grade from any of the organised Accounts Departments, namely Indian Audit and Accounts Department, Indian Defence Accounts Department, Indian Railway Accounts Department etc., Assistant Director (Accounts) in the Central Reserve Police Force with 3 years service in the grade shall also be considered and if the departmental Officer is selected, the post shall be treated to have been filled by promotion. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable.	As required under the Union Public Service commission (Exemption from consultation) Regulations 1958.

[No. F. 2/60/71-Ests(CRPF) (Pers. I]

P. P. KHANNA, Director (Police)

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1973

सा. का. नि. 516.—भारतीय विदेश सेवा, शाखा, 'ख' (भर्ती संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1964 के नियम 13 के उपनियम (2) के खण्ड (1) के साथ पठित नियम 20 का अनुपालन करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग 2 और 3 (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, यथा:—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग 2 और 3 (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) संशोधन विनियम, 1973 कहा जाएगा ।

(2) सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से वह नियम लागू हो जाएंगे ।

भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग 2 और 3 (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1966, में,—

(1) 'शब्द' विदेश मंत्रालय में हटा दिए जाएंगे ।

(2) विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) में 'चयन-सूची बनाने के लिए आयोग द्वारा धारित,' शब्दों के स्थान पर, शब्दों, कोष्ठकों और अंकों सहित निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे—'भारतीय विदेश सेवा, शाखा, 'ख' (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1964 के नियम 13 के उपनियम (2) के खण्ड (1) के अधीन (इन विनियमों में इससे आगे इन्हें उक्त नियम कहा गया है) 'चयन समिति' में शामिल करने के लिए आयोग द्वारा धारित' ।

(3) विनियम 3 के खण्ड (1) में शब्द 'विदेश मंत्रालय में' हटा दिए जाएंगे ।

(4) विनियम 4 में,

(क) खण्ड (1) में शब्द 'निरन्तर' के बाद शब्द 'स्वीकृत' और जोड़ दिया जाएगा और शब्द 'पदों' के स्थान पर शब्द 'श्रेणीयों' रखा जाएगा ।

(ख) खण्ड (2) में जिन दो स्थानों पर संख्या '40' लिखा गया है, उसकी जगह संख्या '45' कर दिया जाएगा और उक्त खण्ड के प्रथम परन्तुक में शब्द, 'विदेश मंत्रालय में' हटा लिए जाएंगे;

(ग) खण्ड (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा :—

(3) शुल्क—वह आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करेगा ;

(घ) नोट 2 हटा दिया जाएगा और इसलिए शब्द और संख्या नोट 1 के स्थान पर शब्द 'नोट' रखा जाएगा यथा:—

(5) उप विनियम (1) और विनियम-7 में, वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, यथा:—

'शर्त यह है कि आयोग, अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित रिक्त स्थानों की उस सीमा तक जो सामान्य मानक के आधार पर ऐसे उम्मीदवारों द्वारा भरी न जा सकती हों, घटाए हुए मानक के आधार पर कर सकता है, किन्तु इस प्रकार के उम्मीदवार सेवा में चुने जाने के लिए उपयुक्त होने चाहिए योग्यता-क्रम में उनकी स्थिति चाहे जो हो ।'

[सं. क्यू (पी. बी.) 578/2/72]

आफताब सेठ, अवर सचिव.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 24th April, 1973

G.S.R. 516.—In pursuance of rule 20, read with clause (i) of sub-rule (2) of rule 13, of the Indian Foreign Service, Branch 'B', (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Ruls 1964, the Central Government, hereby makes, in consultation with the Union Public Service Commission, the following regulations further to amend the Integrated Grades II and III of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B', (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 1965, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Integrated Grades II and III of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B', (Limited Departmental Competitive Examination) Amendment Regulations, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Integrated Grades II and III of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B', (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 1966,—

(i) in the recital invoking the power to make regulations, before the words "Indian Foreign Service", the word "the" shall be inserted, and the words "in the Ministry of External Affairs" shall be omitted;

(ii) in clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 2, for the words "held by the Commission for making the Select List", the words, brackets and figures "held by the Commission under clause (i) of sub-rule (2) of rule 13 of the Indian Foreign Service, Branch 'B', (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964 (hereafter in these Regulations referred to as the said Rules) for inclusion in the Select List" shall be substituted ;

(iii) in clause (i) of regulations 3, the words "in the Ministry of External Affairs" shall be omitted;

(iv) in regulation 4,

(a) in clause (1), after the words "continuous", the word "approved" shall be inserted, and for the word "posts", the word "grades" shall be substituted;

(b) in clause (2), for the figures "40", at the two places where they occur, the figures "45" shall be substituted, and in the first proviso to the said clause, the words "in the Ministry of External Affairs" shall be omitted;

(c) for clauses (3) and (4), the following clause shall be substituted, namely :—

"(3) **Fees.**—He must pay the fees prescribed by the Commission.";

(d) Note-II shall be omitted and consequently for the word and figure "Note I", the word "Note" shall be substituted;

(v) in sub-regulation (1) of regulation 7, for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination."

[No. Q(PB)578/2/72]

AFTAB SETH Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1973

सा०का०नि० 517.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा परिवार नियोजन विभाग के अन्तर्गत परिवार नियोजन प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र बम्बई में वरिष्ठ बैरीटाइपर-व-हेडलाइनर प्रचालक के पद पर भर्ती की प्रणाली को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—

(1) ये नियम परिवार नियोजन प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र, बम्बई (वरिष्ठ बैरीटाइपर-व-हेडलाइनर प्रचालक) भर्ती नियमावली, 1973 कहलायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. लागू होना :—

ये नियम इस के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—

पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की विधि, आयु सीमा, और अन्य अर्हताएं :—

उक्त पद पर भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा, अर्हताये और अन्य बातें वही होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5-13 में निर्दिष्ट है ।

5. अनर्हतायें : कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है जिसका पति या पत्नी जीवित है, अथवा ;

(ख) जिसने एक पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

6. छूट देने की शक्ति :—

जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है वहां वह कारणों को लिखित रूप में रेकार्ड कर के किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से आदेश जारी करके छूट दे सकती है ।

7. अपवाद :—इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विशेष वर्गों के लिये जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है उन पर इन नियमों में विहित किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मान	क्या सेलेक्शन पद अथवा गैर सेलेक्शन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
वरिष्ठ बैरीटाइपर व हेडलाइनर प्रचालक	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी III अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	रु० 210-10-290-15-320-द०रो०-15-425	लागू नहीं होता	18-30 वर्ष	अनिवार्य . (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/ से मैट्रिक पास अथवा समकक्ष अर्हता । (ख) बैरीटाइपर आपरेटर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव और बैरीटाइपर मशीन के विभिन्न मांडलों तथा उनकी यांत्रिक क्रियों का ज्ञान (ग) हेडलाइनर को चलाने तथा उसके रख-रखाव का अनुभव । (घ) विभिन्न 'टाइप फेसज तथा फेमिलीज' का ज्ञान । वांछनीय . (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय का उपाधि । (ख) एक अथवा अधिक क्षेत्रिय भाषा का ज्ञान ।

क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारो के मामले मे सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदो की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्त या स्थानान्तरण किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है।	परिस्थितिया जिनमे भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है।
8	9	10	11	12	13
लागू नही हाता	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता

[स०ए० 12018/9/72–स्थापना–1]
भार०पी० मरवाहा अवर सचिव

New Delhi, the 10 April, 1973

G.S.R. 517. —In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Varity per-cum-Headliner Operator in the Department of Family Planning, namely:—

1. Short title and commencement: (i) These rules may be called the Department of Family Planning (Senior Varityper-cum-Head liner Operator Recruitment Rules, 1973.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application :** These rules shall apply for recruitment to the post as specified in column 1 of the Schedule Annexed to these rules

3. **Number, classification and scale of pay :** The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schecule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc :** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualifications :** No person, - -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the after operation of this rule.

6 **Power to relax:**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

7. Saving: Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-Selection Post.	Age limit for direct recruits.	Education and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Senior Varityper cum-Headliner Operator	One	General Central Service Class III (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs.210-10-290-15-320-EB-15-425	Not applicable	18-30 years.	**Essential :** (a) Matriculation or equivalent qualification from a recognised University or Board. (b) Three years' experience as a varityper Operator with knowledge of various models of varityper machines and their mechanism. (c) Experience of running Headliner machine and its maintenance. (d) Knowledge of various Type Faces and Families. **Desirable .** (a) Degree of a recognised University. (b) Knowledge of one or more Regional languages'

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any.	Method of rectt. whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years.	Direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

[No. A. 12018/9/72-Estt-I]

R.P. MARWAHA, Under Secy.

New Delhi, the 11th April, 1973

G.S.R. 518.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the various Class IV Posts in the College of Nursing, New Delhi, namely:—

1. **Short title and commencement**:—(1) These rules may be called the College of Nursing, New Delhi (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**:—These rules shall apply to the posts as specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay**:—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc**:—

The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualifications**:No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said post:—

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving**:—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and other Special Categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time.

RECRUITMENT RULES FOR CLASS IV (NON-MINISTERIAL) POSTS IN THE COLLEGE OF NURSING, NEW DELHI

Sl. No.	Name of Post.	Number of post (s)	Classification.	Scale of Pay.	Whether selection or Non-selection, post.	Age limit for direct recruits.	Educational other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laboratory Attendents.	3	General Central Service Class IV, Non- gazetted.	Rs. 80-1-85-2-95-EB-3-110	Non-selection.	18-25 years.	**Essential** Matriculation or equivalent qualification. **Desirable** Experience in a laboratory/clinic

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation if any.	Methods of Rectt. by promotion/deputation, transfer & percentages of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/ transfer to be made.	If a D.P.C. exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectuitment.
9	10	11	12	13	14
No	two years	$33\frac{1}{3}$% by promotion failing which by direct recruitment and $66\frac{2}{3}$% by direct recruitment.	By peromotion from amongst Daftries who are middle class pass and have rendered not less than three years service in the grade.	Class IV D.P.C.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Clinic Attendant.	1	General Central Service Class IV, Non-gazetted.	Rs. 80-1-85-2-95-EB-3-110	Not-Applicable	18-25 years.	Essential Matriculation or equivalent qualification. **Desirable :** Experience in a laboratory/clinic.
3.	Daftry.	1	General Central Service Class IV, Non-gazetted.	Rs. 75-1-85-EB-2-95.	Non-selection.	Not Applicable.	Not-Applicable
4.	Cooks.	7	General Central Service Class IV, Non-gazetted.	Rs. 75-85-EB-2-95.	Non-selection	Not-Applicable.	Not-Applicable.
5.	Cook-cum-Bearer.	1	General Central Service Class IV, Non-gazetted.	Rs. 75-1-85-EB-2-95.	Non-selection	Not-Applicable.	Not-Applicable.
6.	Bearers	8	General Central Service Class IV, Non-gazetted.	Rs. 70-1-80-EB-1-85.	Not-applicable.	18-25 years.	Literate. Must be conversant with the duties of Beares.
7.	Masalchies.	6	General Central Service Class IV, Non-gazetted.	Rs. 70-1-80-EB-1-85.	Not-applicable.	18-25 years.	Literate. Must be conversant with the duties of Masalachies.
8.	Sweepers	16	General Central Service Class IV, Non-gazetted.	Rs. 70-1-80-EB-1-85.	Not-applicable.	18-25 years.	**Desirable :** Primary Pass.
9.	Ayahs	7	General Central Service Class IV, Non-gazetted.	Rs. 70-1-80-EB-1-85.	Not-applicable.	18-25 years.	Literate
10.	Chowkidars.	11	General Central Service Class IV, Non-gazetted.	Rs. 70-1-80-EB-1-85.	Not-applicable.	18-25 years.	Literate.
11.	Malies	3	General Central Service Class IV, Non-gazetted.	Rs. 70-1-80-FB-1-85.	Not-applicable.	18-25 years.	Literate.

9	10	11	12	13	14
Not-applicable.	two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not-applicable.
Not-applicable.	two years.	100% by promotion.	By promotion from amongst peons, are middle class pass and have three years service in the grade.	Class IV, D.P.C.	Not-applicable.
Not-applicable.	two years.	100% by promotion.	By promotion from amongst Bearers and Masalchies with three years service in the respective grade.	Class IV, D.P.C.	Not-applicable.
Not-applicable.	two years.	100% by promotion.	By promotion from amongst Bearers and Masalchies with three years service in the respective grade.	Class IV, D.P.C.	Not-applicable.
Not-applicable.	two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Not-applicable.	two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Not applicable.	two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Not applicable.	two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Not applicable.	two years.	100% by direct recruitment.	Not applicabel.	Not applicable.	Not applicable.
Not applicable.	two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

12. Mali-cum-Chow-kidar.	1	General Central Service Class IV, Non-gazetted.	Rs. 70-1-80-FB-1-85.	Not-applicable.	18-25 years.	Literate.
13. Peons.	5	General Central Service Class IV, Non-gazetted.	Rs. 70-1-80-FB-1-85.	Not-applicable.	18-25 years.	Middel Pass.
14. Peons-cum-chow-kidars.	1	General Central Service Class IV, Non-gazetted.	Rs. 70-1-80-EB-1-85.	Not-applicable.	18-25 years	Middle Pass.
15. Cleaner.	1	General Central Service Class IV, Non-gazetted.	Rs. 70-1-80-FB-1-85.	Not-applicable.	18-25 years.	Literate. Experience of working in a motor workshop or on a motor vehicle for one year.

9	10	11	12	13	14
Not applicable.	two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Not applicable.	two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Not applicable.	two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Not applicable.	two years.	100% by direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

[No. 1.2/71/MPT]

Km. SATHI BALAKRISHNA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1973

सा. का. नि. 519.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनस्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता में श्रेणी 2 के गैर चिकित्सा पदों की भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—1. इन नियमों को अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान संस्था, कलकत्ता (श्रेणी 2 के गैर चिकित्सा पद) भर्ती नियमावली, 1973 कहा जाय।

2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. **उपयोजन.**—ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **संख्या वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** :—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	पद संरक्षण है अथवा नान संरक्षण	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. निदर्शक (जीव रसायन एवं पोषण)।	4	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 2 अराजपत्रित अननुसचिवीय।	325-15-475-द०रो०-20-575 रु०।	लागू नहीं होना	35 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों को शिथिलनीय)।	**अनिवार्य :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जीव रसायन में एम० एस-सी० की डिग्री अथवा जीव रसायन में एम० एस-सी० अथवा खाद्य प्रोद्योगिकी/खाद्य एवं पोषण विषय के साथ रसायन शास्त्र में एम० एस-सी० अथवा पोषण के साथ शरीर क्रिया विज्ञान में एम०एस-सी० की डिग्री अथवा तुल्यमान अर्हता। (अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय)। **वांछनीय :** किसी सरकारी विभाग अथवा किसी संस्था/किसी ख्यातिप्राप्त प्रयोगशाला के अधीन अध्यापन/अनुसंधान का अनुभव। नोट 1. जिन पदों के लिये ऐसी अर्हताएं अपेक्षित हों, उनके लिये पोषण में डिप्लोमा ऊतक विकृति विज्ञान संबंधी कार्य का अथवा ऊतक रसायन विज्ञान संबंधी कार्य का अनुभव जैसा भी मामला हो, के अनिवार्य अर्हता के रूप में रखा जाए। नोट 2. भरे जाने वाले पदों की अपेक्षाओं के अनुसार विशिष्ट अर्हताओं का उल्लेख कर दिया जाए।

क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिये संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित।

1	2	3	4	5	6	7
2 निदर्शक (स्वास्थ्य शिक्षा)।	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-2 अराजपत्रित अननुसचिवीय।	325-15-475-द०रो०-20-575 रु०।	लागू नहीं होता	35 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय)।	**अनिवार्य :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान में अधिमानतः मनोविज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान अथवा सांस्कृतिक मानव विज्ञान अथवा नर्सिंग विज्ञान में मास्टर की डिग्री अथवा तुल्यमान अर्हता। (अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है)। **वांछनीय :** किसी सरकारी संस्थान अथवा प्रतिष्ठित संस्था में संबंधित विषय का अध्यापन अथवा अनुसंधान का अनुभव। 2. स्वास्थ्य शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा।
3 निदर्शक (महामारी विज्ञान) 4. निदर्शक (सांख्यिकी)। 5. सांख्यक (जनसंख्या नियंत्रण)।	1 5 1	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-2 अराजपत्रित अननुसचिवीय।	325-15-475-द०रो०-20-575 रु०।	लागू नहीं होता	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय)।	**अनिवार्य .** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी अथवा गणित (सांख्यिकी के साथ) मास्टर डिग्री अथवा तुल्यमान अर्हता; **अथवा** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी अथवा गणित में डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में कम-से-कम दो वर्ष का प्रशिक्षण लेकर सांख्यिकी का मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा इसके तुल्यमान अर्हता। (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवार के मामले में आयोग के विवेक पर अर्हता शिथिलनीय) **वांछनीय :** किसी सरकारी विभाग संस्था अथवा प्रतिष्ठित संस्था के अधीन स्वास्थ्य सांख्यिकी अथवा जनसांख्यिकी के कार्य संचालन का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित।
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित।

1	2	3	4	5	6	7
6. निदर्शक (जन-स्वास्थ्य इंजीनियरी)। 7. तकनीकी सहायक (जनस्वास्थ्य इंजीनियरी)।	3 4 1	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-2 अराजपत्रित अननुसचिवीय।	325-15-475-द०रो०-20-575 रु०।	लागू नही होता	30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय)।	**अनिवार्य** : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी की डिग्री अथवा तुल्यमान अर्हता। 2. जनस्वास्थ्य इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा अथवा किसी प्रतिष्ठित संस्थान अथवा सरकारी विभाग के अधीन जनस्वास्थ्य इंजीनियरी कार्य में लगभग दो वर्ष का प्रैक्टिकल/अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य का अनुभव। (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय)। **वांछनीय** अध्यापन/अनुसंधान कार्य का अनुभव।
8. तकनीकी सहायक (जनस्वास्थ्य इंजीनियरी)।	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-2 अराजपत्रित अननुसचिवीय।	325-15-475-द०रो०-20-575 रु०।	लागू नहीं होता	30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय)।	**अनिवार्य** . किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र अथवा वनस्पति विज्ञान अथवा प्राणिविज्ञान में एम०एस-सी० डिग्री अथवा तुल्यमान अर्हता। (अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थी के मामले मे आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय)। **वांछनीय** : 1. किसी सरकारी विभाग अथवा किसी प्रतिष्ठित संस्था के अधीन सेनीटरी रसायन शास्त्र/सेनीटरी जीव विज्ञान का अनुभव प्राप्त। 2 अध्यापन/अनुसधान का अनुभव। टिप्पणी . भरे जाने वाले पद की आवश्यकता के अनुसार विशेष अर्हताओं का उल्लेख करना है।

8	9	10	11	12	13
लागू नही होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नही होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित।
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नही होता	लागू नही होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित।

1	2	3	4	5	6	7
9. निदर्शक (शरीर क्रियात्मक एवं औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-2 अराजपत्रित, अननुसूचित।	325-15-475 द०रो० 20-575 रु०	लागू नहीं होता	30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय)	**अनिवार्य :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जैव रसायन शास्त्र अथवा जीव रसायन शास्त्र में एम० एस० सी० डिग्री अथवा तुल्यमान अर्हता (अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थी के मामले में आयोग के विवेक पर शिथिलनीय) **वांछनीय :** नैदानिक जीव रसायन से संबंधित सूक्ष्म विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में अध्यापन/अनुसंधान कार्य का अनुभव। अथवा **अनिवार्य :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से शरीर क्रिया विज्ञान में एम०एस०सी० की डिग्री अथवा तुल्यमान अर्हता। (अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थी के मामले में आयोग के विवेक पर अर्हतायें शिथिलनीय) **वांछनीय :** श्वसन एवं पर्यावरणिक शरीर क्रिया विज्ञान में अध्यापन/अनुसंधान कार्य का अनुभव। अथवा **अनिवार्य :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में एम० एस० सी० की डिग्री अथवा तुल्यमान अर्हता। (अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थी के मामले में आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय) **वांछनीय :** द्रव्य के सामान्य गुणों एवं भौतिकशास्त्र आदि से सम्बद्ध क्षेत्रों में अध्यापन/अनुसंधान कार्य का अनुभव। टिप्पणी : भरे जाने वाले पदों की अपेक्षाओं के अनुसार विशेष अर्हताओं का उल्लेख किया जाता है।
10. अनुसंधान सहायक (शरीर क्रियात्मक एवं औद्योगिक एवं स्वास्थ्य विज्ञान)	1					

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के अधीन यथापेक्षित।

[प० सं० 27-81/70 जन०स्वा०]

के० सत्यनारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 1973

G.S.R. 519.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to Class II non-medical posts at the All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Class II Non-medical Posts) Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts as specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, Classification and Scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Demonstrator (Biochemistry and Nutrition)	4	General Central Services Class II Not-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 325-15-475-EB-20-575	Not-Applicable	35 years (Relaxable for Government servants.)	

*Essential : M Sc. degree in Biochemistry or M Sc. in organic Chemistry or M.Sc. degree in Chemistry with Food Technology/Food and Nutrition or M.Sc. Degree in Physiology with Nutrition for a recognised University or equivalent qualification.

(Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidate otherwise well-qualified).

Desirable : Teaching/research experience in a Government Department or in an institute/laboratory of repute.

Note: (i) Diploma in Nutrition, experience in histopathological work or histochemical work, as the case may be, may be added as an essential qualifications for posts requiring such qualifications.

(ii) Specific qualifications to be indicated according to the requirement of the post to be filled

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation in any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	No applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Demonstrator (Health Education)	one	General Central Services Class II, Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 325-15-475-EB-20-575.	Not Applicable	35 years (Relaxable for Government servants.)	*

*Essential : Master's degree in Social Sciences preferable Psychology or Sociology or Cultural Anthropology or Nursing from a recognise University or equivalent qualifications.

(Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well qualified.)

Desirable : (i) Experience in teaching or research in the subject concerned in a Government Institute or a concern of repute.

(ii) Post-graduate degree or diploma in Health Education.

3. Demonstrator (Epidemiology)	1	7	General Central Services Class II Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 325-15-475 EB-20-575.	Not Applicable	30 years(Relaxable for Government servants).	
4. Demonstrator (Statistics)	5						
5. Statistician (Population Control)	1						

*Essential : Master's degree in Statistics or Mathematics (with Statistics) from a recognised University or equivalent qualification

OR

Degree of a recognised University with statistics or Mathematics and a recognised post-graduate diploma in Statistics awarded after at least 2 years training in a recognised institution or equivalent qualifications.

(Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well qualified.)

Desirable : Experience in handling health Statistics or demographic data in a Government Department, Institution or a concern of repute.

6. Demonstrator (Public Health Engineering)	3	4	General Central Services Class II, Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 325-15-475-EB-20-575	Not Applicable	30 years (Eelaxable for Government servants).	
7. Technical Assistant (Public Health Engineering)	1						

*Essential : (i) Degree in Civil Engineering of a recognised University or equivalent qualification.

(ii) A post-graduate degree or diploma in Public Health Engineering or about 2 years practical/teaching or research experience in public health engineering works in an organisation or repute or a Government Department.

(Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well qualified.)

Desirable : Teaching/research experience.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	As required under the union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.
Not Applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.
Not Applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Technical Assistant (Public Health Engineering).	2	General Central Services Class II Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 325-15-475-EB-20-575	Not applicable	30 years (Relaxable for Government servants).	

*Essential : M.Sc. degree in Chemistry or Botany or Zoology of a recognised University or equivalent qualification. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well-qualified).

Desirable : (i) Experience of Sanitary Chemistry/Sanitary Biology in a Government Department or a concern of repute.

(ii) Teaching/research experience.

Note : Specific qualifications to be indicated according to the requirement of the post to be filled.

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Demonstrator (Physiological and Industrial Hygiene).	1	2 General Central Services Class II, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 325-15-475 EB-20-575.	Not applicable	30 years (Relaxable for Government servaints).	
10.	Research Assistant (Physiological and Industrial Hygiene).	1					

*Essential : M.Sc. Degree in Organic Chemistry or Biochemistry from a recognised University or equivalent qualification. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well-qualified).

Desirable : Teaching/research experience in micro-analytical procedure related to clinical biochemistry.

OR

Essential : M.Sc. degree in Physiology from a recognised University or equivalent qualification. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well-qualified).

Desirable : Teaching/research experience in respiratory and environmental physiology.

OR

Essential : M.Sc. degree in Physics from a recognised University or equivalent qualification. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well-qualified).

Desirable : Teaching/research experience in allied fields related to the general properties of matter and aerosal physics etc.

Note : Specific qualifications to be indicated according to the requirement of the post to be filled.

9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	As required Under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. F. 27-81/70-P.H.]

K. SATYANARAYANA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1973

सा. का. नि. 520.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) में वरिष्ठ विश्लेषक (श्रेणी 1, राजपत्रित) के पद की भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं नामतः—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को स्वास्थ्य विभाग (वरिष्ठ विश्लेषक कार्य अध्ययन) श्रेणी 1, राजपत्रित भर्ती नियमावली, 1973 कहा जाए ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. **उपयोजन.**—ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 से 13 में निर्दिष्ट है ।

5. **अनर्हता.**—कोई व्यक्ति,

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी वर्ग या किसी प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

अनुसूची

स्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) पद की भर्ती नियमावली

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	पद सलैक्शन है अथवा नान-सलैक्शन	सीधी भर्ती के लिये आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
वरिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी 1, राजपत्रित ।	700-40-1100-50/2-1250 रुपये ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिये संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(क) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा। (ख) संविदा पर नियुक्ति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/संविदा पर नियुक्ति। केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी का अधिकारी जो 350–900 रु० से कम वेतनमान के राजपत्रित पद पर न हो अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में तुल्यमान ग्रेड में हो और जिसके पास :— (क) विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा इसके तुल्यमान अर्हता हो ; (ख) किसी राजपत्रित पद अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में तुल्यमान ग्रेड में न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा हो ; (ग) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान के कार्य अध्ययन पद्धति पाठ्यक्रम, कार्य अध्ययन रक्षा संस्थान अथवा किसी अन्य संस्थान से तुल्यमान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। अथवा कार्य अध्ययन/संगठन एवं रीति विश्लेषण/सांख्यिकीय/संचालन अनुसंधान तथा अन्य प्रबंध संबंधी अनुसंधान प्राविधिक को लागू करने संबंधी कार्य का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि आमतौर पर छः वर्ष से अधिक नहीं)।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के अधीन यथापेक्षित।

[सं० ए० 12018/20/71-स्थापना (नीति)]

रमेश बहादुर, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 1973

G.S.R. 520.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Analyst (Class I Gazetted) in the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health), namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Health (Senior Analyst Work Study) Class I Gazetted Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post as specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualifications.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, if may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Senior Analyst (Work Study) in Department of Health

Name of post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Senior Analyst (Work Study)	1	General Central Service Class I, Gazetted	Rs. 700-40-1100-50/2-1250.	Not Applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. in to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicabe	Not applicable	(a) By transfer on deputation Or (b) by appointment on contract.	**Transfer on deputation/appointment on contract.** Officers from any Class I or class II (Gazetted) post in the scale not lower than Rs. 350-900 under the Central Government StateGovernment or equivalent grade in public sector undertakings, who have :— (a) A University degree or its equivalent qualification (b) a minimum of eight years service in a gazetted post or equivalent grade in a public sector undertaking and (c) successfully completed training in the Work Study Practitioners Course of the Institute of Secretariat Training and Management, Defence Institute of Work Study or equivalent training in any other institution. OR have a least three years experience in the application of work study/organisation and methods/anaylcical/ statistical/operations research and other management research techniques. (Period of deputation/contract ordinarily not exceeding six years)	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958.

[No. A. 12018/20/71-Estt. (P)]

RAMESH BAHADUR Under Secy.

नई दिल्ली, दिनांक मई, 1973

सा. का. नि. 521.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा नर्सिंग कालेज, नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों की भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :**

1. ये नियम नर्सिंग कालेज, नई दिल्ली (चतुर्थ श्रेणी पद) भरती नियमावली, 1973 कहे जाएं ।

2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. **उपयोजन :**

ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :**

पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 3 से 5 में निर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :**

उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 14 में निर्दिष्ट है ।

5. **अनर्हता :** कोई व्यक्ति ;

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

6. **छूट देने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

नर्सिंग कालेज, नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी (अननुसचिवीय) पदों की भरती नियमावली

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	पद सलैक्शन है अथवा नान सलैक्शन	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रयोगशाला परिचर	3	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 4 अराजपत्रित	80-1-85-2-95-द० रो० 3-110 रु०	नान-सलैक्शन	18 से 25 वर्ष	**अनिवार्य :** मैट्रिकुलेशन या तुल्यमान अर्हता । **वांछनीय :** प्रयोगशाला/क्लीनिक का अनुभव ।

क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हतायें लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिये संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है
8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	33⅓% पदोन्नति द्वारा इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा तथा 66⅔% सीधी भर्ती द्वारा ।	दफ्तरियों में से 4 जो मिडिल कक्षा उत्तीर्ण हों, तथा जिन्होंने इस ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो । पदोन्नति द्वारा ।	चतुर्थ श्रेणी विभागीय पदोन्नति समिति ।	लागू नहीं होता ।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	क्लिनिक परिचर	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा चतुर्थ श्रेणी अराजपत्रित	80-1-85-2-95 द०रो० 3-110रुपये	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष	अनिवार्य : मैट्रिकुलेशन या अन्य तुल्यमान अर्हता वांछनीय : प्रयोगशाला/क्लीनिक का अनुभव
3.	दफ्तरी	1	तदैव	75-1-85-द०रो०-2-95 रु०	लाग-सेलेक्शन	लागू नही होता	लागू नहीं होता ।
4.	रसोइये.	7	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
5.	रसोइया सह-बैरा	1	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
6.	बैरे	8	तदैव	70-1-80-द०रो०-1-85 रु०	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष	साक्षर। बैरे के कार्यों से परिचित होना चाहिये ।
7.	मशालची	6	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	साक्षर । मशालची के कार्यों से परिचित होना चाहिये ।
8.	सफाई कर्मचारी	16	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	वांछनीय : प्राइमरी कक्षा उत्तीर्ण
9.	आया	7	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	साक्षर
10.	चौकीदार	11	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
11.	माली	3	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
12.	माली सह-चौकीदार	1	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
13.	चपरासी	5	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	मिडिल कक्षा पास
14.	चपरासी-सह-चौकीदार	1	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
15.	क्लीनर	1	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	साक्षरा किसी मोटर वर्कशाप या मोटर गाड़ी में एक वर्ष के कार्य का अनुभव ।

9	10	11	12	13	14
लागू नही होता	दो वर्ष	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता ।	लागू नही होता	लागू नही होता ।
लागू नहीं होता	तदैव	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	चपरासियों में से उनकी पदोन्नति द्वारा जो मिडिल कक्षा उत्तीर्ण हों और जिन्होंने इस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो ।	चतुर्थ श्रेणी विभागीय पदोन्नति समिति ।	—तदैव—
तदैव	तदैव	तदैव	बैरो तथा मशालचियों में से पदोन्नति द्वारा जिनकी क्रमशः इस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा हों।	तदैव	तदैव
तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
तदैव	तदैव	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता	लागू नही होता।	लागू नही होता
तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

[प. संख्या 1-2/71 एम.पी.टी.]
सती बालकृष्णा, अवर सचिव

कृषि मन्त्रालय

(सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1973

सा० का० नि० 522.—राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम नियम, 1963 के नियम 6 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय (सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं० 2-4/69-योजना(प्रकीर्ण (एम० डब्ल्यु० एस०), जिल्द 2, तारीख 17 नवम्बर, 1972 और सं० 2-4/69—योजना/एम० डब्ल्यु० एस०, तारीख 14 मार्च, 1973 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के निम्नलिखित सदस्यों की पदावधि को 18 सितम्बर, 1973 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है ।

(1) श्री पी० नरसा रेड्डी, सदस्य, विधान सभा, 3/6/573, हिमायत नगर, हैदराबाद-19 (आ० प्र०)

(2) श्री मथुरा प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पटना ।

(3) श्री आर० सी० गुप्ता, एडवोकेट, हास्पिटल रोड, लखीमपुर खेरी, उत्तर प्रदेश ।

(4) श्री ए० एस० पाटिल, अध्यक्ष, मैसूर राज्य सहकारी संघ लिमिटेड, रेसकोर्स रोडश्र, बंगलौर ।

(5) प्रो० वी० एस० व्यास, सदस्य, कृषि मूल्य आयोग, नई दिल्ली।

(6) डा० बी० नटराजन, कार्यपालक अध्यक्ष, प्रोयोग-आर्थिक संस्थान, 42-ए।1, हैरिन्गटन रोड, मद्रास-3 ।

[एल०-12011/2/73-एम० डब्ल्यु एस०]

ए० दास संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Cooperation)

New Delhi the 27th April, 1973

G.S.R. 522.—In exercise of the powers conferred by the proviso to rule 6 of the National Co-operative Development Corporation Rules, 1963, and in continuation of the Notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Cooperation) No.2-4/69-Plan/Misc(MWS) Vol. II dated the 17th November, 1972 and No. 2-4/69-Plan/MWS dated the 14th March, 1973, the Central Government hereby extends the term of office of the following members of the National Cooperative Development Corporation upto an inclusive of the 18th September, 1973.

1. Shri P. Narsa Reddy, M.L.A.
   H. No. 3/6/573, Himayat Nagar,
   Hyderabad—29 (AP).
2. Shri Mathura Prasad Singh,
   Chairman, Bihar State Cooperative Bank Ltd.
   Patna.
3. Shri R.C. Gupta, Advocate,
   Hospital Road, Lakhimpur Kheri, U.P.
4. Shri A.S. Patil, President,
   Mysore State Cooperative Union Ltd.,
   Race Course Road, Bangalore.
5. Prof. V.S. Vyas,
   Member, Agricultural Prices Commission,
   New Delhi.
6. Dr. B. Natarajan Executive Chairman,
   Institute of Techno-Economic Studies,
   42-A/1, Harrington Road, Madras-31.

[L.12011/2/73-MWS]

A. DAS, Joint Secretary

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1973

सा.का.नि. 523.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) में उपायुक्त, कृषिसगणना के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमो का नाम कृषि विभाग, उपायुक्त, कृषि भर्ती नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की उसका वर्गीकरण और उस वेतनमान व होंगे जो इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक मे विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताए और उससे सम्बन्धित अन्य बाते वे होगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक मे विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को उनु स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहा केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहा वह, उसके लिए जो कारण है उन्हे लेख बद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमो के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियो की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमो की कोई भी बात ऐसे आरक्षणो और अन्य रियायतो पर प्रभाव नही डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध मे समय समय पर निकाले गए आदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियो के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

कृषि मंत्रालय कृषि विभाग में उपायुक्त, कृषि संगणना के पद के लिये भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हतायें
1	2	3	4	5	6	7
उपायुक्त, कृषि संगणना	1	साधारण केन्द्रीय, सेवा, वर्ग 1, राजपत्रित	1600-100-2000 रुपये	लागू नहीं होता	50 वर्ष (सरकारी सेवकों की दशा में शिथिल की जा सकेगी)	**आवश्यक**: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य या व्यापार प्रशासन (सांख्यिकी सहित) में मास्टर की उपाधि या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि जिसमें गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र या वाणिज्य या व्यापार प्रशासन एक विषय रहा हो और सांख्यिकी में कम से कम 2 वर्ष का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा। (ii) कृषि के क्षेत्र में नमूना सर्वेक्षण सहित कृषि सांख्यिकी के कार्य का लगभग 12 वर्ष का अनुभव। (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा मे अर्हतायें आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी। **वांछनीय**: (1) उपर्युक्त किसी विषय में डाक्टरेट। (2) कृषि संगणना तकनीकों में प्रशिक्षण

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जायगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने मे किन परिस्थितियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (अल्पकालिक ठेके सहित) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण**: (अल्पकालिक ठेके सहित) भारतीय सांख्यिकी सेवा के श्रेणी 1 के अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो, अथवा ऐसे अधिकारी, जो केन्द्रीय या राज्य सरकारो के अधीन सदृश्य पद धारण करते हों या जिनकी 1300—1600 रुपये के वेतनमान या समतुल्य पदों पर कम से कम 3 वर्ष की सेवा हो या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् या भारतीय सांख्यिकी संस्थान में समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारी और जो स्तम्भ 7 मे सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित शैक्षिक और अन्य अर्हतायें रखते हों। (प्रतिनियुक्ति या ठेके की अवधि सामान्यतः चार वर्ष से अनधिक)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित।

[सं०ए-12018/1/71—स्थापना-1]

सी० ना० सिन्हा, अवर सचिव,

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 27th April, 1973

G.S R.523.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Agricultural Census Commissioner, in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), namely:—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Department of Agriculture, Deputy Agricultural Census Commissioner, Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of the posts, its classification and scale of pay:**—The number of the said posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.:**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualification :—No person,**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law application to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax:**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisons of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled cates, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Deputy Agriculture Causus Commissioner in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture.

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Deputy Agricultural Census Commissioner.	One	General Central Service Class I Gazetted.	Rs.1600-100-2000.	Not applicable	50 years (Relaxable for Government servants).	**Essential :** (i) Master's degree in Statistics or Economics or Mathematics or Commerce or Business Administration (with Statistics) of a recognised University or equivalent. OR Degree of a recognised University with Mathematics or Statistics or Economics or Commerce or Business Administration as a subject and a recognised diploma obtained after at least 2 years postgraduate training in Statistics. (ii) About 12 years' experience of handling Agricultural Statistics, inclding Organisation of sample Surveys in the Sphere of agriculture. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified). **Desirable :** (i) Doctorate in any of the above subjects. (ii) Training in Agricultural Census techniques.

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades [from which promotion/ deputation transfer to be made.	If a D.P.C. exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years	By transfer on deputation (including short term contract), failing which by direct recruitment.	**Transfer on deputation (including shrot term contract)** Grade I officers of the Indian Statistical Service with 3 years service in the grade. OR Officers under the Central Government or State Governments holding analogous posts or with at least 3 years service in posts in the scale of Rs. 1300-1600 or equivalent or officers holding equivalent posts in the Indian Council of Agricultural Reserach or Indian Statistical Institute possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under Column 7. (Period of deputation or contract ordinarily not exceeding 4 years.)	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. A-12018/1/71-Estt. I]
S. N. SINHA, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Central Boilers Board)

New Delhi, the 3rd May, 1973

G.S.R. 524.—Whereas certain draft regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, were published as required by sub-section (1) of section 31 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923) at page 678 of the Gazette of India, Part II—Section 3, Sub-section (i), dated the 4th March, 1972, under the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development (Central Boilers Board), No. G.S.R. 270, dated the 15th January, 1972, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the 4th June, 1972;

And Whereas the said Gazette was made available to the public on the 4th March, 1972;

And whereas no objections or suggestions have been received;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Boilers Board hereby makes the following regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, namely:—

1. These regulations may be called the Indian Boiler (Fifth Amendment) Regulations, 1973.

2. In Appendix C to the Indian Boiler Regulations, 1950, for Serial No. 22 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be substituted, namely:—

"22. India Supply Mission, London.".

[No. BL-13(9)/70-Boiler]
S. C. DEY, Secy

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1973

सा. का. नि. 525.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कुछ पदों की भर्ती की प्रणाली का नियमन करने हेतु, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **लघु शीर्षक तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग), श्रेणी 1 और 2 के पदों के भर्ती नियम, 1972 कहा जाए ।

(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, ये लागू होंगे ।

2. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान उसी प्रकार होगा, जिस प्रकार इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में निर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—इन पदों के लिए भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित विषय, उपरोक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में निर्दिष्टानुसार होंगे ।

बशर्ते कि, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा विशेष वर्ग के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु की निर्धारित सीमा में छूट दी जाए ।

4. **अयोग्यताएं.**—कोई भी ऐसा व्यक्ति—

(क) जो ऐसे व्यक्ति से विवाह का अनुबन्ध अथवा विवाह करता है, जिसकी पत्नी अथवा पति जीवित हो, अथवा

(ख) जो पति/पत्नी के रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह का अनुबन्ध अथवा विवाह करता है, इन पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा,

बशर्ते कि, यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के कुछ अन्य आधार भी हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

5. **छूट देने का अधिकार.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, तो लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से वह आदेश द्वारा, किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों/पदों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से वह छूट दे सकती है ।

6. **निरसन.**—(1) भारत सरकार के भूतपूर्व वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ. 4/48/59-एस्टे. 1, दिनांक 12 दिसम्बर, 1962 के साथ प्रकाशित, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय (सामान्य केन्द्रीय सेवा में श्रेणी 1 और 2 के पद) भर्ती नियम, 1962 एतद्द्वारा रद्द किए जाते हैं ।

(2) इस निरसन के बावजूद इस प्रकार रद्द किए गए नियमों के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा उठाया गया कोई कदम, इन नियमों के तदनुसार उपबन्धों के अधीन किया गया अथवा उठाया गया माना जाएगा ।

7. शर्त.—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों को दी जाने वाली अपेक्षित रियायतों और आरक्षणों को इन नियमों में से कोई भी नियम प्रभावित नहीं करेगा ।

अनुसूची

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में (i) उप शिक्षा सलाहकार (तक०), (ii) सहायक शिक्षा सलाहकार (तकनीकी), (iii) शिक्षा अधिकारी (तकनीकी) तथा सहायक शिक्षा अधिकारी (तकनीकी) के पदों पर भर्ती नियम, 1972 की अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
1 उप शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)	5	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I राजपत्रित	1100-50-1300-60-1600-100-1800 रु०	प्रवरण	45 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)	**अनिवार्य** (I) इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में द्वितीय श्रेणी में डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री अथवा उसके समकक्ष (II) निम्नलिखित दो अथवा उससे अधिक विषयों में लगभग 10 वर्ष का अनुभव :— (क) अध्यापन, (ख) शैक्षिक प्रशासन, (ग) उद्योग तथा (घ) अनुसंधान (यदि उम्मीदवार अन्य बातों में पूर्ण अर्हता प्राप्त है तो संघ लोक सेवा आयोग की एकठा पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है) । **ऐच्छिक** तकनीकी शिक्षा/प्रशिक्षण की योजनाएं तैयार करने का अनुभव ।

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के विषय मे लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो तो	भर्ती की प्रणाली । सीधी भर्ती अथवा/प्रतिनियुक्ति/तबादले द्वारा तथा विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे रिक्त स्थान की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/तबादले द्वारा भर्ती की स्थिति में उन ग्रेडों का उल्लेख जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/तबादला किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमे भर्ती करने के विषय मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
कोई नहीं	दो वर्ष	50 % पदोन्नति के जरिए, 25% प्रतिनियुक्ति पर तबादले द्वारा (अल्पकालिक ठेके सहित) तथा 25%सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति** उसी ग्रेड में 4 वर्ष की सेवा के साथ सहायक शिक्षा सलाहकार **प्रतिनियुक्ति पर तबादला** **(अल्पकालिक ठेके सहित)** केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागो के अधीन सदृश्य पदधारी अधिकारी अथवा 900-1250 रु० अथवा समान वेतनमान में कम से कम पांच वर्ष की सेवा वाले अधिकारी, जिन्हे केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागों और कार्यालयों में लगभग 10 वर्ष का अनुभव हो तथा विश्वविद्यालयो अथवा अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्तशासी संगठनों से अध्यापन/शैक्षिक प्रशासन में समकक्ष पदधारी तथा जिनके उपरलिखित प्रकार की सेवा और अनुभव हों। (आमतौर पर) प्रतिनियुक्ति अथवा ठेके की अवधि चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	श्रेणी-I विभागीय पदोन्नति समिति	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन अपेक्षित है।
कोई नहीं	दो वर्ष	50% पदोन्नति के जरिये, 25% प्रतिनियुक्ति पर तबादले द्वारा (अल्पकालिक ठेके सहित) 25% सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति** उसी ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा के साथ, शिक्षा अधिकारी (तकनीकी) **प्रतिनियुक्ति पर तबादला** **अल्पकालिक ठेके सहित** केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागों के अधीन सदृश्य पदधारी अधिकारी अथवा 700-900 रु० अथवा समान वेतन मान में कम से कम 5 वर्ष की सेवा वाले अधिकारी, जिन्हे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागों और कार्यालयों में 7 वर्ष का अनुभव हो तथा विश्वविद्यालयों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्तशासी संगठनों से अध्यापन अथवा शैक्षिक प्रशासन में समकक्ष पदधारी तथा जिनके उपरीलिखित प्रकार की सेवा तथा अनुभव हों। (आमतौर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	श्रेणी-I विभागीय पदोन्नति उपसमिति	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7
2 सहायक शिक्षा सलाहकार (तकनीकी)	9	सामान्य केन्द्रीय सेवा । श्रेणी I (राजपत्रित)	900-50-1250 रु०	प्रवरण	40 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)	**अनिवार्य** (i) इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में द्वितीय श्रेणी में डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री अथवा उसके समकक्ष (ii) निम्नलिखित दो अथवा उससे अधिक विषयों में लगभग 7 वर्ष का अनुभव :— (क) अध्यापन, (ख) शैक्षिक प्रशासन, (ग) उद्योग तथा (घ) अनुसंधान। (यदि उम्मीदवार अन्य बातों में पूर्ण अर्हता प्राप्त है, तो संघ लोक सेवा आयोग की इच्छा पर अर्हताओं मे छूट दी जा सकती है)। **ऐच्छिक** तकनीकी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण की योजनाएं तैयार करने का अनुभव।

1	2	3	4	5	6	7
3 शिक्षा अधिकारी (तकनीकी)	7	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-I (राजपत्रित)	700-40-900 रु०	प्रवरण	35 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)	**अनिवार्य** (i) इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में द्वितीय श्रेणी में डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री अथवा उसके समकक्ष । (ii) निम्नलिखित दो अथवा उससे अधिक विषयों में 5 वर्ष का अनुभव और साथ ही दो वर्ष का अध्यापन अनुभव :— (क) अध्यापन, (ख) शैक्षिक प्रशासन, (ग) उद्योग और (घ) अनुसंधान । (यदि उम्मीदवार अन्य बातों में पूर्ण अर्हता प्राप्त है, तो संघ लोक सेवा आयोग की इच्छा पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है) । **वैकल्पिक** (i) व्यावहारिक प्रशिक्षण आयोजित करने का अनुभव अथवा तकनीकी स्नातकों की प्रशिक्षुता तथा डिप्लोमाधारी (ii) शिक्षा संबंधी सांख्यिकीय आंकड़ों अथवा अन्य सूचना के संकलन का अनुभव अथवा जन-शक्ति सर्वेक्षण करने का अनुभव । (iii) तकनीकी संस्थाओं के विशेष संदर्भ में शैक्षिक आयोजना में अनुभव अथवा तकनीकी संस्थाओं के प्रशासन का अनुभव ।
1 सहायक शिक्षा अधिकारी (तकनीकी)	7	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-II राजपत्रित (गैर-अनुलिपिकीय)	400-25-500-30-590-द० रो०-30-680	प्रवरण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
कोई नहीं	दो वर्ष	25% पदोन्नति के जरिये 25% प्रतिनियुक्ति पर तबादले द्वारा (अल्पकालिक ठेके सहित) अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा तथा 50% पदोन्नति द्वारा	**पदोन्नति** उसी ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा के साथ, सहायक शिक्षा अधिकारी (तकनीकी) **प्रतिनियुक्ति पर तबादला (अल्पकालिक ठेके सहित)** केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के अधीन सदृश्य पदधारी अधिकारी अथवा उसी ग्रेड में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा के साथ द्वितीय श्रेणी के अधिकारी तथा विश्वविद्यालयों अथवा अर्ध-सरकारी अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के अधीन अन्य स्वायत्तशासी संगठनों के समकक्ष अधिकारी	श्रेणी-I विभागीय पदोन्नति समिति	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है ।
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा	**पदोन्नति** 3 वर्ष की सेवा के साथ तकनीकी सहायक (सीनियर ग्रेड) अन्यथा सीनियर तथा सामान्य ग्रेड में दोनों का मिलाकर 10 वर्ष की कुल सेवा के साथ तकनीकी सहायक ।	श्रेणी-II विभागीय पदोन्नति द्वारा	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है ।

[सं. एफ. 5-12/60-ई-1]

क. कृ. बक्शी, अवर सचिव ।

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

New Delhi, the 27th, February, 1973

G.S.R. 525.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 300 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain class I and class II posts in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education), namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education) class I and class II posts Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the maximum age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of the persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

4. **Disqualification.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government, may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. **Repeal.**—(1) The Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs (General Central Service—Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1962, published with Notification of Government of India in the late Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs No. F. 4/48/59-Estt. I, dated the 12th December, 1962, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Posts of (i) Deputy Educational Adviser (Technical), (ii) Assistant Educational Adviser (Technical), (iii) Education Officer (Technical) and (iv) Assistant Education Officer (Technical), in the Ministry of Education & Social Welfare (Department of Education)

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Deputy Educational Adviser (Technical)	5	General Central Service Class I Gazetted.	Rs. 1100-50-1300-60-1600-100-1800.	Selection	45 years (Relaxable for government servants).	**Essential :** (i) Second Class Degree in Engineering or Technology or Second Class Master's degree in Science of a recognised University or equivalent. (ii) About 10 years experience in two or more of the following fields :— (a) Teaching, (b) Educational Administration, (c) Industry and (d) Research. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified). **Desirable :** Experience in the formulation of schemes for technical education/training.

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled up by various methods	In case of rectt. by Promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
No	2 years	50% by promotion, 25% by transfer on deputation (including short-term contract) and 25 % by direct recruitment.	**Promotion** : Assistant Educational Adviser (Technical) with 4 years service in the grade. **Transfer on deputation (including short-term contract)** Officers holding analogous posts or with at least 5 years service in the posts in the pay scale of Rs. 900-1250 or equivalent and having about 10 years experience in teaching/educational administration under the Central or State Government Departments and Officers from Universities or Quasi-Government or Automonous Organisations holding equivalent status and possessing the length of service and experience mentioned above. (Period of deputation or contract—ordinarily not exceeding 4 years.)	Class I Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

1	2	3	4	5	6	7
2. Assistant Educational Adviser (Technical)	9	General Central Service Class I Gazetted.	Rs. 900-50-1250	Selection	40 years (Relaxable for Government servants)	**Essential** : (i) 2nd Class Degree in Engineering or Technology or 2nd Class Master's degree in Science of a recognised University or equivalent. (ii) About 7 years experience in two or more of the following fields :— (a) Teaching, (b) Educational Administration, (c) Industry and (d) Research. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified). **Desirable** : Experience in the formulation of schemes for technical education or training.

8	9	10	11	12	13
No	2 years	50% by promotion, 25% by transfer on deputation (including short-term contract) and 25% by direct recruitment.	**Promotion** : Education Officer (Technical) with 3 years service in the grade. **Transfer on deputation (including short-term contract)** Officers holding analogous posts or with at least 5 years service in posts in the pay scale of Rs. 700-900 or equivalent and having 7 years experience in teaching or educational administration under the Central or State Government Departments and Officers from Universities or Quasi-Government or Autonomous Organisations holding equivalent status and possessing the length of service and experience mentioned above. (Period of deputation or contract - Ordinarily not exceeding 3 years.)	Class I Departmental Promotional Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

1	2	3	4	5	6	7
3. Education Officer (Technical)	7	General Central Service Class I Gazetted	Rs. 700-40-900	Selection	35 years (Relaxable for Government servants)	**Essential** (i) 2nd Class Degree in Engineering or Technology or Second Class Master's Degree in Science of a recognised University or equivalent. (ii) About 5 years experience in two or more of the following fields with a minimum of a years experience of teaching (a) Teaching, (b) Educational Administration, (c) Industry and (d) Research. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified). **Desirable** (i) Experience in organising practical training or apprenticeship of technical graduates and diploma holders. (ii) Experience in the collection and analysis of statistical data or other information relating to education or experience in carrying out man-power surveys. (iii) Experience in educational planning with special reference to technical institutions or experience in the administration of technical institutions.
4. Assistant Education Officer (Technical)	7	General Central Service Class II Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 400-25-500-30-590-EB-30-680.	Selection	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
No.	2 years	25% by direct recruitment, 25% by transfer on deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment and 50% by promotion.	**Promotion** Assistant Education Officer (Technical) with 3 years service in the grade. **Transfer on deputation (including short-term contract)** Officers holding analogous posts or Class II Officers with at least 5 years service in the grade under the Central or State Governments and Officers holding equivalent status in the Universities and other autonomous organisations under the Central or State Governments. (Period of deputation or contract—Ordinarily not exceeding 3 years.)	Class I Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.
Not applicable.	2 years	By Promotion.	**Promotion** Technical Assistants (Senior Grade) with 3 years service failing which Technical Assistants with 10 years total service in the Senior and Ordinary Grade taken together.	Class II Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. 5-12/69-E.I.]

K. K. BAKSHI Under Secy.

संचार मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1973

सा०का०नि० 526.—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय बेतार-तार नियम, 1949 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी व्यक्तियों द्वारा, स्थापित, अनुरक्षित या चालित बेतार-तार के चालन को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:— (1) इन नियमों का नाम भारतीय बेतार-तार नियम 1970 है ।

(2) ये 1 सितम्बर, 1973 को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**:— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'प्रवीणता का प्रमाणपत्र 'और' अनुज्ञप्ति' से समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बेतार-तार (वाणिज्यिक रेडियो प्रचालकों का प्रवीणता का प्रमाणपत्र और बेतार-तार चालन की अनुज्ञप्ति) नियम, 1954 के अधीन बेतार-तार प्रचालन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त या मान्य प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ।

(ख) 'अभिसमय' से तत्समय प्रवृत्त अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार अभिसमय मानट्रेक्स, 1965 तथा उससे उपाबद्ध रेडियो विनियम और अतिरिक्त रेडियो विनियम अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत उक्त अभिसमय या विनियमों का वह अंश नहीं आता जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार समय-समय पर कोई आरक्षण करे;

(ग) 'बन्दरगाह' के अन्तर्गत कोई बंदरगाह (चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम), मुहाना, नौगम्य नदी, बंगसार, जैटी या अन्य कार्यशालाएं हैं जहां पर पोत ठहर सकता हो या माल अथवा यात्रियों को चढ़ा या उतार सकता हो;

(घ) 'राज्यक्षेत्रीय समुद्र' में—

(i) तटवर्ती या सीमान्त समुद्र;

(ii) उपखाड़ी जिसमें खाड़ी और आधार और आन्तरिक समुद्र जैसी ठीक से बनी आकृति स्पष्ट होती हो;

(iii) उपयुक्त आधार रेखा से नापी गई बारह नौटीकल मील से अनधिक की जलसंधि; सम्मिलित है ।

(ङ) 'ऐरोनौटिकल केन्द्र', 'वायुयान केन्द्र', 'तट केन्द्र', 'विपत्ति पुकार', 'विपत्ति संदेश', 'विपत्ति संकेत', 'स्थिर केन्द्र', 'स्थल केन्द्र', 'चल केन्द्र', 'पत्तन केन्द्र', 'रेडियो मार्गनिर्देशन सेवा', 'सुरक्षा पुकार', 'सुरक्षा सूचना,' 'सुरक्षा संकेत', 'पोत केन्द्र', 'केन्द्र', 'अत्यावश्यक पुकार', 'अत्यावश्यक सूचना', और 'अत्यावश्यक संकेत' के क्रमशः वही अर्थ है जो उन्हें अभिसमय में दिए गए हैं ।

3. **पारेषण यंत्र के चालन का अधिकार**:—अभिसमय में या इन नियमों में यथाउपबंधित के या केन्द्रीय सरकार की साधारण या विशेष लिखित अनुज्ञा के सिवाय कोई व्यक्ति भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन अनुज्ञप्त किसी बेतार-तार के पारेषण यंत्र का चालन नहीं करेगा, जब तक कि वह—

(i) भारत का नागरिक न हो,

(ii) 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का न हो, और

(iii) बेतार-तार के स्थापन, अनुरक्षण और चालन की अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट वर्ग का 'प्रवीणता का प्रमाणपत्र' और 'अनुज्ञप्ति' उसके पास न हो और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो ।

परन्तु यदि किसी पोत या वायुयान रेडियो टेलीफोन केन्द्र की सर्विस किसी 'प्रवीणता के प्रमाणपत्र' या 'अनुज्ञप्ति' धारक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हो तो ऐसा प्रवीणता का प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति धारण न करने वाले व्यक्ति को रेडियो टेलीफोन उपस्कर प्रयोग करने की इजाजत दी जा सकेगी ।

4 **अभिसमय भारतीय बेतार-तार अधिनियम 1885 के अधीन नियम और करारों का पालन**:—इन नियमों में यथाउपबंधित के सिवाय—

(i) अभिसमय के उपबंधों;

(ii) बेतार-तार चालन के लिए भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों; और

(iii) कोई द्विपक्षीय या बहुपक्षीय दूरसंचार करार जिसे केन्द्रीय सरकार ने मान लिया हो और जिसे राजपत्र में सम्यक् रूप से अधिसूचित कर दिया गया हो;

जहां तक वे लागू होते हैं, का पालन किया जाएगा ।

5. **पत्र-व्यवहार की गोपनीयता बनाए रखना**:—किसी बेतार-तार के ग्रहण यंत्र का प्रयोग बेतार-तार संचारों की अप्राधिकृत प्राप्ति या अन्तररोध के लिए नहीं किया जाएगा । यदि किसी बेतार-तार यंत्र के प्रचालन के दौरान ऐसा कोई संदेश अस्वेच्छा से प्राप्त हो जाए तो उस संदेश की विषय-वस्तु को बताना या उसकी विद्यमानता का सामान्य प्रकटीकरण अन्तररोध द्वारा प्राप्त सूचना का प्रकाशन या कोई भी प्रयोग निषिद्ध है ।

6. **केन्द्रों की पहचान**:—कोई केन्द्र ऐसी पहचान का प्रयोग नहीं करेगा जिसे केन्द्रीय सरकार ने प्राधिकृत न किया हो और न वह पहचान के या मिथ्या पहचान के साथ पारेषण करेगा ।

7. **अंतर्राष्ट्रीय विपत्ति संकेत संक्षेपाक्षरों या निषिद्ध संकेतों का दुरुपयोग**—कोई भी व्यक्ति ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय विपत्ति, अत्यावश्यक या सुरक्षा संकेतों या ऐसे किसी अन्य संकेत का जिससे अन्तर्राष्ट्रीय विपत्ति, अत्यावश्यक या सुरक्षा संकेतों का संदेह होता हो, सिवाय रेडियो विनियम में उनके लिए बताई गई संबन्धित स्थितियों को बताने के लिए, प्रयोग नहीं करेगा ।

8. **हानिकर हस्तक्षेप पर रोक**:—कोई भी व्यक्ति किसी बेतार-तार यंत्र को ऐसी रीति से नहीं चलाएगा या प्रयोग में लाएगा जिससे रेडियो मार्गनिर्देशन सेवा या अन्य सुरक्षा सेवा के कार्यचालन को खतरा पैदा

होना हो या भारत में या भारत के बाहर अभिसमय के उपबंधो के अनुसार चल रही किसी बेतार-तार यंत्र सेवा अथवा भारतीय भूमि, नौसैनिक, वायु सेना के किसी स्थिर, स्थल या चल केन्द्रो के बीच या ऐसे केन्द्रो और किसी विदेशी केन्द्र के बीच बेतार-तार सेवा पर उसके उत्सर्जन, विकीकरण या प्रेरण द्वारा गम्भीर रूप से कमी, बाधा या बार-बार विघ्न पड़ता हो ।

9. **सूचना भेजने पर प्रतिबंध** :—इन नियमो मे यथा-उपबंधित के अथवा केन्द्रीय सरकार की साधारण या विशेष लिखित अनुज्ञा के सिवाय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदेश—

(i) कोई पोत (भारतीय रक्षा सेवा के पोत से भिन्न) जब पोत भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र के भीतर हो और जब ऐसा संदेश केन्द्रीय सरकार के तटीय केन्द्र के माध्यम से, जो सार्वजनिक पत्र-व्यवहार के लिए खुला हो, भेजा जा सके,

(ii) कोई वायुयान (भारतीय रक्षा सेवा के वायुयान से भिन्न) जब वह वायुयान भारतीय राज्यक्षेत्र या भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र के भीतर या ऊपर हो, और जब ऐसा सदेश केन्द्रीय सरकार के तार द्वारा भेजा जा सकता है, बेतार-तार के माध्यम से नही भेजेगा ।

परन्तु इन नियमो की कोई बात, सद्भाविक अत्यावश्यक पुकार या अत्यावश्यक सूचना या सद्भावी सुरक्षा पुकार या सुरक्षा सूचना देने या उनका उत्तर देने के प्रयोजन पर लागू नही होती ।

10. **पारेषण यंत्र के चालन या प्रयोग के लिए प्रतिबन्ध** :—(1) इन नियमो में यथाउपबंधित के या केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष लिखित अनुज्ञा के सिवाय, कोई व्यक्ति,—

(i) किसी पोत (भारतीय रक्षा सेवा के पोत से भिन्न) जब वह पोत भारत के किसी बंदरगाह के भीतर हो :

परन्तु;

(क) निकटतम भारतीय तटीय केन्द्र या भारतीय पत्तन केन्द्र से सूचनाओ के आदान-प्रदान के प्रयोजनमात्र के लिए पोत अपनी वी०एच०एफ० रेडियो टेलीफोन यंत्र का चालन और प्रयोग कर सकेगा,

(ख) रेडियो मार्गनिर्देशन के प्रयोजनार्थ पोत अपने रडार यंत्र का चालन और प्रयोग कर सकेगा ।

(ग) हुगली नदी मे गार्डन रीच के नीचे चल रहे पोत पर बेतार-तार यंत्र का चालन और प्रयोग कलकत्ता रेडियो के साथ सदेशो के आदान-प्रदान के प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा,

(ii) किसी वायुयान (भारतीय रक्षा सेवा के वायुयान से भिन्न) जब वह भारत के राज्यक्षेत्र या भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र के ऊपर या भीतर हो, सिवाय वास्तविक उड़ान या बाध्य उतराव की स्थिति मे वह सिर्फ उड़ान चालू रखने या निम्नलिखित वायु सेवा के लिए आवश्यक संदेश पारेषित करने के लिए —

(क) भारत मे सिविल विमानन के महा-निदेशक के अनुदेशो के अनुसार भारत में केन्द्रो की ऐरोनोटीकल सेवा से संबंधित ऐसी सेवा बनाए रखने के लिए सम्पर्क को, या

(ख) जब भारतीय राज्यक्षेत्र या भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र मे प्रवेश कर रहा हो या उसे छोड़ रहा हो, भारत से लगे हुए देशो के केन्द्रो से, ऐरोनाटीकल सेवा बनाए रखने वालो मे सम्पर्क को

परन्तु भारतीय राज्यक्षेत्र के भीतर, ऊपर या बाहर कोई वायुयान अत्यावश्यकता की दशा मे, जबकि वायुयान का किसी ऐरोनोटीकल केन्द्र से विश्वसनीय सचार सम्पर्क न हो, कही भी पोत या वायुयान से सपर्क कर सकेगा यदि पूर्वोत्तर वायुयान का कमाण्डर यह समझे कि उसके वायुयान की सुरक्षा के लिए ऐसा सम्पर्क करना आवश्यक है ।

पर लगे किसी बेतार-तार के पारेषण यंत्र का चालन या प्रयोग नही करेगा ।

(2) इस नियम की कोई बात, सद्भाविक अत्यावश्यक पुकार या अत्यावश्यक सूचना या सद्भावी सुरक्षा पुकार या सुरक्षा सूचना देने या उनका उत्तर देने के प्रयोजन पर लागू नही होगी ।

11. **मास्टर का प्राधिकार** —किसी चल केन्द्र की सेवा जिसमे प्रचालक सम्मिलित है, मास्टर के या पोत, वायुयान या चल केन्द्र का वहन करने वाले किसी अन्य यान के जिम्मेदार व्यक्ति को पूर्ण प्राधिकार के अधीन होगी । यह प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति के उपबंधो के अनुसार केन्द्र का चालन या प्रयोग हो रहा है ।

12. **नियमो के उल्लंघन के लिए शास्ति** :—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 20 या धारा 21 के अन्तर्गत उल्लंघन के अपराध को छोड़कर, इन नियमो का कोई उल्लंघन, जुर्माने से दण्डनीय होगा जो—

(i) जब व्यक्ति भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत अनुज्ञप्त हो तो 1,000 रु० और लगातार उल्लंघन की स्थिति मे पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक उस दिन के लिये जिसमे पूरे या भागत : उल्लंघन चलता रहा, के लिये 200 रु० का अतिरिक्त जुर्माने तक ;

(ii) जब इस प्रकार अनुज्ञप्त व्यक्ति का कोई सेवक या कोई अन्य व्यक्ति उल्लंघन के लिये दण्डनीय हो तो खण्ड (i) मे विनिर्दिष्ट राशि के एक चौथाई तक, हो सकेगा।

13. **अपवाद** :—इन नियमो की कोई बात, किसी सद्भावी विपत्ति पुकार या विपत्ति संदेश, के किसी भी ऐसी रीति से, जो ठीक समझी जाये, भेजने या उनका उत्तर देने के प्रयोजन के लिये बेतार-तार यंत्र के प्रयोग को निवारित नही करेगी।

[स० डब्ल्यू० एल० 4 (18)/69]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(W.P.C. Wing)

New Delhi the 23rd April, 1973

G. S. R. 526—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and in supersession of the Indian Wireless Telegraph Rules, 1949, the Central Government hereby makes the following rules to regulate the conduct of wireless telegraphs established, maintained and worked by persons licensed under the said Act, namely :—

1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Indian Wireless Telegraph rules, 1973.

(2) They shall come into force on the 1st Sept. 1973.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires;—

(a) 'Certificate of proficiency' and 'Licence' mean a certificate and a licence to operate wireless telegraphy granted or recognised by the Central Government under the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operators Certificate of Proficiency and Licence to Operate Wireless Telegraphy) Rules, 1954, as amended from time to time ;

(b) 'Convention' means the International Telecommunication Convention, Montreux, 1965, for the time being in force and the Radio Regulations and the Additional Radio Regulations annexed thereto but does not include any portion of the said Convention or Regulations regarding which the Central Government makes any reservation from time to time ;

(c) 'Harbour' includes a harbour (whether natural or artificial), estuary, navigable river, pier, jetty and any other work in or at which a ship can obtain shelter, or ship or unship goods or passengers.

(d) 'territorial waters, comprise—

(i) the littoral or marginal sea;

(ii) inlets exhibiting a well marked configuration such as gulfs and base and inland seas, and

(iii) straits not exceeding twelve nautical miles measured from the appropriate base line.

(e) 'aeronautical station', 'aircraft station', 'coast station', "distress call', 'distress message', 'distress signal', 'fixed station', 'land station', 'mobile station', 'port station', 'radionavigation service', 'safety call', 'safety message', 'safety signal', 'ship station', ,station', 'urgency call', 'urgency message' and 'urgency 'signal' shall have the meanings respectively assigned to them in the Convention.

3. Right to work transmitting apparatus.—Except as provided in the Convention or these rules or with the general or special permission in wirting of the Central Government, no person shall work the transmitting apparatus of a wireless telegraph licensed under the Indian Telegraph Act, 1885, unless—

(i) he is a citizen of India,

(ii) he is 18 years of age or above, and

(iii) he holds a 'Certificate of Proficiency' and 'Licence' of the class specified in the licence to establish maintain and work wireless telegraph and is duly authorised by the licensee :

Provided that if the service of any ship or aircraft radiotelephone station is controlled by a person holding a 'Certificate of Proficiency' and 'Licence', any person not holding such Certificate of Proficiency and Licence may be permitted to use the radiotelephone equipment.

4. Observance of Convention, rules under the Indian Telegraph Act, 1885, and agreements.—Except as provided in these rules—

(i) the provisions of the Convention ;

(ii) the rules made by the Central Government under section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) for the conduct of wireless telegraphs ; and

(iii) any bilateral or multilateral telecommunication agreements to which Central Government has accoeded and which are duly notified in the Official Gazette ; shall be observed, in so far as they are applicable.

5. Observance of secrecy of correspondence.—The receiving apparatus of any wireless telegraph shall not be used for any unauthorised reception or interception of wireless telegraph communications. If in the course of the operation of wireless telegraph any message is involuntarily received, the divulgence of its contents, simple disclosure of its existence, publication or any use whatever, of information obtained by the interception is prohibited.

6. Identification of stations.—No station shall use identification which is not authorised by the Central Government nor make transmissions without identification or with false identification.

7. Misuse of International distress signal abbreviations or signals forbidden. No person shall use the International distress, urgency or safety signals or any other signal that might be confused with the International disptress, urgency or safety signals except to indicate the respective conditions attributed to them in the Radio Regulations.

8. Prevention of harmful interference.—No person shall work or use an apparatus of a wirless telegraph in such a manner which endangers the functioning of radionaviagation service or of other safety service or seriously degrades, obstructs or repeatedly interrupts, by its emission, radiation or induction, any wireless telegraph service functioning, within or without India, in accordance with the provisions of the Convention or the wireless signalling between any fixed, land or mobile stations of Indian Land, Naval, or Air Force or between such stations and any station abroad.

9. Restriction on sending of messages.—Except as provided in these rules or with the general or special permission in writing of the Central Government, no person shall send any message by means of a wireless telegraph on,

(i) any ship (other than a ship of the Indian Defence Services) whilst the ship is within Indian territorial waters when and where such messages can be passed through the coast station of the Central Government open for public correspondence ;

(ii) any aircraft (other than an aircraft of Indian Defence Services) whilst the aricraft is within or above Indian territories or Indian territorial waters when and where such messages can be forwarded by a telegraph of the Central Government :

Provided that nothing in this rule shall apply for the purpose of making or answering **bona fide** urgency calls or urgency messages or **bona fide** safety calls or safety messages.

10. Restrictions on working or using transmitting apparatus.—(1) Except as provided in these rules or with the general or special permission in writing of the Central Government, no person **shall work or use** the transmitting apparatus of a wireless telegraph on,—

(i) any ship (other than a ship of Indian Defence Services) whilst the ship is in any harbour in India : Provided :

(a) that the ship may work and use its VHF Radiotelephone apparatus for the sole purpose of exchanging messages with the nearest Indian Coast Station or Indian Port Station ;

(b) that the ship may work and use its rader apparatus for the purposes of radionavigation.

(c) that a wireless telegraph may be worked and used on the ship which is underway in the river Hooghly below Garden Reach for the sole purpose of exchanging messages with Calcutta Radio :

(ii) any aircraft (other than an aircraft or Indian Defence Services) within or above Indian territories or Indian territorial waters except during actual flight or in case of forced landing, and then only for transmitting messages necessary for the conduct of the flight or air service :

(a) in communication in accordance with the instructions of the Director General of Civil Aviation in India relating to aeronautical services with stations in India affording such services, or

(b) when entering or leaving Indian territories or Indian territorial waters, in communication with stations in countries adjacent to India affording aeronautical services :

Provided that an aircraft within, above or outside Indian territories may, in cases of urgency, when the aircraft is not in reliable communication with an aeronautical station, communicate with a ship or aircraft anywhere, if the commander of the former aircraft considers that such communication is essential for the safety of his aircraft :

(2) Nothing in this rule shall apply for the purpose of making or answering **bona fide** urgency calls or urgency messages or **bone fide** safety calls or safety messages.

11. Authority of the master.—The service of a mobile station including operators shall be under the supreme authority of the master or of the person responsible for the ship, aircraft or other vehicle carrying the mobile station. The person holding this authority shall ensure that the station is worked or used in accordance with the provisions of the licence issued under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885)

12. Penalty for breach of rules.—Any breach of these rules other than a breach which is an offence under section 20 or section 21 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), shall be punishable with fine which may extend –

(i) when the person is licensed under the Indian Telegraph Act, 1885 upto Rs. 1,000/-and in the case of continuing breach of a further fine of Rs.200/-for every day after the first during the whole or any part of which the breach continues;

(ii) when a servant of the person so licensed, or any other person, is punishable for the breach, to one fourth of the amount specified in clause (i)

13. Exception.—Nothing in these rules shall prevent the use of wireless telegraph for the purpose of making or answering **bona fide** distress calls or distress messages in any manner thought fit.

[No.W.L.-4(18)/69]

सा० का० नि. 527—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारतीय बेतार-तार (विदेशी वायुयान) नियम, 1948 को अधिक्रांत करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :**— (1) इन नियमों का नाम भारतीय बेतार-तार (विदेशी वायुयान) नियम 1973 है।

(2) ये 1 सितम्बर, 1973 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा :**— इन नियमो में जब तक कि संदर्भ मे अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अभिसमय' से तत्समय प्रवृत्त अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार अभिसमय मानट्रेक्स, 1965 तथा उससे उपाबद्ध रेडियो विनियम और अतिरिक्त रेडियो विनियम अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत उक्त अभिसमय या विनियमो का वह अंश नहीं आता जिसके बारे मे केन्द्रीय सरकार समय समय पर कोई आरक्षण करे ;

(ख) 'विदेशी वायुयान' से भारत से भिन्न किसी देश में रजिस्ट्रीकृत वायुयान अभिप्रेत है ;

(ग) 'बन्दरगाह' के अन्तर्गत कोई बंदरगाह (चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम) मुहाना, नोगम्य नदी, बंगसार, जेटी या अन्य कार्यशालाये हैं जहां पर पोत ठहर सकता हो या माल अथवा यात्रियों को चढ़ा या उतार सकता हो ;

(घ) 'राज्यक्षेत्रीय समुद्र' मे —

(i) तटवर्ती या सीमांत समुद्र ;

(ii) उपखाड़ी जिससे खाड़ी और आधार पर और आन्तरिक समुद्र जैसी ठीक से बनी आकृति स्पष्ट होती हो ;

(iii) उपयुक्त आधार पर रेखा से नापी गई बारह नौटीकल मील के अनधिक की जलसंधि, सम्मिलित है।

(ङ) 'एरोनौटिकल केन्द्र', 'वायुयान केन्द्र' 'विपत्ति पुकार', 'विपत्ति संदेश', 'स्थिर केन्द्र', 'स्थल केन्द्र', 'चल केन्द्र', 'रेडियो मार्ग-निर्देशन सेवा', 'केन्द्र', 'अत्यावश्यक पुकार', और 'अत्यावश्यक सूचना' के क्रमशः वे ही अर्थ है जो उन्हें अभिसमय में दिये गये हैं।

3. **भारतीय तार अधिनियम 1885 के अधीन अनुज्ञप्ति की अपेक्षाओं से छूट :**— इन नियमों के अधीन रहते हुये भारतीय राज्यक्षेत्र की सीमाओ के भीतर या ऊपर किसी भी विदेशी वायुयान पर भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना, बेतार-तार स्थापित, अनुरक्षित और चलाया जा सकता है।

4. **अनुज्ञप्ति की अपेक्षाएं :**—किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी उद्यम द्वारा किसी विदेशी वायुयान पर बेतार-तार का स्थापन, अनुरक्षण या चलाया जाना उस देश की सरकार द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन होगा जिस देश मे कि वह वायुयान रजिस्ट्रीकृत है।

5. **प्रचालक की अनुज्ञप्ति :**— किसी विदेशी वायुयान केन्द्र की सर्विस ऐसे प्रचालक द्वारा की जायेगी जिसके पास वायुयान के रजिस्ट्रीकृत देश की सरकार द्वारा जारी किया गया था मान्य प्रमाणपत्र हो ;

परन्तु जब केन्द्र इस प्रकार नियंत्रित हो, तो प्रमाणपत्र धारण करने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति, रेडियो टेलीफोन उपस्कर का प्रयोग कर सकते हैं।

6. **सूचना भेजने पर प्रतिबन्ध :**— इन नियमो में यथा उपबंधित के अथवा केन्द्रीय सरकार की साधारण या विशेष लिखित अनुज्ञा के सिवाय, कोई व्यक्ति किसी (सेना वायुयान से भिन्न) विदेशी वायुयान पर, जब वह वायुयान भारतीय राज्यक्षेत्र या भारतीय राज्यक्षेत्र समुद्र के भीतर या ऊपर हो, कोई संदेश उस वायुयान पर बेतार तार यंत्र के माध्यम से उस देशा में नही भेजेगा जबकि और जहां कि ऐसा संदेश केन्द्रीय सरकार के तार द्वारा भेजा जा सकता है।

परन्तु इन नियमो की कोई बात, सद्भाविक अत्यावश्यक पुकार या अत्यावश्यक सूचना देने या उनका उत्तर देने के प्रयोजन पर लागू नही होगी।

7. **पारेषण यंत्र के चालन प्रतिबन्ध और शर्तें :**— (1) अभिसमय में या इन नियमों में यथा उपबंधित के या केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष लिखित अनुज्ञा के सिवाय, कोई व्यक्ति किसी (सेना-वायुयान से भिन्न) किसी वायुयान पर जब वह वायुयान भारत के राज्यक्षेत्र में या भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र के भीतर या ऊपर हो, किसी बेतार-तार के पारेषण यंत्र का चालन या प्रयोग नही करेगा सिवाय

वास्तविक उड़ान या गम्य उतराव के, और वह सिर्फ उड़ान चालू रखने या निम्नलिखित वायु सेवा के लिये आवश्यक संदेश पारेषित करने के लिये,

(क) भारत में सिविल विमानन के महा निदेशक के अनुदेशों के अनुसार भारत में के केन्द्रों की एरोनौटीकल सेवा से संबंधित ऐसी सेवा बनाये रखने के लिये, सम्पर्क को, या

(ख) जब भारतीय राज्यक्षेत्र या भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र में प्रवेश कर रहा हो या उसे छोड़ रहा हो, भारत में लगे हुये केन्द्रों से, एरोनौटीकल सेवा बनाये रखने वालों से सम्पर्क को ;

परन्तु भारतीय राज्यक्षेत्र के भीतर, ऊपर या बाहर कोई वायुयान अत्यावश्यक की दशा में, जबकि वायुयान का किसी एरोनौटीकल केन्द्र से विश्वसनीय सचार सम्पर्क न हो, कहीं भी पोत या वायुयान से सम्पर्क कर सकेगा यदि पूर्वोत्तर वायुयान का कमाण्डर यह समझे कि उसके वायुयान की सुरक्षा के लिये ऐसा सम्पर्क करना आवश्यक है।

(2) जब विदेशी युद्ध-पोत के साथ चल रहा कोई सेना वायुयान पोत से जब पोत भारत में किसी बन्दरगाह में हो सम्पर्क में हो, निम्नलिखित के अनुरोध पर पारेषण द कर देगा—

(क) केन्द्रीय सरकार ,

(ख) तार प्राधिकारी ;

(ग) कोई भारतीय नौ सेना प्राधिकारी ;

(घ) कोई पत्तन प्राधिकारी , या

(ङ) कोई स्थल केन्द्र

(3) इन नियमों की कोई बात, सदभावी अत्यावश्यक पुकार और अत्यावश्यक सूचना देने या उनका उत्तर देने के प्रयोजन पर लागू नहीं होगी :

8. **अभिसमय का पालन :—** इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, अभिसमय के उपबन्धों का, बेतार-तार चालन के लिये, जहां तक वे लागू होते हों, पालन किया जायगा।

9. **पत्र-व्यवहार को गोपनीयता बनाए रखना :—** किसी विदेशी वायुयान पर, किसी बेतार-तार के ग्रहण यंत्र का प्रयोग बेतार-तार संचारों की अप्राधिकृत प्राप्ति या अन्तररोध के लिये नहीं किया जायेगा। यदि किसी बेतार-तार यंत्र के प्रचालन के दौरान ऐसा कोई संदेश अस्वेच्छा से प्राप्त हो जाये तो केन्द्रीय सरकार की साधारण या विशेष लिखित अनुज्ञा के सिवाय उस संदेश की विषयवस्तु को बताना या उसकी विद्यमानता का सामान्य प्रकटीकरण, अन्तररोध द्वारा प्राप्त सूचना का प्रकाशन या कोई भी प्रयोग निषिद्ध है।

10. **हानिकर हस्तक्षेप पर रोक :—**किसी विदेशी वायुयान पर किसी बेतार-तार यंत्र को ऐसी रीति से नहीं चलाया जायेगा या प्रयोग में लाया जायगा जिससे रेडियो मार्गनिर्देशन सेवा या अन्य सुरक्ष सेवा के कार्यचालन को खतरा पैदा होता हो या भारत में या भारत के बाहर अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार चल रही किसी बेतार-तार यंत्र सेवा अथवा भारतीय रक्षा सेवा के किसी स्थर, स्थल या चल केन्द्रों के बीच या ऐसे केन्द्रों और किसी विदेशी केन्द्र के बीच संदेश पर उसके उत्सर्जन, विकीकरण या प्रेरणा द्वारा गम्भीर रूप से कमी, बाधा या बारबार विघ्न पड़ता हो।

11. **अपवाद :—** इन नियमों की कोई बात, किसी सदभावी विपत्ति पुकार या विपत्ति संदेश, के किसी भी ऐसी रीति से, जो ठीक समझी जाय भेजने या उनका उत्तर देने के प्रयोजन के लिये बेतार-तार यंत्र के प्रयोग को निवारित नहीं करेगी।

[सं० डब्ल्यू. एल-4(18)/69]

G. S. R. 527— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1855) and in supersession of the Indian Wireless Telegraphs (Foreign Aircraft) Rules, 1948, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Wireless Telegraphs (Foreign Aircraft) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the 1st Sept., 1973.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) 'Convention' means the International Telecommunication Convention Montreux, 1965, for the time being in force and the Radio Regulations and the Additional Radio Regulations annexed thereto, but does not include any portion of the said Convention or Regulations regarding which the Central Government makes any reservation from time to time;

(b) 'foreign aircraft' means an aircraft registered in a country other than India;

(c) 'harbour' includes a harbour (whether natural or artificial) estuary, navigable river, pier, jetty and any other work in or at which a ship can obtain shelter, or ship or unship goods or passengers;

(d) 'territorial waters' comprise—
(i) the littoral or marginal sea;
(ii) inlets exhibiting a well marked configuration such as gulfs and base and inland seas;
(iii) straits not exceeding twelve nautical miles measured from the appropriate base line.

(e) 'aeronautical station', 'aircraft station', 'distress call', 'distress message', 'fixed station', land', station', 'mobile station', 'radionavigation service', 'station', 'urgency call' and 'urgency message' shall have the meanings respectively assigned to them in the Convention.

3. **Ex-emption from the requirement of licence under the Indian Telegraph Act, 1885.**—Subject to these rules, a wireless telegraph may be established, maintained or worked on any foreign aircraft within or above Indian territories or Indian territorial waters without a licence under the Indian Telegraph Act, 1885.

4. **Requirement of licence.**—The establishment, maintenance or working of the wireless telegraph on a foreign aircraft by a private person or by any enterprise, shall be covered by a licence issued by the Government of the country in which the aircraft is registered.

5. **Operators Certificate.**—The service of a foreign aircraft station shall be performed by an operator holding a certificate issued or recognised by the Government of the country of registry of the aircraft;

Provided that where the station is so controlled, other persons besides the holder of the certificate may use the radiotelephone equipment.

6. **Restrictions on sending messages.**—Whilst any foreign aircraft (other than a military aircraft) is within or above Indian territories or Indian territorial waters, no person shall, except as provided in these rules or with the general or special permission in writing of the Central Government, send any message by a wireless telegraph on that aircraft when and where such messages can be forwarded by a telegraph of the Central Government :

Provided that nothing in this rule shall apply for the purpose of making or answering *bona fide* urgency calls and urgency messages.

7. **Restrictions and conditions for working or using transmitting apparatus.**—(1) Except as provided in the Convention or these rules or with the general or special permission in writing of the Central Government, no person shall work or use the transmitting apparatus of a wireless telegraph on any aircraft (other than a military aircraft) within or above Indian territories or Indian territorial waters except during actual flights or in case of forced landing, and then only for transmitting messages necessary for the conduct of the flight or air service,—

(a) in communication in accordance with the instructions of the Director General of Civil Aviation in India relating to acronautical services with stations in India affording such services, or

(b) when entering or leaving Indian territories or Indian territorial waters, in communication with stations in countries adjacent to India affording aeronautical services :

Provided that an aircraft within, above or outside Indian territories may, in cases of urgency, when the aircraft is not in reliable communication with an aeronautical station, communicate with a ship or aircraft any where, if the commander of the former aircraft considers that such communication is essential for the safety of his aircraft.

(2) A military aircraft accompanying a foreign ship-of-war when in communication with the ship, whilst the ship is in any harbour in India shall discontinue transmission on request from—

(a) the Central Government;

(b) the Director General of Civil Aviation in India;

(c) any Indian, Naval or Air Force Authority;

(d) any Port Authority; or

(e) any land station.

(3) Nothing contained in this rule shall apply for the purpose of making or answering *bona fide* urgency calls and urgency messages.

8. **Observance of Convention.**—Except as provided in these rules, the provisions of the Convention for the conduct of wireless telegraphs shall be observed in so far as they are applicable.

9. **Observance of secrecy of correspondence.**—The receiving apparatus of any wireless telegraph on a foreign aircraft shall not be used for any unauthorised reception or interceptin of wireless telegraph communications. If in the course of the operation of wireless telegraph, any message is involuntarily received, the divulgence of its contents, simple disclosure of its existence, publication or any use whatever, of information obtained by the interception is prohibited except by general or special permission in writing of the Central Government.

10. **Prevention of harmful interference.**—Any wireless telegraph on a foreign aircraft shall not be worked or used in such a manner which endangers the functioning of radionavigation service or of other safety services or seriously degrades, obstructs or repeatedly interrupts, by its emission, radiation or induction, any wireless telegraph service functioning within or without India in accordance with the provisions of the Convention or the wireless signalling between any fixed, land or mobile stations of Indian Defence Services or between such station and any station abroad.

11. **Exception.**—Nothing in these rules shall prevent the use of wireless telegraph for the purpose of making or answering *bona fide* distress calls or distress messages in any manner thought fit.

[No. WL-4(18)/69]

सा० का० नि० 528.—भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय बेतार-तार (विदेशी पोत) नियम, 1948 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :**—(1) इन नियमों का नाम भारतीय बेतार-तार (विदेशी पोत) नियम 1973 है।

(2) ये 1 सितम्बर, 1973 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा :**—इन नियमो मे जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'अभिसमय' से तत्समय प्रवृत्त अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार अभिसमय मोन्ट्रक्स, 1965, तथा उससे उपाबद्ध रेडियो विनियम और और अतिरिक्त रेडियो विनियम अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत उक्त अभिसमय या विनियमों का वह अंश नही आता जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार समय-समय पर कोई आरक्षण करे;

(ख) 'विदेशी पोत' से भारत से भिन्न किसी देश में रजिस्ट्रीकृत पोत अभिप्रेत है;

(ग) 'बन्दरगाह' के अन्तर्गत कोई बंदरगाह (चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम), मुहाना, नौगम्य नदी, बंगसार, जैटी या अन्य कार्यशालाएं है जहां पर पोत ठहर सकता हो या माल अथवा यात्रियों को चढ़ा या उतार सकता हो;

(घ) 'राज्यक्षेत्रीय समुद्र' मे—

(I) तटवर्ती या सीमांत समुद्र;

(II) उपखाड़ी जिससे खाड़ी और आधार और आन्तरिक समुद्र जैसी ठीक से बनी आकृति स्पष्ट होती हो;

(III) उपयुक्त आधार रेखा से नापी गई बारह नौटीकल मील से अनधिक की जलसधि;

सम्मिलित है।

(ङ) 'एरोनोटीकल केन्द्र', 'तट केन्द्र', 'विपत्ति पुकार', विपत्ति संदेश', 'स्थिर केन्द्र'; 'स्थल केन्द्र', 'यान केन्द्र', 'पत्तन केन्द्र', 'रेडियो मार्गनिर्देशन सेवा', 'विपत्ति सुरक्षा पुकार', 'सुरक्षा सूचना', 'पोत केन्द्र', 'केन्द्र', 'अत्यावश्यक पुकार' और 'अत्यावश्यक सूचना' के क्रमशः वो ही अर्थ हैं जो उन्हे अभिसमय में दिए गए है।

3. **भारतीय तार अधिनियम 1885 के अधीन अनुज्ञप्ति की अपेक्षाओं से छूट :**—इन नियमों के अधीन रहते हुए, भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र की सीमाओ के भीतर किसी भी विदेशी पोत पर भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना, बेतार-तार स्थापित, अनुरक्षित और चलाया जा सकता है।

4. **अनुज्ञप्ति की अपेक्षाएं :**—किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी उद्यम द्वारा किसी विदेशी पोत पर बेतार-तार का स्थापन, अनुरक्षण या चलाया जाना उस देश की सरकार द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन होगा जिस देश में कि वह पोत रजिस्ट्रीकृत है।

5. प्रचालक की अनुज्ञप्ति:—किसी विदेशी पोत केन्द्र की सर्विस ऐसे प्रचालक द्वारा की जाएगी जिसके पास पोत के रजिस्ट्रीकृत देश की सरकार द्वारा जारी किया गया या मान्य प्रमाणपत्र हो;

परन्तु जब केन्द्र इस प्रकार नियंत्रित हो, तो प्रमाणपत्र धारण करने वालों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति, रेडियो टेलीफोन उपस्कर का प्रयोग कर सकते हैं।

6. सूचना भेजने पर प्रतिबन्ध:—इन नियमों में यथा उपबंधित के अथवा केन्द्रीय सरकार की साधारण या विशेष लिखित अनुज्ञा के सिवाय, कोई व्यक्ति किसी (युद्ध पोत से भिन्न) विदेशी पोत पर, जब वह पोत भारतीय राज्यक्षेत्र समुद्र के भीतर हो, कोई संदेश बेतार-तार यंत्र के माध्यम से उस दशा में नहीं भेजेगा जबकि और जहां कि ऐसा संदेश केन्द्रीय सरकार के तटीय केन्द्र, जो सार्वजनिक पत्र-व्यवहार के लिए खुले हैं, द्वारा भेजा जा सकता है।

परन्तु इन नियमों की कोई बात, सद्भाविक अत्यावश्यक पुकार या अत्यावश्यक सूचना या सद्भावी सुरक्षा पुकार या सुरक्षा सूचना देने या उनका उत्तर देने के प्रयोजन पर लागू नहीं होगी।

7. पारेषण यंत्र के चालन या प्रयोग के लिये प्रतिबन्ध और शर्तें:—(1) इन नियमों में यथा उपबंधित के या केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष लिखित अनुज्ञा के सिवाय, कोई व्यक्ति किसी (युद्ध पोत से भिन्न) विदेशी पोत पर, जब वह पोत भारत में किसी बन्दरगाह में हो, किसी बेतार-तार के पारेषण यंत्र का चालन या प्रयोग नहीं करेगा।

परन्तु उक्त विदेशी पोत, जबकि वह भारत में किसी बन्दरगाह की सीमा में हो—

(i) निकटतम भारतीय तटीय केन्द्र या भारतीय पत्तन केन्द्र से सूचनाओं के आदान-प्रदान के प्रयोजनमात्र के लिए अपनी वी० एच० एफ० रेडियो टेलीफोन यंत्र का; और

(ii) रेडियो मार्ग निर्देशन के प्रयोजनार्थ अपने रडार यंत्र का, का चालन और प्रयोग कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार की साधारण या विशेष लिखित अनुज्ञा के सिवाय, कोई व्यक्ति किसी विदेशी युद्धपोत के, जब वह पोत भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र के भीतर हो या भारत में किसी बंदरगाह में हो, पारेषण यंत्र का, जिसमें रडार यंत्र सम्मिलित है, चालन या प्रयोग नहीं करेगा। अनुज्ञा मिल जाने पर ऐसे यंत्रों का चालन और प्रयोग भारतीय नौ सेना प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा;

परन्तु विदेशी युद्ध पोत, जब वह भारत मे किसी बंदरगाह की सीमा के भीतर, बेतार-तार का चलान या प्रयोग कर रहा हो, निम्नलिखित के अनुरोध पर पारेषण बंद कर देगा:—

(क) केन्द्रीय सरकार;

(ख) तार प्राधिकारी;

(ग) कोई भारतीय नौ सेना प्राधिकारी;

(घ) कोई पत्तन प्राधिकारी; या

(ङ) कोई स्थल केन्द्र

(3) इन नियमों की कोई बात, सद्भावी अत्यावश्यक पुकार या अत्यावश्यक सूचना या सद्भावी सुरक्षा पुकार या सुरक्षा सूचना देने या उनका उत्तर देने के प्रयोग पर लागू नहीं होगी।

8. बेतार-तार यंत्र का हुगली नदी में चालन:—हुगली नदी में गार्डन रीच के नीचे चल रहे विदेशी पोत पर बेतार-तार यंत्र का चालन और प्रयोग कलकत्ता रेडियो के साथ संदेशों के आदान-प्रदान के प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा।

9. बेतार-तार यंत्र का आपात प्रयोजनार्थ चालन:—(1) कोई विदेशी पोत भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र के भीतर आपात स्थिति में अत्यावश्यकता की दशा में, भारतीय राज्यक्षेत्र के भीतर, ऊपर या बाहर, किसी वायुयान के साथ उस दशा में संचार कर सकेगा जबकि वह वायुयान किसी ऐरोनोटीकल केन्द्र से विश्वसनीय संचार सम्पर्क में न हो और वायुयान का कमाण्डर यह समझे कि उसके वायुयान की सुरक्षा के लिए पोत के साथ सीधा संचार करना आवश्यक है।

(2) कोई विदेशी पोत भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र के भीतर जीवन या मार्गनिर्देशन को खतरे वाली आपात स्थिति में किसी ऐसे केन्द्र से जिससे पोत का मास्टर सीधे संचार करना पोत की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता हो, संचार कर सकेगा।

10. अभिसमय का पालन:—इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय अभिसमय के उपबंधों का, जहां तक वे लागू होते हों, पालन किया जाएगा।

11. पत्र-व्यवहार की गोपनीयता बनाए रखना:—किसी विदेशी पोत पर, किसी बेतार-तार के ग्रहण यंत्र का प्रयोग बेतार-तार संचारों की अप्राधिकृत प्राप्ति या अन्तररोध के लिए नहीं किया जाएगा। यदि किसी बेतार-तार यंत्र के प्रचालन के दौरान ऐसा कोई संदेश अस्वेच्छा से प्राप्त हो जाए तो केन्द्रीय सरकार की साधारण या विशेष लिखित अनुज्ञा के सिवाय उस संदेश की विषय-वस्तु को बताना या उसकी विद्यमानता का सामान्य प्रकटीकरण, अन्तररोध द्वारा प्राप्त सूचना का प्रकाशन या कोई भी प्रयोग निषिद्ध है।

12. हानिकर हस्तक्षेप पर रोक:—किसी विदेशी पोत पर किसी बेतार-तार यंत्र को ऐसी रीति से नहीं चलाया जाएगा या प्रयोग में लाया जाएगा जिससे रेडियो मार्गनिर्देशन सेवा या अन्य सुरक्षा सेवा के कार्य चालन को खतरा पैदा होता हो या भारत में या भारत के बाहर अभिसमय के उपबंधों के अनुसार चल रही किसी बेतार-तार यंत्र सेवा अथवा भारतीय रक्षा सेवा के किसी स्थिर, स्थल या चल केन्द्रों के बीच या ऐसे केन्द्रों और किसी विदेशी केन्द्र के बीच बेतार-संदेश पर उसके उत्सर्जन विकीरण या प्रेरणा द्वारा गम्भीर रूप से कमी, बाधा या बार-बार विघ्न पड़ता हो।

13. अपवाद:—इन नियमों की कोई बात, किसी सद्भावी विपत्ति पुकार या विपत्ति संदेश, के किसी भी ऐसी रीति से, जो ठीक समझी जाएं, भेजने या उनका उत्तर देने के प्रयोजन के लिए बेतार-तार यंत्र के प्रयोग को निवारित नहीं करेगी।

[सं० डब्ल्यू०एल-4(18)69]

G.S.R. 528.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and in supersession of the Indian Wireless Telegraphs (Foreign Ships) Rules, 1948, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and Commencement

(1) These rules may be called the Indian Wireless Telegraphs Foreign Ships) Rules 1973.

(2) They shall come into force on the 1st Sept., 1973

2. Definitions

In these rules, unless the context otherwise ruquires,—

(a) 'Convention' means the International Telecommunication Convention Montreux, 1965, for the time being in force and the Radio Regulations and the Additional Radio Regulations annexed thereto but does not include any portion of the said Convention or Regulations regarding which the Central Government makes any reservation, from time to time;

(b) 'foreign ship' means any ship registered in a country other than India;

(c) 'harbour' includes a harbour (whether natural or artificial), estuary, navigable river, pier, jetty and any other work in or at which a ship can obtain shelter, or ship or unship goods or passengers;

(d) 'territorial waters' comprise—

(i) the littoral or marginal sea;

(ii) inlets exhibiting a well marked configuration such as gulfs and base and inland seas;

(iii) straits not exceeding twelve nautical miles measured from the appropriate base line.

(e) 'aeronautical station', 'coast station', 'distress call', 'distress meassage', 'fixed station', 'land station', 'mobile station', 'port station', 'radionavigation service', 'safety call', 'safety message', 'ship station', 'station', 'urgency call and 'urgency message' shall have the meanings respectively assigned to them in the Convention.

3. Exemption from the requirement of licence under the Indian Telegraph Act, 1885

Subject to these rules, a wireless telegraph may be established maintained or worked on any foreign ship within Indian territorial waters without a licence under the Indian Telegraph Act, 1885.

4. Requirement of licence

The establishment, maintenance or working of the wireless telegraph on a foreign ship by a private person or by any enterprise shall be covered by a licence issued by the Governm ent of the country in which the ship is registered.

5. Operator's Certificate

The service of a foreign ship station shall be performed by an operator holding a certificate issued or recognised by the Government of the country of registry of the ship:

Provided that where the station is so controlled, other persons besides the holder of the certificate may use the radiotelephone equipment.

6. Restrictions on sending messages

Whilst any foreign ship (other a than a ship-of-war) is within Indian territorial waters, no person shall, except as provided in these rules or with the general or special permission in writing of the Central Government, send any message by a wireless telegraph on that ship when and where such messages can be passed through the coast station of the Central Government open for public correspondence:

Provided that nothing in this rule shall apply for the purpose of making or answering *bona fide* urgency calls or urgency messages or *bona fide* safety calls or safety messages.

7. Restrictions and conditions for working or using the transmitting apparatus

(1) Except as provided in these rules or with the general or special permission in writing of the Central Government, no person shall work or use the transmitting apparatus of a wireless telegraph on a foreign ship (other than a ship-of-war), whilst the ship is in any harbour in India:

Provided that the said foreign ship while within the limits of any harbour in India may work and use—

(i) its VHF radiotelephone appartaus for the sole purpose of exchanging messages with the nearest Indian Coast Station or Indian port staton; and

(ii) its radar apparatus for the purpose of radionavigaton.

(2) except with the general or special permission in writing of the Central Government, no person shall work or use the transmitting apparatus including radar apparatus of a foreign ship-of-war swhilst the ship is within Indian territorial waters or within any harbour in India. The work or use of such apparatus, when permitted, shall be regulated by the Indian Naval authorities:

Provided that the foreign ship-of-war when working or using a wireless telegraph while within the limits of any harbour in India shall discontinue transmission on request from :—

(a) the Central Government;

(b) the Telegraph Authority;

(c) any Indian Naval authority;

(d) any Port Authority ; or

(e) any land station.

(3) Nothing contained in this rule shall apply for the purpose of making or answering *bona fide* urgency calls or urgency messages or *bona fide* safety calls or safety messages.

8. Conduct of wireless telegraph in the River Hoogly—

A wireless telegraph may be worked or used on a foreign ship which is under way in the River Hoogly below Garden Reach for the purpose of exchanging messages with the Calcutta Radio.

9. Conduct of wireless telegraph for emergency purposes

(1) A foreign ship within Indian territorial waters may communicate with an aricraft, within, above or outside Indian territories, in cases of urgency, when the aircraft is not in reliable communication with an aeronautical station and the commander of the aircraft considers that direct communication with the ship is essential for the safety of the aircraft.

(2) A foreign ship within Indian territorial waters may communicate, during emergency involving danger to life or to navigation, with any station with which master of the ship considers that direct communication with that station is essential for the safety of his ship.

10. Observance of Convention

Except as provided in these rules, the provisions of the Convention shall be obseveved in so far as they are applicable

11. Observance of secrecy of correspondence

The receiving apparatus of any wireless telegraph on a foreign ship shall not be used for any unauthorised reception or interception of wireless telegraph communications.

If in the course of the operation of wireless telegraph, any message is involuntarily received, the divulgence of its contents, simple disclosure of its existence, publication or any use whatever, of information obtained by the interception is probihited except by general or special permission in writing of the Central Government.

12. Prevention of harmful interference

Any wireless telegraph on a foreign ship shall not be worked or used in such a manner which endangers the functionn g of radionavigation service or of other safety services or seriously degrades, obstructs or repeatedly interrupts, by its emission, radiation or induction, any wireless telegraph service functioning within or without India in accordance with the provisions of the Convention or the wireless signalling between any fixed, land or mobile stations of Indian Defence Services or between such stations and any station abroad.

13. Exception

Nothing in these rules shall prevent the use of wireless telegraph for the purpose of making or answering *bona fide* distress calls or distress messages in any manner thought fit.

[No. WL-4(18)/69]

सा० का० नि० 529.—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय बेतार टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक प्रवीणता प्रमाण पत्र और बेतार टैलीग्राफी के प्रचालन की अनुज्ञप्ति) नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय बेतार टैलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक प्रवीणता प्रमाणपत्र और बेतार टैलीग्राफी के प्रचालन की अनुज्ञप्ति) संशोधन नियम, 1973 है ।

(2) ये 1 सितम्बर, 1973 को प्रवृत्त होंगे ।

2 भारतीय बेतार टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक प्रवीणता प्रमाणपत्र और बेतार टैलीग्राफी के प्रचालक की अनुज्ञप्ति नियम, 1954 जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 7 में, फीस के मापमान में,—

(1) मद (i) में, "25" अंकों के स्थान पर, "40" अंक रखे जायेंगे;

(2) मद (ii) में, "20" अंकों के स्थान पर, "30" अंक रखे जायेंगे;

(3) मद (iii), (iv) और (v) में, "15" अंकों के स्थान पर, "20" अंक रखे जायेंगे ।

3. उक्त नियम के नियम 10 में, परन्तुक के खण्ड (i) में, "3" अंक के स्थान पर, "5" अंक रखे जायेंगे ।

4. उक्त नियम के नियम 11 के उपनियम (2) में,—

(1) मद (i) में "3" अंक के स्थान पर, "5" अंक रखा जायगा ।

(2) मद (ii) में,—

(i) उपखण्ड (क) में, "55" अंक के स्थान पर, "7.50" अंक रखे जायेंगे ;

(ii) उपखण्ड (ख) में, "10" अंकों के स्थान पर, "15" अंक रखे जायेंगे;

(iii) उपखण्ड (ग) में, "20" अंकों के स्थान पर, "25" अंक रखे जायेंगे ।

[सं० आर–11013/2/72–एल० आर०]

एम० के० राव, सहायक बेतार सलाहकार

G.S.R. 529.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operators Certificates of Proficiency and Licence to operate Wireless Telegraphy) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operators Certificates of Proficiency and Licence to operate Wireless Telegraphy) Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the 1st September, 1973.

2. In rule 7 of the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operators Certificates of Proficiency and Licence to operate Wireless Telegraphy) Rules, 1954 (herinafter referred to as the said rules), in the scale of fees—

(1) in item (i), for the figures "25", the figures "40" shall be substituted ;

(2) in item (ii), for the figures "20", the figures "30" shall be substituted ;

(3) in items (iii), (iv) and (v), for the figures "15", the figures "20" shall be substituted.

3. In rule 10 of the said rules, in clause (i) of the proviso, for the figures "3", the figure "5" shall be substituted.

4. In sub-rule (2) of rule 11 of the said rules,—

(1) in item (i), for the figure "3", the figures "5" shall be substituted ;

(2) in item (ii),—

(i) in sub-clause (a), for the figure "5", the figure "7.50" shall be substituted ;

(ii) in sub-clause (b), for the figures "10", the figures "15" shall be substituted ;

(iii) in sub-clause (c), for the figures "20", the figures "25" shall be substituted.

[No. R-11013/2/72-LR]

M.K. RAO, Assistant Wireless Adviser

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(सीमा पथ विकास बोर्ड)

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1973

सा. का. नि. 530.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अधीन सीमा पथ विकास बोर्ड में अनुभाग अधिकारी (लेखा अपवर्जित) लेखा अधिकारी (अपवर्जित) तथा सहायक (लेखा) अपवर्जित पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम सीमा पथ विकास बोर्ड (वर्ग 2 तथा वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1973 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से लेकर 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं** :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से लेकर 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निर्हताएं** :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हों उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों/पदों के बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई भी बात उन आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हतायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. अनुभाग अधिकारी (लेखा) (अपवर्जित)	3	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II, राजपत्रित अनुसचिवीय	350-25-500-30-590-द० रो० 30-800-द० रो०-30-830-35-900	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2. लेखा अधिकारी (अपवर्जित)	3	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II, राजपत्रित अनुसचिवीय	590-30-830-35-900	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3. सहायक (लेखा) (अपवर्जित)	16	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II, अराजपत्रित अनुसचिवीय	210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें/प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशत प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	निम्नलिखित से लेखा अधिकारी वर्ग में स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर : (i) भारतीय रक्षा लेखा विभाग (ii) भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग (iii) भारतीय रेल लेखा विभाग ; और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों और वर्ग में 8 वर्ष की स्वीकृत सेवा वाले स्थाई सहायक, जिन्हें, बजट तथा लेखा कार्यों का अनुभव प्रतिनियुक्ति की अवधि हो। साधारणतया 3 वर्ष से अधिक न हो।	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है।
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	निम्नलिखित से लेखा अधिकारी वर्ग में से ऐसे व्यक्ति, जिन्हें निर्माण कार्यों तथा भण्डार, बजट का अनुभव हो, स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर : (i) भारतीय रक्षा अधिकारी विभाग (ii) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (iii) भारतीय रेल लेखा विभाग (प्रतिनियुक्ति की	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक न हो)।		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	निम्नलिखित विभागों से लेखाकार/अधीक्षक लिपिक वर्ग में से स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर (i) भारतीय रक्षा अधिकारी विभाग (ii) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (iii) भारतीय रेल लेखा विभाग (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक न हो)। (iv) सामान्य आरक्षण इन्जीनियरी बल, और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा से उच्च श्रेणी लिपिकों में से ऐसे व्यक्ति जिसकी सम्बन्धित वर्ग में 5 वर्ष की सेवा हो और जिसे बजट और लेखा कार्यों का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक न हो)।	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है।

[सं. एफ. 1(12)/बी. आर. डी. बी./70]
एम. बी. नायर, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Border Roads Development Board)

New Delhi, the 26th April, 1973

G.S.R. 530.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Section Officer (Accounts) (Excluded), Accounts Officer (Excluded), and Assistant (Accounts) (Excluded) in the Border Roads Development Board under the Ministry of Shipping & Transport namely :—

1. **Short title and commencement :**—(1) These rules may be called Border Roads Development Board (Class II Posts) Recruitment Rules 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number of posts, Classification and Scale of Pay.**—The number of the said posts, their Classification and the Scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2, 3 and 4 of the said Schedule.

4 **Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters :**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in Columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualifications :**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts, provided the Central Govt. may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal Law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax :**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons/posts.

7 **Saving :**—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories in accordance with the orders issued by Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Section Officer (Accounts) (Excluded)	3	General Central Service Class II, Gazetted, Ministerial	Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
2. Accounts Officer (Excluded)	3	General Central Service Class II, Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 590-30-830-35-900	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
3. Assistant (Accounts) (Excluded)	16	General Central Service Class II, Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 210-10-270-15-300-EB-15-450-EB-20-530.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13
Not applicable	By transfer on deputation from grades of Accounts Officer from :— (i) Indian Defence Accounts Department; (ii) Indian Audit and Accounts Department; (iii) Indian Railway Accounts Department; and Section Officers of the Central Secretariat Service and permanent Assistants with eight years approved service in the grade who have experience in Budgeting and Accounts work. (Period of deputation— ordinarily not exceeding 3 years).		Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.
Not applicable	By transfer on deputation from the grade of Accounts Officer with Works and Stores Budget experience from :— (i) Indian Defence Accounts Department; (ii) Indian Audit and Accounts Department; (iii) Indian Railway Accounts Department. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).		Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.
Not applicable	By transfer on deputation from the grade of Accountants/Superintendents clerical from :— (i) Indian Defence Accounts Departments; (ii) Indian Audit and Accounts Departments; (iii) Indian Railway Accounts Departments; (iv) General Reserve Engineer Force; and Assistants of Central Secretariat Service and permanent Upper Division Clerks of Central Secretariat Clerical Service with 5 years service in the grade who have experience in Budgeting and Accounts work. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).		Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. F. 1 (12)/BRDB/70]
M. B. NAIR, Under Secy.

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 5 मई, 1973

सा. का. नि. 531.—यतः वाणिज्य नौवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 332 की उपधारा (5) द्वारा यथापेक्षित वाणिज्य नौवहन (अनाज वाहन) नियम, 1969 का प्रारूप भारत सरकार के भूतपूर्व नौवहन और परिवहन सं. सा. का. नि. 188 दिनांक 22 जनवरी, 1969 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) दिनांक 1 फरवरी, 1969 के 408 से 423 पृष्ठों पर प्रकाशित किया गया था तथा जिसमें उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप तथा सुझाव 10 मार्च, 1969 तक आमंत्रित किये गए थे जिनका तद्द्वारा प्रभावित होना सम्भव्य था,

और यतः तद्द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ उक्त प्रारूप नियमों को फिर से प्रकाशित करना वांछनीय समझा गया है,

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 331 ए की उपधारा (1), धारा 332 की उपधारा (5) और धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वाणिज्य नौवहन (अनाज-वहन) नियम, 1954 का अतिक्रमण करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा उन सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ नियम बनाने का प्रस्ताव करती है जिनके तद्द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है और एतद्-द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 332 की उपधारा (5) के अनुसार प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की समाप्ति पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.**—(1) ये नियम वाणिज्य नौवहन (अनाज वहन) नियम 1973 कहे जा सकेंगे।

(2) ये तुरन्त प्रवृत होंगे।

(3) जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो ये—

(क) सब भारतीय पोतों को,

(ख) भारतीय पोतों से भिन्न पोतों को तब लागू होंगे जब—

(1) वे भारत के किसी पत्तन या स्थान पर या भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में अनाज से लादे जाते हों; या

(2) वे अनाज से लदे हुए भारत के किसी पत्तन या स्थान में प्रविष्ट हों या भारत राज्यक्षेत्रीय समुद्र में आए।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में अब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(1) "अधिनियम" से वाणिज्य नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है;

(2) कक्ष से फ्लका या स्थोरा —जगह, जो प्रत्येक सिरे पर पोत भीतों से परिबद्ध हो और जिसके ऊपर और नीचे डेक हो, अभिप्रेत है,

(3) "संभरक" से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सनिर्मित संभरक अभिप्रेत है ;

(4) "अनाज" के अन्तर्गत गेहूं, मक्की या मक्का, जस, राई जौ, चावल, दालें और बीज हैं ,

(5) "चल केन्द्री ऊंचाई" से अनुप्रस्थ चलाकेन्द्र ( ) और गुरूत्व केन्द्र ( ) के बीच की वह दूरी अभिप्रेत है जो बंकियों में द्रव के रिक्त स्थान प्रभागों के लिए और नियम 5 के प्रयोजनों के लिए संभरकों में अनाज के रिक्त स्थान प्रभागों के लिये शुद्धकृत है;

(6) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(7) "रोक तख्तों" से द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार संनिर्मित रोक तख्ते अभिप्रेत है;

(8) "थाम" से तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप थाम अभिप्रेत है,

(9) "तार-रस्सियां" से वे तार-रस्सियां अभिप्रेत है जिनकी फिटिंग चौथी अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुरूप है ,

(10) "उर्ध्वखम्बे" से वे उर्ध्वखम्बे अभिप्रेत है जिनकी फिटिंग पांचवी अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुरूप है ।

3. **समतलन.**—उन कक्षों में जो खुले अनाज से पूरी तरह भरे है, अनाज का इस प्रकार समतलन किया जाएगा जिससे धरनों और पाश्वों में और सिरे के स्थानों के बीच की जगह भर जाए ।

4. **पूरे कक्ष का नौभरण.**—(1) इसमें, इसके पश्चात् उपबन्धित के सिवाए, कोई कक्ष जो खुले अनाज से पूरी तरह से भरा हुआ हो, वह—

(क) ऐसी लम्बी पोतभीत या रोक तख्तों द्वारा विभाजित किया जाएगा जो मध्य रेखा से लगे हुए हों या पोत की मोल्डेड चौड़ाई के पांच प्रतिशत से अधिक हट कर न हो; या

(ख) पोत की मध्य रेखा से हट कर लगे लंबे पोतभीत या रोक तख्तों द्वारा विभाजित किया जाएगा,

परन्तु उनके बीच की दूरी पोत की मोल्डेड चौड़ाई के 60 प्रतिशत से अधिक न हो और पश्चात कथित दशा में आड़ी पोत-भीतों से 3.66 मीटर से अनधिक दूर रखे हुए सिरे के समतलन विपाटों सहित 7.62 मीटर से अनधिक लम्बान अंतरालों में पाशवों में यथोचित रूप से रखे हुए समतलन विपाटों की व्यवस्था की जाये ।

(2) हर दशा में लंबी पोतभीत या रोक तख्ते उचित तौर पर सनिर्मित किये जाएंगे और धरनों की बीच उचित फिटिंग द्वारा ऐसे फिट किये जाएंगे कि वे अनरुद्ध होंगे ।

(3) क-किसी कक्ष में जो पलका हो लम्बी पोतभीत या रोक तख्ते डेक के निचली तरफ से नीचे की ओर फ्लके की कम से कम एक तिहाई गहराई या 2.44 मीटर दूरी इनमें जो भी अधिक हो, तक विस्तारित होंगे ।

ख-कक्षों में टिवन डेक और अधिसंरचना के या फ्लकों से भिन्न किसी कक्ष में ऐसी लम्बी पोतभीत या रोक तख्ते एक डेक से दूसरे डेक तक विस्तारित होंगे ।

(4) उप नियम (1), (2) और (3) के उपबंध निम्नलिखित को लागू होंगे :—

(क) फ्लका से भिन्न किसी कक्ष को यदि बोरों में बन्द अनाज या इसमें अन्य यथोचित स्थोरा चौड़ाई तक जो किसी स्थान पर पोत की तत्संबंधी चौड़ाई के 20 प्रतिशत से अन्यून हो पाशवों में कस कर नौभरित किया गया है,

(ख) कक्षों के भागों को जहां ऐसे भागों में डेक हैंड की अधिकतम चौड़ाई पोत की मोल्डेड चौड़ाई के आधे से अधिक न हो,

(ग) खुली अलसी से लदे हुए कक्षों की बाबत के सिवाए किसी कक्ष के उन भागों का जो एक डेक या दो डेक वाले पोत की दशा में वे पोत जो समुद्र यात्रा के आद्यौपान्त 0.31 मीटर से अन्यून की और अन्य पोतों की दशा में 0.36 मीटर से अन्यून की चल केन्द्रीय ऊंचाई बनाए रखते हैं, जो

(1) संभरक से नीचे है और 2.13 मीटर के अन्दर किन्तु जो विपाट मार्ग से केवल नीचे या बराबर है यदि उस संभरक में या कक्ष को सामूहिक रूप से संभरक में या कक्ष को सामूहिक रूप से संभरित करने वाले भी संभरकों में उस अनाज की मात्रा के पांच प्रतिशत से अन्यून मात्रा है जो संभरित किये गये कक्ष में वहन किया जाता है ।

(2) विपाट मार्ग के नीचे या बराबर है जहां विपाट मार्ग के नीचे खुला अनाज तश्तरी के आकार में विपाट मार्ग से पूरे डेक हैंड तक से अन्यून की तश्तरी के केन्द्र में 1.83 मीटर की गहराई में जो डेक लाइन के नीचे मापी जायगी कस कर समतलित किया गया है और बोरों में बन्द अनाज से या अन्य बोरों में बन्द स्थोरा से इस प्रकार पूरा भर दिया गया है कि विपाट मार्ग और उसके नीचे की तश्तरी पर जाए और डेक हैंड लम्बी पोतभीतों विपाट मार्गधरन और विपाट मार्ग बगलों और सिरे की अड़्वालों के साथ कस कर नौभरित किया गया है ।

5. **संभरक.**—(1) किसी कक्ष में जो खुले अनाज में पूरी तरह भरा हुआ है संभरकों की व्यवस्था की जाएगी जो प्रथम अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुसार या ऐसी अन्य अपेक्षाओं के अनुसार सन्निर्मित किये जाएंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित करें ।

(2) ऐसे संभरक इस प्रकार स्थित किये जाएंगे जिससे कि उस कक्ष के जिसमें खुला अनाज है सभी भागों में अनाज का निर्बाध रूप से जाना सुनिश्चित हो सके ।

परन्तु संभरक निम्नलिखित दशाओं में अपेक्षित नहीं होंगे:—

(क) जब खुला अनाज गहरी टंकियों में वहन किया जाता हो जो प्राथमिक रूप से द्रवों को वहन करने के लिए सन्निर्मित है और जिनकी अधिकतम चौड़ाई पोत की मोल्डेड चौड़ाई के आधे से अधिक न हो या जो एक या अधिक इस्पात के स्थायी लम्बे खण्डों द्वारा विभाजित हो जो पोत की मोल्डेड चौड़ाई के आधे से अधिक दूरी पर स्थित हो किन्तु शर्त यह है कि टंकियों या टंकियों के विपाट मार्ग पूरी तरह भरे हों और टंकियों के ढक्कन मजबूती से बन्द किये गये हों ।

(ख) जब खुला अनाज तश्तरी के आकार में विपाट मार्ग से परे डेक हैंड तक तश्तरी के केन्द्र में 1.83 मीटर से अन्यून की गहराई में, जो डेक लाइन के नीचे मापी जाएगी, कस कर समतल किया गया हो और बोरों में बन्द अनाज से या अन्य बोरों में बन्द स्थोरा से इस तरह पूरा भर दिया गया हो कि विपाट मार्ग और उसके नीचे तश्तरी भर जाये और डेक हैंड. लम्बी पोत-भीत विपाट धरन और विपाट बगलों और सिरे की अड़वालों के साथ कस कर नाँभरित किया गया हो ।

(3) उपनियम (4) के खण्ड (ग) के उपखंड (1) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक संभरक में कक्ष के उस भाग के जिस को यह संभरित करता है, डेक तल से नीचे वहन किये जाने वाले अनाज की मात्रा का 2 प्रतिशत से अन्यून अनाज होगा ।

(4) प्रत्येक संभरक की पूरी गहराई तक लम्बे पोत-भीत या रोक तख्ते फिट किये जाएंगे ।

परन्तु ऐसे लम्बे पोत-भीत या रोक तख्ते उन एक डेक या दो डेक वाले पोतों में जो पूरी समुद्र यात्रा में 0.31 मीटर की चल केन्द्रीय ऊंचाई बनाए रखते हैं, तब फिट किया जाना आवश्यक नहीं होगा :—

(1) यदि उस संभरक में या किसी कक्ष को सामूहिक रूप से संभरित करने वाले सभी संभरकों में उस अनाज की मात्रा के पांच प्रतिशत से अन्यून मात्रा हो जो उस कक्ष में डेक तल से नीचे वहन किया जाता है,

(2) यदि संभरित किये गये कक्ष के आयतन के 2 प्रतिशत तक अनाज की धसन से अनाज रिक्त स्थान का तल डेक तल पर संभरक या संभरकों के लिए निचले छोर से नीचे न गिरे,

(3) यदि खुले अनाज तल के क्षैतिज के साथ 12 डिग्री कोण का पटाव उस तल को डेक तल पर के संभरकों के निचले छोरों से नीचे नहीं गिराएगा ।

स्पष्टीकरण:—इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए संभरकों में मध्य-रेल विभाजनों के लोप होने के कारण अनाज के अतिरिक्त रिक्त स्थान के प्रभावों को नियम 4 के उप-नियम 4 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट चल केन्द्रीय ऊंचाई की संगणना करते समय की शुद्धि छठी अनुसूची में उपवर्णित सूत्र के अनुसार की जाएगी ।

6. सामान्य लदान:—किसी पोत में जब एक के ऊपर एक कक्ष अनाज से पूरी तरह भरे जाने हैं ऐसे कक्ष एक कक्ष के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन लादे जा सकते हैं अर्थात् :—

(क) नियम 4 के उपनियम (4) के खंड (ग) में उपबंधित के सिवाए एक लम्बी पोत-भीत या रोक तख्ते :—

(1) दो डेक वाले पोत के टि्वन डेक में डेक से डेक तक,

(2) अन्य सभी पोतों की दशा में सामान्य रूप से लदान किये कक्षों की कुल गहराई की ऊपरी एक-तिहाई भाग में लगाए जाएंगे ।

(ख) सामान्य रूप से लदान किये गये कक्षों के सबसे ऊपर के डेक के ठीक नीचे के डेक के पार्श्व में मुख्य विपाट मार्ग के आगे और पीछे कम से कम 0.37 वर्ग मीटर के छिद्र रखे जाएंगे । ऐसे छिद्र मुख्य या अन्य विपाट मार्गों के साथ आगे और की रेखा में मापी गई 2.44 मीटर से अनधिक की संभरण दूरी होगी ।

(ग) नियम 5 और 7 के उपबंध सामान्य रूप से लदान किए गए कक्षों को इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे एक ही कक्ष हैं ।

7. सिरे के कक्षों को समतल करना और बोरों से भरना:—(1) जब किसी फ्लके या कक्ष के किसी भाग से निकटतम संभरक तक आगे पीछे की रेखा में मापी गई दूरी निकटतम संभरक से 7.62 मीटर से अधिक हो जाती है तब 7.62 मीटर से अधिक से परे सिरों के स्थानों में खुला अनाज डेक से नीचे कम से कम 1.83 मीटर की गहराई तक चौरस कर दिया जाएगा और सिरों के स्थान यथोचित प्लेटफार्म पर रखे हुए बोरों में बन्द अनाज से नाँभरित कर दिए जाएंगे ।

(2) ऐसा प्लेटफार्म नियम 8 की अपेक्षाओं के अनुसार संरचित किया जाएगा ।

8. भागतः भरे हुए कक्षों का नाँभरण:—(1) इसमें इसके पश्चात् उपबंधित के सिवाए कोई कक्ष को खुले अनाज से भागतः भरा है या तो

(क) (1) लम्बी पोत भीत से, या

(2) रोक तख्तों से,

पोत की मध्य रेखा से मोल्डेड चौड़ाई के साथ-साथ या उसके पांच प्रतिशत से अनधिक तक विभाजित किया जाएगा, या

(ख) पोत की मध्य रेखा से पटकर:—

(1) दो या अधिक लम्बी पोत-भीत से, या

(2) रोक तख्तों से,

विभाजित किया जाएगा :—

परन्तु उनके बीच की दूरी पोत की मोल्डेड चौड़ाई के साठ प्रतिशत से अधिक न हो ।

(2) प्रत्येक कक्ष में लम्बी पोत भीत या रोक तख्त उचित रूप से सन्निर्मित किये जाएंगे और कक्ष के तल से खुले अनाज की सतह के ऊपर 0.61 मीटर से अन्यून की ऊंचाई तक जाएंगे ।

(3) उपनियम (1) और (2) के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :—

(क) वह कक्ष जो अलसी से भिन्न अनाज भागतः भरा है जहां :—

(1) एक डेक या दो डेक पोत की दशा में, पूरी समुद्र यात्रा के दौरान 0.31 मीटर से अन्यून की चल केन्द्रीय ऊंचाई बनाए रखी जाती है, या

(2) अन्य पोत की दशा में, पूरी समुद्र यात्रा के दौरान 0.36 मीटर से अन्यून की चल केन्द्रीय ऊंचाई बनाए रखी जाती है ।

(ख) कोई कक्ष, जो फ्लका है, यदि उसमें का खुला अनाज फ्लके की धारिता के एक-तिहाई से या जहां ऐसा फ्लका शाफ्ट टनल द्वारा विभाजित किया गया है, वहां उस फ्लके की धारिता के आधे से अधिक नहीं होगा ।

(ग) फ्लकें से भिन्न कक्ष यदि उसमें बोरों में बन्द अनाज या अन्य यथोचित स्थोरा पार्श्वों में किसी बिन्दु, पर पोत की तत्स्थानी चौड़ाई के बीस प्रतिशत से अन्यून की चौड़ाई में कस कर नौभरित हैं ।

(घ) कक्ष के वे भाग जहां ऐसे भागों में डैक हैंड की अधिकतम चौड़ाई पोत की मोल्डेड चौड़ाई के आधे से अधिक नहीं है ।

(4) जब कोई कक्ष खुले अनाज से भागतः भरा है सब खुला अनाज चौरस कर दिया जाएगा और इनके ऊपर बोरों में बन्द अनाज या अन्य यथोचित स्थोरा कस कर रख दिया जाएगा और जो खुले अनाज की ऊपरी सतह से कक्ष के उन भागों में जो लम्बी पोत मीतों या रोक तख्तों से विभाजित हैं, 1.22 मीटर से अन्यून की ऊंचाई तक और कक्ष के उन भागों में जो इस प्रकार विभाजित नहीं हैं 1.52 मीटर की ऊंचाई तक होगा ।

परन्तु उस कक्ष की दशा में जो ऐसे पलका है जिसमें खुला अनाज फ्लके की धारिता के एक-तिहाई से अधिक या जहां ऐसी फ्लका शाफ्ट टनल द्वारा विभाजित है वहां उस फ्लके की धारिता के आधे से अधिक नहीं हैं, बोरों में बन्द अनाज या अन्य यथोचित स्थोरा की गहराई 1.22 मीटर से अन्यून होगी ।

(5) बोरों में बन्द अनाज या अन्य यथोचित स्थोरा खुले अनाज के सम्पूर्ण तल पर बने हुए यथोचित प्लेटफार्म पर रखा जायेगा और ऐसे प्लेटफार्म में :—

(क) पट्टियां जो एक-दूसरी से 1.22 मीटर की दूरी से अधिक नहीं होंगी और उस पर 25 मिलीमीटर वाले तख्ते रखे जायेंगे जो एक-दूसरे से 0.10 मीटर से अनधिक दूरी पर हों, या

(ख) मजबूत पृथक्कारी कपड़े जो पर्याप्त रूप से एक-दूसरे पर चढ़े होंगे ।

9. भागतः भरे हुए कक्षों की संख्या की परिसीमाः—(1) उन पोतों की दशा में, सिवाय जिसमें पूरी समुद्र यात्रा के दौरान, एक डैक या दो डैक वाले पोतों की दशा में 0.31 मीटर से अन्यूनतम की या अन्य पोतों की दशा में 0.36 मीटर से अन्यून की चल केन्द्रीय ऊंचाई बनाए रखी जाती है, से अधिक कक्ष खुले अनाज से भागतः नहीं भरे जायेंगे सिवाय इसके कि अन्य कक्ष खुले अनाज से भागतः भरे जा सकते हैं यदि वे डैक हैंड तक बोरों में बन्द या अन्य स्थोरा से भरे हुए हैं ।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए :—

(क) अध्यारोपित ट्विन डैक पृथक कक्ष और उनके नीचे के किसी निचले फ्लके से पृथक समझे जाएंगे ।

(ख) नियम 10 के खंड (ग) में निर्दिष्ट संभरक और भागतः भरी गई जगहें, कक्ष नहीं समझी जाएंगी, और

(ग) फ्लके और कक्ष जिनमें एक या अधिक अन्न रोक उपखंड हैं, एक फ्लका या कक्ष समझा जाएगा ।

10. ट्विन डैकों और अधिसंरचनाओं में खुला अनाजः—खुला अनाज उन कक्षों में जो पोत की अधिसंरचना या दो डैक वाले पोत ट्विन डैकों या दो डैक से अधिक वाले पोत के सबसे ऊपर के ट्विन डैकों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन के सिवाय, भरा नहीं किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) खुला अनाज या अन्य स्थोरा इस प्रकार कस कर नौभरित किया जायेगा कि अधिकतम स्थिरता सुनिश्चित हो जाए ।

(ख) सभी दशाओं में या तो पूरी समुद्र यात्रा के दौरान एक डैक या दो डैक वाले पोत में 0.31 मीटर से अन्यून की या अन्य पोतों की दशा में 0.36 मीटर से अन्यून की चल केन्द्रीय ऊंचाई बनाई रखी जाती हो या अनुकल्पतः ऐसे कक्षों में वहन किये गये खुले अनाज या अन्य स्थोरा की कुल मात्रा शेष स्थोरा से भार के आधार पर अट्ठाईस प्रतिशत से अधिक न हो और मास्टर का समाधान हो जाता है कि पोत पूरी समुद्र यात्रा के दौरान यथोचित स्थिरता रखेगा;

परन्तु, इस खंड में विनिर्दिष्ट अट्ठाईस प्रतिशत का निबंधन तब लागू नहीं होगा जब डैक के ऊपर या सबसे ऊपर के ट्विन डैक जगहों में वहन किया गया अनाज स्थोरा जई, जौ या बिनौला हो:

(ग) ऐसे कक्षों के जिनमें खुला अनाज है और जो केवल भागतः भरे हुए हैं किसी भाग का, डैक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर से अधिक न हो ;

(घ) ऐसे सब कक्षों में जिनमें खुला अनाज नौभरित किया गया है, जो या तो 30.50 मीटर से अनधिक के अंतरालों पर आड़ी पोतभीत द्वारा उप-विभाजित हों या जब यह दूरी बढ़ जाती हो तो अतिरिक्त स्थान बोरे में बंद अनाज या अन्य यथोचित से पूर्णरूप से भरा हो ।

11. विशेष रूप से उपयुक्त पोतों का नौभरणः—(1) नियम 4 से 10 तक, जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं, के उपबंध ऐसे किसी पोत को लागू नहीं होंगे जिसमें अनाज के किसी अनुप्रस्थ हटाव का प्रभाव, लम्बे खण्डों के द्वारा या संरचनात्मक आकारों द्वारा ऐसी सीमा तक परिसीमित है कि अनाज के हटाव के फल-स्वरूप उपनियम (2) में की गई उपधारणाओं के आधार पर संगणित झुकाव समुद्र यात्रा के किसी भी प्रक्रम में 5 डिग्री से अधिक नहीं होता ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट पोत के झुकाव की संगणना करने में यह उपधारणा की जाएगी कि वे अनाज तल जो चौरस कर दिये हैं या जो क्षितिज से 30 डिग्री से कम की जानति के कोण वाली सीमा से निरुद्ध हैं, आयतन में 2 प्रतिशत और इसके अति-रिक्त अपने मूल तल के साथ 12 डिग्री के कोण से या यदि अति-नौभरित हो तो 8 डिग्री के कोण से नियम 8 के उपनियम (4) और (5) के अनुसरण में, बैठ जाते हैं ।

(3) ऐसा प्रत्येक पोत जिसको नियम 4 से 10 तक जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं, के उपबंध लागू नहीं होते, अनाज लदान योजना और पर्याप्त स्थिरता सूचना यह दर्शित करने के लिए रखेगा कि अपनाई जाने वाले नौभरण प्रबन्धों के लिए, उपनियम (1) में निर्दिष्ट झुकाव अधिक नहीं होगा ।

12. जल नीरम टंकियां:—दोहरी तली की टंकियों में जो नियम 4, 5, 8, 9, और 10 में निर्दिष्ट चल केन्द्रीय ऊंचाई की संग-णना करने के नियम 11 में निर्दिष्ट झुकाव की संगणना करने में लेखे में ली गई हैं, पर्याप्त जल-रोधी लम्बे उपखण्ड होंगे, सिवाय वहां कि जहां आधी लम्बाई पर मापी गई टंकी की चौड़ाई के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होती ।

13. बोरों में बन्द अनाजः—बोरों में बन्द अनाज, मजबूत बोरों में जो मजबूती से बन्द किये गये हों, ले जाया जायेगा और नियम 16 के परन्तुक की मद (ख) की उप मद (2) में उपबंधित के सिवाय अच्छी तरह भी होंगे ।

14. **देशीय व्यापार पोतों की लदानः**—दो डैक वाले पोत के ट्विन डैकों में या डैकों से अधिक वाले पोत की सबसे ऊपरी के ट्विन डैकों में खुले अनाज के नौभरण की बाबत के सिवाय इन नियमों के पूर्वगामी उपबंध नियम 15 और 16 के उपबंधों के अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए ऐसे किसी देशी व्यापार पोत समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरणः—इन नियमों के प्रयोजन के लिए कोई पोत जो भारत में किसी पत्तन या स्थान पर भारत के ही किसी अन्य पत्तन या स्थान में समुद्र यात्रा के लिए भागतः खाली कर दिया गया है, देशीय व्यापार पोत समझा जायेगा ।

15. **देशीय व्यापार पोत में पूरे कक्षों का नौभरणः**—देशीय व्यापार पोतों में किसी कक्ष का जो पूरी तरह खुले अनाज से भरा है, नौभरण इस प्रकार से होगाः—या तो विपाट मार्ग में, डैक तल के नीचे से उस कक्ष में, जिसे वह संभरित करता है, वहन किये गये खुले अनाज की मात्रा के 4 प्रतिशत से अन्यून मात्रा होगी या अनुकल्पतः विपाट मार्ग के नीचे का खुला अनाज एक तश्तरी के आकार में समतलित किया जायेगा और उसके ऊपर बोरों में बंद अनाज या बोरों में बन्द अन्य यथोचित स्थोरा नियम 4 के उप-नियम (4) के खण्ड (ग) के उपखंड (2) में विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा, सिवाय इसके कि किसी ऐसे पोत की बाबत, जो सातवीं अनुसूची में यथापरिभाषित, साफ मौसम की ऋतु के दौरान समुद्र यात्रा कर रहा है, कक्ष में पोत भीत या रोक तख्ते न लगे हों ।

16. **देशीय व्यापार पोतों के भागतः भरे गये कक्षों का नौभरणः**—देशीय व्यापार पोतों, किसी ऐसे कक्ष का नौभरण जो खुले अनाज से भागतः भरा गया है नियम 8 के उपबंधों का अनुपालन करते हुए होगा ।

परन्तु दो से अनधिक कक्ष निम्नलिखित रीतियों में से किसी के द्वारा नौभरित किये जा सकते हैं, अर्थातः—

(क) खुला अनाज चौरस किया जायेगा और इसके ऊपर बोरों में बन्द अनाज पृथक्कारी कपड़ों पर कम से कम दो तहों में या अन्य यथोचित स्थोरा, प्लेटफार्म या पृथक्कारी कपड़ों पर नौभरित किया जायेगा ।

(ख) (1) फलके में खाली स्थान से खुला अनाज निम्नलिखित रीतियों में से एक के द्वारा विभाजित किया जायेगा, अर्थात :—

रीति 1:—कक्ष के अगले भाग में काष्ठ की अनुप्रस्थ ऊर्ध्वाधर अन्तरोक पोतभीत और इस प्रकार फिट की जायेंगी कि जिससे अनाज के नौभरण के लिए अपेक्षित कक्ष की धारिता घट जाये ।

रीति 2:—बोरों में बन्द अनाज की मजबूती से और कस कर संरचित अनुप्रस्थ ऊर्ध्वाधर पोतभीत प्रयुक्त की जायेगी । पोतभीत में आगे और पीछे की दिशा में बोरों की पर्याप्त पंक्तियां होंगी जिससे कि वह समुद्र यात्रा के दौरान पिचिंग और स्कैडिंग के प्रभावों को सहन कर सके । इसकी नींव कक्ष के फर्श पर होगी और बोरों की चार से अन्यून कतारों को मिला-कर बनी होगी । यह अपेक्षित चार कतारें संकरी होकर ऊपर दो कतारों तक ही हो सकती हैं परन्तु यह तब कि अपेक्षित आलम्ब के लगाने और बनाए रखने के लिए केवल दो कतारें पर्याप्त समझी जाएं ।

रीति 3:—अनाज के बोरों की एक सीढ़ीनुमा ढलवा पोतभीत बनाई जाएगी । बोरे एक-दूसरे के साथ पैक कर दिये जाएंगे और अनाज में आगे और पीछे की दिशा में जमा दिये जाएंगे । वे लिटाकर रखे जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर अपनी लंबाई के आधे से कम नहीं होंगे । सबसे निचली तह इस प्रकार रखी जाएगी कि यह दृढ़ ठोस नींव पर ठहरे और कक्ष के फर्श पर या चौरस किये गये अनाज तल पर बिछाए गए पृथक्कारी कपड़ों पर रखी जाएगी जो पोत की एक आड़ी पोतभीत तक पंहुच जाये । बोरे पोत की बगलों के स्थान पर फ्रेमों में अच्छी तरह बंद कर दिये जाएंगे और कक्ष की बगलों पर दूसरी तह रखी जाएगी । पोतभीतें विपाट मार्ग में बांध दी जाएंगी और बोरों की ऊपरी तहें पेटा धरनों या विपाट सिरा अड्डपाल से इस प्रकार कस कर बांध दी जाएगी कि आगे पीछे की गति से सुरक्षित रह सके ।

(2) खुला अनाज इस प्रकार नौभरित किया जाएगा कि खुला तल विपाट मार्ग की सीमाओं में इस रीति से रहे कि यह संभरक का काम करे । कक्ष का वह भाग जिसमें खुला अनाज है पूरी तरह से भर दिया जाएगा और अनाज इस प्रकार परिबद्ध किया जाएगा कि इसमें से कुछ भी खाली भाग न जा सके । खुला अनाज कक्ष के एक सिरे में कसकर समतल कर दिया जाएगा । पार्श्व और धरन जगहें भर दी जाएंगी और विपाट मार्ग के उसी सिरे पर जितना संभव हो सके उतना अनाज नौभरित कर दिया जाएगा कि जिससे संभरण प्रयोजनों के लिये पर्याप्त प्रदाय सुनिश्चित हो जाए ।

(3) जहां खुला अनाज विपाट मार्ग तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है वहां अनाज तल पोत की चौड़ाई को और समतल कर दिया जाएगा और आगे पीछे के ढाल स्वाभाविक विश्राम कोण से पर्याप्त नीचे कर दिये जाएंगे और अनाज का तल कस कर नौभरित बोरों में बन्द अनाज से या अन्य यथोचित स्थोरा की कम से कम दो तहों से सुरक्षित कर दिया जाएगा । बोरों में बन्द अनाज या अन्य यथोचित स्थोरा यथो-चित प्लेटफार्मों पर या मजबूत पृथक्कारी कपड़ों पर जो खुले अनाज के सम्पूर्ण तल के ऊपर बिछे होंगे, रखा जाएगा ।

(4) इस खंड में निर्दिष्ट बोरे ढीले भरे जायेंगे और जहां से वे पोत भीत बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वहां वे इस प्रकार रखे जाएंगे कि उनके मूंह खुले अनाज की ओर हों ।

अनाज फिटिंग

17. **साधारणः**—अनाज फिटिंग के लिए प्रयुक्त सभी काष्ठ अच्छी ठोस क्वालिटी का तथा ऐसे प्रकार और श्रेणी का होगा जो आशायित उपयोग के लिए संतोषजनक साबित हो चुका है । काष्ठ की वास्तविक तैयार विमाएं इन नियमों में विनिर्दिष्ट विशिष्ट पिटिका की अपेक्षाओं के अनुसार होगी । एक्सटीरियर टाइप की प्लाई वुड जो जल-सह सरेश से चिपकी होगी और इस रीति से लगाई गई हो जिससे मुख परत के रेशों की दिशा आलम्बनकारी खड़े खंबों या बाइडरों के लम्ब रूप हो प्रयोग की जा सकती है, परन्तु यह तब जब कि इसकी शक्ति समुचित घटकमापों के ठोस काष्ठ के समतुल्य हो ।

18. **रोक तख्तेः**—इन नियमों के उपबंधों में से किसी का अनुपालन करने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक रोक तख्ता द्वितीय अनु-सूची में उपवर्णित आकार शक्ति और विनिर्देश का होगा ।

19. **खड़े खम्भे:**—इन नियमों के उपबन्धों में किसी का अनुपालन करने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक खड़ा खम्बा सिवाय उनके जो उन संभरकों में प्रयोग किये गये हैं जिनकों प्रथम अनुसूची के पैरा 2 के खंड (ख) की अपेक्षाएं लागू होती हैं पांचवीं अनुसूची में उपवर्णित आकार शक्ति और विनिर्देश के होंगे ।

20. **थाम:**—इन नियमों के उपबंधों में से किसी का अनुपालन करने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक काष्ठ थाम सिवाय उनके जो संभरकों में प्रयुक्त किए गए हैं जिनके लिए इन नियमों में पृथक उपबंध बनाए गए हैं तृतीय अनुसूची में उपवर्णित आकार शक्ति और विनिर्देश के होंगे ।

21. **संभरण छिद्र:**—जहां विपाट मार्ग और धरनों या बगल के गर्डरों की गहराई डेक तल से नीचे 0.381 मीटर (381 मिलीमीटर से अधिक हो जाती है वहां डेक तल के यावत्संभव समीप लगभग एक-दूसरे से 0.610 मीटर (610 मिलीमीटर) की दूरी पर संभरण छिद्र होंगे ताकि कक्षों में अनाज ऐसी धरनों या गर्डरों में जा सके । ऐसे संभरण छिद्र जहां विपाट मार्ग और धरनों या बगल के गर्डरों की गहराई 0.381 मीटर (381 मिलीमीटर) से अधिक है किन्तु 0.457 मीटर से अधिक नहीं है जहां 51 मिली मीटर व्यास के और जहां ऐसी गहराई 0.457 मीटर (457 मिलीमीटर) से अधिक है वहां 88 मिलीमीटर व्यास होंगे ।

22. **अपराध:**—किसी व्यक्ति द्वारा इन नियमों के उपबंधों में से किसी का अनुपालन करने का उलंघन या असफलता अनाज स्थोरों को हटाने से रोकने के लिए सभी आवश्यक और संचित पूर्वाविधानिया बरतने में असफलता समझी जाएगी और यह अधिनियम की धारा 332 की उपधारा (1) और (2) के अधीन अपराध गठित करेगा ।

प्रथम अनुसूची

[नियम 2 (3) और 5 (1) देखिए]

संभरकों और पोतभीतों का सन्निर्माण

1. संभरक और पोतभीत अनाज के दाब को सहन करने के लिए पर्याप्त शक्ति के और अन्तरुद्ध होंगे ।

2. **काष्ठ के संभरकों और पोतभीतों का सन्निर्माण** :—(1) काष्ठ संभरकों का सन्निर्माण उस पैरा के उपपैरा (2) और (3) में उपवर्णित किसी एक विनिर्देश और रीति के अनुरूप होगा,

(2) क्षैतिज तख्तों से सन्निर्मित और खड़े खम्बों द्वारा आलंबित संभरकों को निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे अर्थात:—

(क) **तख्ते:**—63 मिलीमीटर के तख्तों का आलम्ब सहित पाट सारणी 1 और 2 में जो इसमें इसके पश्चात क्रमश: संभरक बगलों और संभरकों के सिरों के लिए उपवर्णित हैं, विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुज्ञेय आलम्ब सहित पाट से अधिक नहीं होगा । अन्य तख्तों के लिए आलम्ब रहित पाट जो 63 मिली मीटर से कम मोटा नहीं होगा, उससे अधिक नहीं होगा जो पूर्वोक्त सारणियों में विनिर्दिष्ट पाट को तख्तों की मोटाई के सीधे अनुपात में उपान्तरण करके प्राप्त किया जाये ।

सारणी 1

संभरक बगलों पर 63 मिलीमीटर क्षैतिज तख्तों का अधिकतम अनुज्ञेय आलम्ब रहित पाट—मीटरों में

संभरक की ऊंचाई मीटरों में	संभरक की चौड़ाई मीटरों में									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	3.35	2.70	2 39	2.21	2.09	2.00	1 93	1.88	1.83	1.79
3.0	3.26	2.59	2.28	2.10	1.99	1.90	1 83	1.78	1 73	1.69
3.5	3 20	2 51	2.20	2.02	1.91	1.82	1.75	1 70	1.66	1.62
4.0	3.14	2 43	2.13	1 95	1.84	1.75	1.68	1.63	1 59	1 55
4.5	3.11	2 37	2.07	1.89	1.70	1.69	1 63	1.58	1.54	1.50
5.0	3.08	2.31	2.02	1.84	1 73	1.64	1 58	1.53	1.49	1 45
5.5	3 05	2.27	1 98	1.80	1.69	1.60	1.54	1.49	1 45	1.41
6.0	3.05	2.26	1 95	1 77	1.66	1 57	1.51	1.46	1.42	1.38
6.5	3 05	2 25	1.93	1.74	1.63	1.54	1.48	1.43	1 39	1.35
7.0	3 05	2 25	1 92	1 73	1.60	1 51	1.45	1.40	1.36	1.32
7 5	3.05	2 25	1.91	1.72	1.58	1 49	1.43	1.38	1.34	1.30

टिप्पण.—मध्यवर्ती संभरक ऊंचाईयों या चौड़ाईयों पर 63 मिलीमीटर के तख्तों का अधिकतम आलम्ब रहित पाट अन्तर्वर्शन द्वारा निकाला जाएगा ।

सारणी 2

संभरक सिरों पर 63 मिलीमीटर क्षैतिज तख्तों का अधिकतम अनुज्ञेय आलम्ब रहित पाट मीटरों में ।

संभरक की ऊंचाई मीटरों में	संभरक की लम्बाई मीटरों में									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	3.75	3.21	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18
3.0	3.62	3.02	2.89	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88
3.5	3.51	2.88	2.67	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65
4.0	3.40	2.81	2.51	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46
4.5	3.32	2.74	2.40	2.32	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31
5.0	3.26	2.68	2.31	2.20	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18
5.5	3.25	2.63	2.30	2.13	2.08	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07
6.0	3.25	2.63	2.27	2.08	2.00	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97
6.5	3.25	2.63	2.25	2.04	1.93	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89
7.0	3.25	2.63	2.23	2.01	1.87	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82
7.5	3.25	2.63	2.21	1.98	1.92	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76

टिप्पण :—मध्यवर्ती संभरक ऊंचाइयों या लम्बाइयों पर 63 मिलीमीटर के तख्तों का अधिकतम आलम्ब रहित पाट अन्तर्दर्शन द्वारा निकाला जाएगा ।

(ख) **संभरक खड़े खम्बे**—उन खड़े खम्बों का जो क्षैतिज तख्तों के आलम्ब के रूप में प्रयोग किये गए है, परिच्छेद मापांक सेन्टीमीटर 3 में काष्ठ खम्बों की दशा में 79.20 पद या इस्पात खड़े खम्बों की दशा में 7.92 पद द्वारा दिये गए मापांक से कम नहीं होगा जिसमे P-संभरक बगल या संभरक सिरे की चौडाई संभरक बगल के माप पर या संभरक सिरों पर जो खड़े खम्बो द्वारा आलम्बित है, की लम्बाई का प्रति मीटर दाब भार टनों मे जो क्रमशः इसके पश्चात उपवर्णित सारणी 3 और 4 मे निकाला गया है ।

(i)—निकटतम खड़े खम्बो या प्रत्येक बगल के आलम्ब के बीच की दूरी का आधार मीटरों में ।

(ii)—खम्बों की आलम्ब रहित ऊंचाई मीटरों में ।

संभरको के कोनों पर खड़े खम्बों की घटक माप ऐसी होगी कि वे संभरक बगल और सिरो के खदान के कारण संयुक्त प्रतिबल सहन कर सके । इस्पात से भिन्न धातु से सनिर्मित खड़े खम्बे, उपरोक्त सारणी 3 मे निर्दिष्ट खड़े खम्बो की शक्ति के समतुल्य होंगे ।

सारणी 3

संभरक बगल लम्बाई का प्रतिमीटर दाब भार टनों में

संभरको की ऊंचाई मीटरों में	संभरक की चौड़ाई मीटरों में									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0	1.10	1.55	1.90	2.17	2.40	2.59	2.76	2.92	3.07	3.21
2.5	1.49	2.11	2.61	3.05	3.43	3.75	4.01	4.24	4.41	4.55
3.0	1.90	2.80	3.48	4.04	4.51	4.92	5.27	5.57	5.83	6.05
3.5	2.33	3.52	4.14	5.12	5.66	6.15	6.60	7.02	7.43	7.73
4.0	2.77	4.24	5.38	6.25	6.95	7.57	8.12	8.62	9.08	9.52
4.5	3.22	5.00	6.38	7.42	8.32	9.09	9.74	10.34	10.94	11.54
5.0	3.68	5.78	7.43	8.69	9.76	10.68	11.42	12.22	12.92	13.57
5.5	4.15	6.60	8.49	10.03	11.24	12.33	13.26	11.09	14.90	15.69
6.0	4.63	7.44	9.61	11.37	12.81	14.07	15.16	16.10	17.00	17.89
6.5	5.13	8.32	10.78	12.76	14.43	15.86	17.12	18.22	19.22	20.18
7.0	5.65	9.24	12.00	14.21	16.08	17.69	19.12	20.40	21.57	22.66
7.5	6.20	10.10	13.24	15.68	17.74	19.53	21.17	22.67	24.03	25.25

टिप्पण : संभरक की अन्तवर्ती ऊंचाईयों और चौडाइयों पर संभरक बगल की लम्बाई का प्रति मीटर दाब भार अन्तर्दर्शन द्वारा निकाला जाएगा ।

सारणी 4

संभरक सिरे की प्रति मीटर चौड़ाई पर टनों में दाब भार

संभरक की ऊंचाई मीटरों में	संभरक की लम्बाई—मीटरों में									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0	0.67	0.75	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
2.5	0.97	1.14	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
3.0	1.27	1.65	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72
3.5	1.60	2.17	2.33	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36
4.0	1.96	2.71	3.03	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07
4.5	2.36	2.28	3.78	3.86	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
5.0	2.75	3.88	4.57	4.73	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77
5.5	3.11	3.48	5.39	5.69	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76
6.0	3.50	5.14	6.20	6.65	6.85	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88
6.5	3.86	5.75	6.05	7.69	7.97	8.97	8.07	8.07	8.76	8.07
7.0	1.19	6.37	7.90	8.76	9.14	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35
7.5	4.52	6.99	8.74	9.82	10.34	10.69	10.69	10.69	10.69	10.69

टिप्पण : संभरक की मध्यावर्ती ऊंचाईयों या लम्बाईयों पूरे संभरक सिरे की लम्बाई का प्रति मीटर दाब भार अन्तर्दर्शन द्वारा निकाला जाएगा

(ग) **तार रस्सियां**—संभरक बगल या सिरे के खड़े खम्बों मे आलम्ब के रूप में प्रयुक्त क्षेतिज तार रस्सियो की भंजन सामर्थ्य टनों में $3P_1S$ मे दी गई से कम नही होगी, जहां :—

P_1 संभरक बगल या संभरक सिरे की चौड़ाई संभरक बगल के भाग पर या संभरक सिरो पर जो तार की रस्सियों द्वारा आलम्बित है, प्रति मीटर लम्बाई पर टनों में दाब भार जो क्रमशः इसमें इससे पूर्व उपवर्णित सारणी 3 और 4 से निकाला गया है S=निकटतम खड़े खम्बो या प्रत्येक बगल पर आलम्ब के बीच की दूरी का आधा मीटरों में।

(घ) **थाम**—संभरक बगल या सिरे की खड़ी खम्बों के आलम्ब के रूप मे प्रयुक्त थामो का (मे०मी०)^4 से जड़त्व आधूर्ण काष्ठथामो की दशा में $27.00 \frac{P_1S_12}{COSQ}$ पद द्वारा या इस्पात थामो की दशा में

$1.43 \frac{P_1S_12}{COSQ}$ पद द्वारा दिये गए जड़त्व आधूर्ण से कम नही होगा। जहां P_1=संभरक बगल या संभरक सिरे की चौड़ाई, संभरक व बगल के भाग पर या संभरक सिरो पर जो थामो द्वारा आलम्बित है, प्रति मीटर लम्बाई पर टनो में दाब भार जो क्रमशः इसमें इससे पूर्व उपवर्णित सारणी 3 और 4 से निकाला गया है, S=निकटतम खड़े खम्बे या प्रत्येक बगल पर आलम्ब के बीच की दूरी का आधा मीटरों में, और I_1=थाम की लम्बाई मीटरों में Q=थाम की क्षेतिज से आनति जो 45 डिग्री से अधिक नही होगी।

(3) जहां संभरक ऊर्ध्वाधर तख्तो से सन्निर्मित किये गए हैं, वहां निम्नलिखित उपाय लागू होंगे अर्थात :—

(क) **तख्ते**—ऊर्ध्वाधर तख्तो की सेंटीमीटर में मोटाई उससे कम नहीं होगी जो $1.527 PH_2$ पद द्वारा दी गई है, जहां—P=संभरक बगल या संभरक की चौड़ाई संभरक बगल के भाग पर या सभरक सिरों पर जो तख्तों द्वारा आलम्बित है, प्रति मीटर लम्बाई पर टनों में दाब भार जो क्रमशः उसमें इससे पूर्व उपवर्णित सारणी 3 और 4 से निकाला गया, और—

H_2—तख्तो का आलम्ब रहित पाट, मीटरों में।

(ख) **बाइंडर**—ऊर्ध्वाधिर तख्तों के आलम्ब के रूप में प्रयुक्त क्षेतिज बाइंडरों का सें०मी० 3 में परिच्छेद मापांक काष्ठ बाइंडरों की दशा में $79.2 P_1S_12$ पद द्वारा दिये गए या इस्पात बाइंडरों की दशा में $7.92 P_1S_12$ पद द्वारा दिये गए से कम नहीं होगा, जहां—

P_1=संभरक बगल या संभरक की चौड़ाई संभरक बगल के भाग पर या संभरक सिरों पर जो बाइंडरों द्वारा आलम्बित है, प्रति मीटर लम्बाई पर टनो में दाब भार जो क्रमशः इसमें इससे पूर्व उपवर्णित सारणी 3 और 4 से निकाला गया है, बाइंडरों द्वारा आलम्बित संभरक का ऊर्ध्वाधिर विस्तार बाइंडरों के ऊपर और नीचे के निकटतम आलम्बों के बीच की दूरी का आधा लिया जाएगा, और

S_1=बाइंडरों की आलम्ब रहित लम्बाई मीटरों में। इस्पात से भिन्न धातु से सन्निर्मित बाइंडर इस्पात के बाइंडरों के शक्ति के समतुल्य होंगे।

जहां बाइंडर दो तख्तों या धातु का ऐंगल बार या अन्य परिच्छेदों से बने हैं, जो ऊर्ध्वाधिर तख्तों के दोनों ओर लगे हों, वहां प्रभावी परिच्छेद मापांक उस परिच्छेद मापांक का 72 प्रतिशत लिया जाएगा जो प्रत्येक तख्तों या धातु का ऐंगल बार या अन्य परिच्छेद की संयुक्त परिच्छेद की बल शून्य रेखा के चारों ओर पूर्ण रूप से प्रभावी मान कर निकाला गया है।

(ग) **तार रस्सियां**—क्षेतिज तार रस्सियों की भंजन सामर्थ्य टनों में जो बाइंडरों के आलम्ब के रूप में प्रयुक्त की गई हैं, $3P_1S_1$ पद द्वारा दी गई भंजन सामर्थ्य से कम नहीं होगी जहां—P_1संभरक बगल या संभरक की चौड़ाई, संभरक बगल के भाग पर या संभरक सिरों पर जो बाइंडर द्वारा आलम्बित है प्रति मीटर लम्बाई में टनों में दाब भार जो क्रमशः इसमें इससे पश्चात् सारणी 3 और 4 से निकाला गया है। बाइंडर द्वारा आलम्बित संभरक का ऊर्ध्वाधिर विस्तार, बाइंडर के ऊपर और नीचे के आलम्बों के बीच की दूरी का आधा लिया जाएगा।

S 2–प्रत्येक और निकटतम आलम्ब के बीच की दूरी का आधा मीटरों में।

(घ) थाम—थाइडरों के आलम्ब के रूप में प्रयुक्त थामों का से०मी० 4 जडत्व आघूर्ण काष्ठ थामों की दशा $\frac{27.00 P_1S_2I_12}{COS\theta}$ पद द्वारा दिये गये या इस्पात थामों की दशा 1 43 $\frac{P_1S_2I_12}{COS\theta}$ पद द्वारा दिये गए जड़त्व आपूर्ण से कम नहीं होगी जहा--

P_1 और S 2 के वे ही कार्य अर्थ होंगे जो इनके इस पैरा के उप-पैरा (ग) में दिये गए है।

θथाम की क्षेतिज से आनति जो 45 डिग्री से अधिक नहीं होगी।
I_1 थाम की लम्बाई मीटरों में।

द्वितीय अनुसूची

(नियम 2 (VII) और 19 देखिये)

रोक तख्तो की अपेक्षाए —

(1) रोक तख्तो की मोटाई 51 मिली मीटर से कम नहीं होगी और ये अवरुद्ध फिट किये जाएगे जहा आवश्यक हो वहां खडे खम्बो से आलम्बित होंगे।

(2) विभिन्न मोटाई के तख्तो का अधिकतम आलम्ब पाट निम्न प्रकार से होगा

मोटाई	अधिकतम आलम्ब रहित पाट
(i) 51 मिली मीटर	244 सेन्टी मीटर
(ii) 63 मिली मीटर	335 सेन्टी मीटर
(iii) 76 मिली मीटर	396 सेन्टी मीटर

(3) सभी रोक तख्तो के सिरे 76 मिली मीटर की बैरिंग लम्बाई के साथ सुरक्षित रूप से बैठाया जाएगा।

(4) जहा 63 मिली मीटर या 76 मिली मीटर के रोक तख्ते प्रयुक्त होते है, वहा तख्ते खडे खम्बो के साथ बट-ज्वाइंट किये जा सकते है और तख्ते का कम-से-कम 10 सेन्टीमीटर आलम्बित किया जाएगा। जहा 51 मिली मीटर के रोक तख्ते प्रयुक्त होते है, वहां उनके जोड खडे खम्बो पर कम-से-कम 23 सेन्टीमीटर चढे होंगे।

(5) जहा स्थायी अवरुद्ध प्रभाग विद्यमान नहीं है वहा काष्ठ के उसी मोटाई के भांति वाले टुकड़े जैसे कि रोक तख्ते हैं धरनो के बीच में मजबूती से अवरुद्ध फिट कर दिये जाएगे।

तृतीय अनुसूची

(नियम 2 (VIII) और 20 देखिये)

थामो की अपेक्षाए —

1 उस थाम से भिन्न काष्ठ थाम जो उन सभरको में प्रयुक्त की गई है जिनको प्रथम अनुसूची के पैरा 2 के खण्ड (घ) की अपेक्षाए लागू होती है, एक टुकड़े की होगी और प्रत्येक सिरे पर भली प्रकार से बाधी जाएगी। और पोत की स्थायी सरचना की तरफ बाधी जाएगी जो केवल पोत के प्रत्यक्ष बगल तख्तो की तरफ होगी।

2 इस अनुसूची के पैरा 3 और 4 के उपबन्धो के अध्यधीन ऐसी प्रत्येक काष्ठ थाम का न्यूनतम आकार निम्न प्रकार से होगा।

थाम की लम्बाई (मीटरों में)	आयताकार परिच्छेद (सेन्टीमीटरो मे)	वृतीय परिच्छेद का व्यास (सेंटीमीटरो मे)
(1)	(2)	(3)
(1) 3 05 मीटर से अधिक नही	15 24×10 16	13 90
(2) 3 05 मीटर से अधिक किन्तु 4 88 मीटर से अधिक नही।	15 24×15 24	16 50
(3) 4 88 मीटर से अधिक किन्तु 7 32 मीटर से अधिक नही।	15 24×15 24	17.78
(4) 6 10 मीटर से अधिक किन्तु 7 32 मीटर से अधिक नही।	20 32×15 24	19 05
(5) 7 32 मीटर से अधिक किन्तु 8 54 मीटर से अधिक नही।	20.32×15 24	20 32
(6) 8 54 मीटर से अधिक	20 32×15 24	21 59

7 32 मीटर या अधिक की लम्बाई वाले लगभग आधी लम्बाई पर मजबूत से सेतुबन्धित किये जाएगे।

3 जहां खडे खम्बे का ऊर्ध्वाधर आलम्ब रहित पाट 243 84 सेंटीमीटर से कम है या खड खम्बो के बीच की क्षेतिज दूरी 396 24 सेंटीमीटर से कम है, वहा थाम का आकार अनुपात कम किया जा सकता है।

4 जहा थाम का क्षेतिज से कोण 10 डिग्री से अधिक हो जाता है, वहा इस अनुसूची के पैरा 2 के उपबन्धो के अधीन उस थाम से अगले बड़े आकार का थाम लगाया जाएगा परन्तु किसी थाम और क्षेतिज के बीच का कोण किसी भी दशा में 15 डिग्री से अधिक नही होगा।

चौथी अनुसूची

(नियम 2 (IX) देखिये)

1 रस्सियो के लिये अपेक्षाए—जहा किसी अनाज फिटिंग में रस्सियां प्रयुक्त की गई है, उन सभरको से भिन्न के सिवाय जिनके लिये नियम 1 के उपनियम (1) में पृथक् उपबन्ध बनाए गए है, वहा निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे —

(क) रस्सिया क्षैतिजत लगाई जाएगी और 7 62 सेन्टीमीटर परिधि की होगी। जस्तेदार लचीले इस्पात की तार रस्सी 6×12 की रचना जिसकी सजन सामर्थ्य 19 97 टन से कम नही हो, होगी।

(ख) रिगिग स्क्रू 3.17 सेन्टीमीटर व्यास के होगे और सुगम स्थानों पर लगाए जाएगे।

(ग) शकेल 2 54 सेन्टीमीटर की होगी।

(घ) खडे खम्बो में से आरपार गए आई बोल्ट 3 17 सेंटीमीटर के होगे। और

(ङ) या तो 3 54 सेंटीमीटर मोटाई की आई प्लेट्स साइड सर्रीजर या फ्रेम में मजबूती से लगाई जाएगी या 2 54 सेंटीमीटर की बेडिया फ्रेम के आरपार निकाली जाएगी।

2. जहा रोक तख्ते फलक की पूरी गहराई तक नही जाते वहा रोक तख्ते और उनके खड़ खम्बे इस प्रकार आलम्बित या रस्सी से बांधे जाएंगे कि वे इतनी प्रभावशाली हो जाए जिसे कि व रोक तख्ते जो खाली स्थान की पूरी गहराई तक जाते है।

पांचवीं अनुसूची

(नियम 2(X) और 19 देखिये)

1 खड़े खम्बो के लिये अपेक्षाएं---उन खड़े खम्बो के सिवाय जो उन मभरको मे प्रयुक्त किये गए, जिनको प्रथम अनुसूची के पैरा 2 के खण्ड (ख) की अपेक्षाए लागू होती है, खड़े खम्बो के केन्द्रो के बीच की क्षैतिज दूरी वो द्वितीय अनुसूची मे उपवर्णित तख्तो के पाट के लिये समुचित होगी। ऐसी दूरी किसी भी दशा में 396 सेंटीमीटर से अधिक नही होगी। जब तक कि खड़े खम्बो को अपने-अपने केन्द्रो मे से हटाने को रोकने के लिये उपाय न किये गए हो, प्रत्येक सिरे पर खड़े खम्बो के छिद्र की प्रत्येक गहराई 76 मिलीमीटर से कम नही होगी। यदि खड़ा खम्बा ऊपर सिरे पर नही बाधा गया हो तो सबसे ऊपर का थाम या रस्सी ढेक या खड़े खम्बे की चोटी से 519 सेंटीमीटर से अधिक नही नीची होगी।

2. काष्ठ थामों द्वारा जो तृतीय अनुसूची की अपेक्षाओ का अनुपालन करते है या तार की रस्सियों द्वारा जो चतुर्थ अनुसूची की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है प्रत्येक और आलम्बित किसी खड़े खम्बे का उध्र्वाधर आलम्ब रहित पाट या तो थामो और रस्सियों के बीच की दूरी होगा या खम्ब के सिरे से निकटतम थामो या रस्सी, जो भी बड़ी हो, तक की दूरी होगी।

3 काष्ठ के खड़े खम्बे दो तख्तो के होगे जो रोक तख्तो के दोनो ओर लगे होगे। व एकान्तर तख्ते पर गोल्ड पेटर्न मे आरपार बोल्ट किये जाएगे और निम्न सारणी 1 मे दी गई घटक मापो के अनुरूप होगें, अर्थात् --

सारणी 1

दोहरे काष्ट तख्तो के खड़े खम्बो के घटक माप---सेंटीमीटर मे

उध्र्वाधर आलम्ब महित पाट मीटरो मे	खड़े खम्बो के केन्द्रीय के बीच की क्षैतिज दूरी मीटरा मे				
	2	2 5	3	3 5	1
फलकें					
2	25× 5	25× 5	25× 5	25× 5	25× 5
2 5	25× 5	25× 5	23× 7 5	23× 7 5	23× 7 5
3	23× 7 5	23× 7.5	23× 7.5	23× 7 5	23× 7 5
3 5	23× 7 5	23× 7 5	28× 7 5	28× 7.5	23× 10
1	28× 7 5	28× 7.5	23× 10	23 10	30 10
4 5	23× 10	23× 10	23× 10	30× 10	30× 10
5	23× 10	23× 10	30× 10	30× 10	30× 10
5.5	23× 10	23× 10	30× 10	30× 10	—
6	30× 10	30× 10	30× 10	—	—
6 5	30× 10	30× 10	—	—	—
टिव्न डैक और अधिमर रचनाएं					
2	25× 5	25× 5	25× 5	25× 5	25× 5
2.5	25× 5	25× 5	23× 7.5	23× 7 5	23× 7 5
3	23× 7 5	23× 7.5	28× 7 5	28× 7 5	28× 7 5
3 5	28× 7.5	28× 7 5	28× 7 5	23× 10	23× 10
4	28× 7.5	23× 10	23× 10	30× 10	30× 10
4 5	23× 10	23× 10	30× 10	30× 10	30× 10
5	23× 10	30× 10	30× 10	30× 10	—
5.5	30× 10	30× 10	—	—	—
तक					

क्षेतिज तख्तो मे मोटाई से० मीटरो खड़े खम्बो के केन्द्रीय के बीच की क्षेतिज की दूरी मीटरो में				
5	5	6	7.5	7.5

टिप्पणी ---मध्यवर्तीय उध्र्वाधर पाट पर या क्षेतिज दूरियो पर उससे अलग उच्चतर पाट को लागू घटक माप लागू होगे।

4 इस्पात के खड़े खम्बे सारणी 2 मे दिये गये परिच्छेद मापक के अनुरूप होगे अर्थात् .--

सारणी 2

इस्पात के खड़े खम्बो का परिच्छेद मापाकखन

सेंटीमीटरो मे

उध्र्वाधर आलम्ब रहित पाट-मीटर मे	खड़े खम्बों के केन्द्रों के बीच की क्षैतिज दूरी मीटरो मे				
	2	2 5	3	3 5	1
फलके					
2	27 86	31 82	41.79	48.75	55 72
2 5	37 36	46.70	56 04	65.38	74.72
3	51 94	64 92	77 91	90 89	103.87
3 5	66 51	83.13	99 76	116 39	133 02
4	81.09	101 36	121 63	141.90	162 17
4.5	95 66	119 57	143 49	167 40	191 32
5	110 21	137 80	165.38	192 92	220 48
5 5	124.82	156 03	187.23	218.43	249.63
6	139 39	174 24	209 09	243.93	278.78
6 5	153 97	192 46	230 96	269 45	307 94
7	168.51	210 67	252 81	294.95	337 09
7.5	183 12	228.90	274 69	320.47	366 25
8	197 70	247 12	296.55	345 97	395 40
8 5	212 27	265 34	318 41	371 48	124.55
9	226.85	283 56	340.28	396 99	453 71
9 5	241 42	301 78	362.14	422 50	482 86
10	256 00	320.00	384 01	448 01	512.02
10 5	270 58	338 22	405 87	473.52	541.17
11	285.16	356.45	427 74	499 03	570 32
11 5	299 73	374 67	449 61	524 54	599.48
12	314 31	392 89	471.47	550 05	628 63
12 5	328 89	411.12	493.34	575 56	657 78
तक					

ट्विन डैक और अभिसरंचनाएं

2	32.45	40.56	48.67	56.79	64.90
2.5	43.92	54.90	65.88	76.86	87.84
3	54.57	68.21	81.85	95.50	109.14
3.5	71.94	89.92	107.91	125.89	143.88
4	90.17	112.71	135.26	157.80	180 34
4.5	108.40	135.50	162.60	189.70	216.80
5	126.63	158.29	189.95	221 61	253 26
5.5	144.86	181.07	217.28	253.50	289.72

तक

क्षेतिज तख्तों की मोटाई सेन्टीमीटरों में				
5	5	6	7	7

टिप्पणी :—मध्यवर्ती उच्चाधिर पाट पर या क्षेतिज दूरियों पर इस्पात के खड़े खम्बों का परिच्छेद मापक अन्तर्देशन द्वारा निकाला जाएगा।

5. जहां खड़े खम्बे दो एंगल बोरों या अन्य परिच्छेदों से बनाए गये हैं जो रोक तख्तों के प्रत्येक ओर लगे है और एकान्तर बोर्ड पर आर पार बोल्ट किये गये है वहां प्रभावी परिच्छेद मापांक उस परिच्छेद मापक का 70 प्रतिशत लिया जायेगा जो प्रत्येक एंगलवार या परिच्छेद को संयुक्त परिच्छेद की बल शून्य रेखा के बारे और पूर्ण रूप से प्रभावी मान कर निकाला गया है।

6. इस्पात से भिन्न धातु से सनिर्मित खड़े खम्बे, इससे पूर्व उपवर्णित सारणी 2 में निर्दिष्ट खड़े खम्बों की शक्ति से समतुल्य होंगे।

छठी अनुसूची

(नियम 5(4) देखिये)

अनाज रिक्त स्थान प्रभावों के लिये प्रत्येक संभरक की बलकेन्द्रीय ऊंचाई के शुद्धि की रीतियां

अनाज रिक्त स्थान प्रभावों के लिये प्रत्येक संभरक की मे०मी० में बलकेन्द्रीय ऊंचाई की शुद्धि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी, अर्थात्—

$$\frac{15 \times LB^4}{C \times D}$$

जहां—

L–संभरक की लम्बाई मीटरों में,

B–संभरक की चौड़ाई मीटरों में,

C–पोत का विस्थापन टनों में और

D–प्रश्नगत अनाज स्थोरा का नौभरण दर, घनमीटर प्रति टन में।

सातवीं अनुसूची

(नियम 15 देखिये)

अच्छे मौसम और खराब मौसम वाली ऋतु

इन नियमों के प्रयोजनों के लिये—

(1) "अच्छे मौसम वाली ऋतु" या अच्छे मौसम पद में जहां कहीं भी यह आता है यह अभिप्रेत होगा—

(क) अरब समुद्र में प्रथम सितम्बर से 31 मई तक की ऋतु, और

(ख) बंगाल की खाड़ी में, प्रथम दिसम्बर से 30 अप्रैल तक की ऋतु।

(2) "खराब मौसम वाली ऋतु" या खराब मौसम पद से, जहां कहीं भी यह आता है यह अभिप्रेत होगा—

(क) अरब समुद्र में, प्रथम जून से 31 अगस्त तक की ऋतु,

(ख) बंगाल की खाड़ी में प्रथम मई से 30 नवम्बर तक की ऋतु।

[सं० फा० 30-एम डी (1)/68-एम०एल०]

ब० कृ० साही, अवर सचिव

(Transport Wing)

New Delhi, the 5th May, 1973

G.S.R. 531.—Whereas a draft of the Merchant Shipping (Carriage of Grain) Rules, 1969, was published as required by sub-section (5) of the section 332 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) at pages 408 to 423 of the Gazette of India, Part II—Section 3—Sub-section (i) dated the 1st February, 1969, under the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Shipping (Merchant Shipping) No. G. S. R. 188 dated the 22nd January, 1969 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected till the 10th March, 1969;

And whereas it is considered desirable to publish the said draft rules again for the information of all persons likely to be affected thereby;

Now, therefore, in following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 331A, sub-section (5) of section 332 and section 458 of the said Act, and in supersession of the Indian Merchant Shipping (Carriage of Grain) Rules, 1954, is hereby published as required by sub-section (5) of section 332 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

1. **Short title, commencement and application.**—(1) These rules may be called the Merchant Shipping (Carriage of Grain) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) Unless expressly provided otherwise, they shall apply to—

(a) all Indian Ships;

(b) ships other than Indian ships—

(i) when they are loaded with grain at any port or place in India or within the territorial waters of India; or

(ii) when they enter any port or place in India or come within the territorial waters of India laden with grain.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires—

(i) 'Act' means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(ii) 'Compartment' means a hold, or cargo space bounded by bulkheads at each end and having decks above and below;

(iii) 'feeders' means feeders constructed in accordance with the requirements specified in the First Schedule;

(iv) 'grain' includes wheat, maize or corn, oats, rye, barley, rice, pulses and seeds;

(v) 'metacentric height' means the distance between the transverse metacentre (M) and the centre of gravity (G) corrected for the free surface effects of liquids in tanks, and for the purposes of rule 5, for the free surface effects of grain in feeders;

(vi) 'Schedule' means a schedule to these rules;

(vii) 'shifting boards' means shifting boards constructed in accordance with the requirements specified in the Second Schedule;

(viii) 'shore' means shores conforming to the requirements specified in the Third Schedule;

(ix) 'stays' means stays the fitting of which conforms to requirements of the Fourth Schedule;

(x) 'upright' means uprights, the fitting of which conforms to the requirements of the Fifth Schedule.

3. **Trimming.**—In compartments entirely with bullk grain, the grain shall be trimmed so as to fill all the spaces between the beams and in the wings and ends.

(2) In compartments partly filled with bulk grain, the grain shall be levelled except where it is impracticable to do so.

4. **Stowage of full compartment.**—(1) Except as hereinafter provided, any compartment which is entirely filled with bulk grain shall be divided either:—

(a) by a longitudinal bulkhead or shifting boards in line with, or not more than five per cent. of, the moulded breadth of the ship from the centre line, or

(b) by longitudinal bulkhead or shifting boards off the centre line of the ship:

Provided that the distance between them does not exceed sixty per cent of the moulded breadth of the ship and that, in the latter case, trimmiing hatches of suitable size suitably placed are provided in the wings at longitudinal intervals of not more than 7.62 metres with end trimming hatches placed not more than, 3.66 metres from transverse bulkheads.

(2) In every case, the longitudinal bulkheads or shifting boards shall be properly constructed and fitted grain tight with proper fittings between the beams.

(3)(a) In any compartment which is a hold, the longitudinal bulkheads or shifting boards shall extend downwards from the underside of the deck to a distance of at least one third of the depth of the hold or 2.44 metres, whichever is greater.

(b) In compartments in 'tween decks and superstructures or in any compartment other than a hold, such longitudinal bulkheads or shifting boards shall extend from deck to deck.

(4) The provisions of sub-rules, (1), (2) and (3) shall not apply to—

(a) a compartment other than a hold, if bagged grain or other suitable cargo therein is tightly stowed in the wings to a width, at any point, of not less than twenty per cent. of the corresponding breadth of the ship;

(b) parts of the compartments where the maximum breadth of the deckhead within such parts does not exceed one-half of the moulded breadth of the ship;

(c) except in the case of compartments loaded with bulk linseed, those parts of a compartment which, in ships which maintain throughout the voyage a metacentric height of not less than 0.31 metres in the case of single deck or two deck ships and not less than 0.36 metres in the case of other ships, are—

(i) below and within 2.13 metres of a feeder, but only below or abreast of a hatchway, if that feeder contains, or all the feeders collectively feeding a compartment, contain, not less than five per cent, of the quantity of grain carried in the compartment which is fed;

(ii) below or abreast of a hatchway where the bulk grain beneath the hatchway is trimmed in the form of a saucer hard up to the deck-head beyond the hatchway to a depth in the centre of the saucer of not less than 1.83 metres measured below the deck line and is topped off with bagged grain or other suitable bagged cargo so as to fill the hatchway and the saucer below and is stowed tightly against the deckhead, the longitudinal bulkheads, the hatchway beams and the hatchway side and end coamings.

5. **Feeders.**—(1) Any compartment which is entirely filled with bulk grain shall be provided with feeders which shall be constructed in accordance with the requirements of the First Schedule or with such other requirements that the Central Government, or any other officer authorised by the Central Government in this behalf, may prescribe from time to time by notification in the Official Gazette.

(2) Such feeders shall be so placed as to ensure a free flow of grains to all parts of the compartment containing bulk grain:

Provided that feeders shall not be required—

(a) when bulk grain is carried in deep tanks which are primarily constructed for the carriage of liquids and in which the greatest width does not exceed one-half of the moulded breadth of the ship, or which are divided by one or more permanent steel longitudinal divisions sited not more than one-half of the moulded breadth of the ship apart, subject to the condition that the tanks and tank lids are securely closed;

(b) when bulk grain is trimmed in the form of a saucer hard up to the deck head beyond the hatchway to a depth in the centre of the saucer of not less than 1.83 metres measured below the deck line and is topped with bagged grain or other suitable bagged cargo so as to fill the hatchway and the saucer below and is stowed tightly against the deck head, the longitudinal bulkheads, the hatchway beams and the hatchway side and end coamings.

(3) Subject to the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of sub-rule (4) of rule 4 each feeder shall contain not less than two per cent of the quantity of grain carried below deck level in that part of the compartment which it feeds.

(4) Each feeder shall be fitted with a longitudinal bulkhead or shifting boards extending to the full depth of the feeder:

Provided that such longitudinal bulkhead or shifting boards need not be fitted in a single deck or two deck ships which maintains, throughout the voyage, a metacentric height of 0.31 metres, or any other ship which maintains, through out the voyage, a metacentric height of 0.36 metres.

(i) if the feeder contains, or all feders collectively feeding a compartment Contain, not less than five per cent of the quantity of grain carried below deck level in that compartment;

(ii) if the sinkage of grain amounting to two per cent of the volume of the compartment fed would not cause the free grain surface to fall below the lowei extremities of the feeder or feeders at deck level;

(iii) if a shift of the free grain surface to an angle of 120 to the horizontal would not cause that surface to fall below the lower extremities of the feeder or feeders at deck-level.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, the effects of the additional free grain surfaces within the feeders due to the omission of centre-line divisions shall be taken into account in calculating the metacentric height referred to in clause (c) of sub-rule (4) of rule 4. The correction to the metacentric height to each feeder shall be made in accordance with the formula set out in the Sixth Schedule.

6. Common leading.—In any ship when compartments above one another are entirely to be filled with grain, such compartments may be loaded as one compartment subject to the following conditions, namely:—

(a) except as provided for in clause (c) sub-rule (4) of rule 4, longitudinal bulkhead or shifting boards shall be fitted—

(i) deck to deck in the 'tween decks of a two deck ship,

(ii) for the upper one-third part of the total depth of the compartments loaded in common, in the case of all other ships.

(b) openings each of at least 0.37 sq. metres shall be Provided in the wings of the deck immediately below the upper-most deck of the compartments loaded in common and forward and aft of the main hatchway. Such openings shall provide, in combination with the main or other hatchways, a feeding distance of not more than 2.44 metres measured in a fore and aft line, and

(c) the provisions of rules 5 and 7 shall apply to compartments loaded in common as if they were one single compartment.

7. Trimming and bagging of end compartments.—(1) When the distance, measured in fore and aft line from any part of a hold or compartment to the nearest feeder, exceeds 7:62 metres from the nearest feeder the bulk grain in the end spaces beyond 7:62 metres shall be levelled off at a depth of at least 1:63 metres below the deck and the end spaces filled with bagged grain built upon a suitable platform.

(2) Such platform shall be constructed in accordance with the requirements of rule 8.

8. Stowage of partly filled compartments.—(1) Except as hereinafter provided any compartment which is partly filed with bulk grain shall be divided either by—

(a) (i) a longitudinal bulkhead; or

(ii) shifting boards;

in line, with or not more than five per cent of the moulded breadth of the ship from the centre line, or

(b) (i) two or more longitudinal bulkheads, or

(ii) shifting boards;

off the centre line of the ship:

Provided that the distance between them does not exceed sixty per cent of the moulded breadth of the ship.

(2) In exery case the longitudinal bulkheads or shifting boards shall be properly constructed and shall extend from the bottom of the compartment to a height of not less than 0.61 metres above the surface of the bulk grain.

(3) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall not apply to—

(a) a compartment partly filled with grain other than linseed where:—

(i) a metacentric height of not less than 0.31 metres is maintained throughout the voyage in the case of a single deck or two deck ship, or

(ii) a metacentric height of not less than 0.36 metres is maintained throughout the voyage in the case of any other ship;

(b) a compartment, which is a hold, if the bulk grain contained therein does not exceed one-third of the capacity of the hold or where such a hold is devided by a shaft tunnel, one-half of the capacity of that hold;

(c) a compartment other than a hold, if bagged grain or other suitable cargo therein is tightly stowed in the wings to a width at any point, of not less than twenty per cent of the corresponding breath of the ship;

(d) those parts of a compartment where the maximum breadth of a deck head within such parts does not exceed one-half of the moulded breadth of the ship.

(4) When any compartment is partly filed with bulk grain, the bulk grain will be levelled and topped off with bagged grain or other suitable cargo tightly stowed and extending to a height of not less than 1.22 metres above the top of the bulk grain within those parts of the compartment which are divided by a longitudinal bulkhead or shifting boards, and to a height of not less than 1.52 metres in those parts of a compartment which are not so divided.

Provided that in the case of a compartment which is a hold in which the bulk grain does not exceed one-third of the capacity of the hold or where such a hold is divided by a shaft tunnel, one-half of the epacity of the hold, the depth of the bagged grain or other suitable cargo shall be not less than 1.22 metres.

(5) The bagged grain or other suitable cargo shall be supported on suitable platforms laid over the whole surface of the bulk grain and such platforms shall consist of—

(a) bearers spaced not more than 1.22 metres apart and 25 millimetre boards laid thereon spaced not more than 0.10 metres apart; or

(b) strong seperation cloths with adequate overlapping.

9. Limitation on number of partly filled compartments:—

(1) Except in the case of ships in which a metacentric height of not less than 0.31 metres in the case of single deck or two deck ships or of not less than 0.36 metres in the case of other ships is maintained throughout the voyage, not more than two compartments may be partly filled with bulk grain except that other compartments may be partly filled with bulk grain if they are filled up to the deck head with bagged or other suitable cargo.

(2) For the purposes of this rule:—

(a) superimposed 'tween decks shall be regarded as seperate compartments and seperate from any lower hold below them;

(b) feeders and partly filed spaces referred to in clause (c, of rule 10 shall not be regarded as compartments; and

(c) holds or compartments provided with one or more grain tight longitudinal sub-divisions shall be regarded as one hold or compartment.

10. Bulkgrain in 'tween decks and superstructures:—Bulk grain shall not be carried in compartents which are in a superstructure of a ship, or in the 'tween decks of a two deck ship, or in the uppermost 'tween deck of a ship having more than two decks except under the following conditions, namely:—

(a) the bulk grain or other cargo shall be so stowed as to ensure maximum stability;

(b) in all cases either a metacentric height of not less than 0.31 metres in the case of single deck of two deck ships or of not less than 0.36 metres in the case of other ships is maintained throughout the voyage or, alternatively, the aggregate quantity of bulk grain or other cargo carried in such compartments does not exceed twenty-eight per cent by weight of the remaining cargo and the Master is satisfied that the ship will have adequate stability throughout the voyage:

Provided that the limitation of twenty-eight per cent specified in this clause will not apply when the grain cargo carried above deck or in the upper most 'tween deck spaces consists of oats, barley or cotton seeds;

(c) the deck area of any part of such compartments which contains bulk grain and which is only partly filled does not exceed 93 square metres; and

(d) all such compartments in which bulk grain is stowed are either sub-divided by transverse bulk-heads at intervals of not more than 30.50 metres or, when this distance is exceeded, the excess space is entirely filled with bagged grain or other suitable cargo.

11. Stowed of specially suitable ships:—(1) The provisions of rules 4 to 10, both inclusive, shall not apply to any ship in which the effect of any transverse shift of grain is limited by means of longitudinal divisions or other constructional feature to such an extent that the list resulting from a shift of grain, calculated on the basis of the assumptions made in sub-rule (2), does not exceed 5 degrees at any state of the voyage.

(2) In calculating the list of a ship referred in sub-rule (1), assumption shall be made that the grain surfaces, which are levelled or which are constructed by a boundary having an angle or inclination of less than 30 degrees to the horizontal, settle 2 per cent by volume and more through an angle of 12 degrees with their original surface of 8 degrees if overstowed in accordance with the provision of sub-rules (4) and (5) of rule 8.

(3) Every such ship to which the provisions of rules 4 to 10, both inclusive, do not apply shall carry a grain loading plan and sufficient stability information to show that for the stowage arrangement to be adopted, the calculated list referred to in sub-rule (1) will not be exceeded.

12.Water ballast tanks:—Double bottom tanks which are taken into account in calculating the metacentric height referred to in rules 4, 5, 8, 9 and 10, or in calculating the list referred to in rule 11, shall have adequate watertight longitudinal sub-division except where the width of the tank measured at half length does not exceed 60 percent of the ship's moulded breadth.

13. Bagged grain:—Bagged grain shall be carried in sound bags which shall be securely closed and, except as provided in sub-item (iv) of item (b) of the proviso to rule 16, well filled.

14. Loading of home-trade ships:—Except in regard to the stowage of bulk grain in the 'tween decks of a two deck ship or the upper most 'tween deck of a ship having more than two decks the foregoing provisions of these rules shall not apply to any home-trade ship in which bulk grain is carried, subject to the compliance with the provisions of rules 15 and 16.

Explanation:—For the purposes of these rules any ship partially lightened at a port or place in India for a voyage to any other port or place in India shall be as treated as a home-trade ship.

15. Stowage of full compartments in home-trade ships:—In home-trade ships, stowage of any compartment which is entirely filled with bulk grain shall be as follows:—

(a) the hatchway shall contain not less than 4 per cent of the quantity of bulk grain carried below deck level in the compartment which it feeds, or

(b) the bulk grain beneath the hatchway shall be trimmed in the form of a saucer and topped off with bagged grain or other suitable bagged cargo in the manner specified in sub-clause (ii) of clause (c) of sub-rule (4) of rule 4, except that the compartment may not be fitted with bulkheads or shifting boards in respect on any ship making a voyage during seasons of fair weather as defined in the Seventh Schedule.

16. Stowage of partly filled compartments of home-trade ships:—In home-trade ships, the stowage of any compartment which is partly filled with bulk grain comply with the provisions of rule 8:

Provided that not more than two compartments may be stowed in either of the following ways, namely:—

(a) the bulk grain shall be levelled off and overstowed with at least two tiers of bagged grain laid on seperation cloths, or with other suitable cargo supported on platforms or seperation cloth; or

(b) (i) the bulk grain shall be divided from empty space in the hold by one of the following methods, namely:—

Method 1.—A transverse vertical wooden grain tight bulk head shall be fitted in the fore part of the compartment in such a way as to reduce the capacity of the compartment to that required for the stowage of the grain.

Method 2.—A strongly and tightly constructed transverse vertical bulkhead of bagged grain shall be used. The bulk head shall contain sufficient rows of bags laid in the fore and aft direction to enable it to withstand the effects of pitching and scending during the voyage. Its foundation shall be on the floor of the compartment and shall consist of not less than four rows of bags. These requirement of four rows may be narrowed to two rows of bags at the top provided that only two rows are considered to be adequate for providing and maintaining the required support.

Method 3.—A sloping bulkhead shall be constructed of stepped bags of grain. The bags shall be packed tightly together and bedded into the grain in a fore and aft direction. They shall lie horizontally and overlap not less than one-half of their length. The lowest tier shall be so arranged as to rest upon a firm and solid foundation and shall be placed on the floor of the compartment or on seperation cloths laid on the levelled grain surface reaching to one of the ship's tranverse bulkheads The bags shall be well locked into the frames at the ship's side and a double tier shall be laid at the sides of the compartment. The bulkheads shall be secured in the hatchway and the top tier of bags shall be so wedged tightly against the web beams or the hatch end coamings that they will be secured against fore and aft movement.

(ii) The bulk grain shall be stowed in such a way as to confine its loose surface within the limits of the hatchway in such a manner that it will serve as a feeder. The part of the compartment containing bulk grain shall be so confined as to prevent any of it getting into the empty part of the compartment. The bulk grain shall be trimed tightly into one end of the compartment; the wings and beam spaces shall be filled; and as much grain as possible shall be stowed at same end of the hatchway so as to ensure a sufficient supply for feeding purposes.

(iii) Where the bulk grain is not sufficient to reach up into the hatchway the grain surface shall be trimmed level athwartships and the fore and aft slopes reduced considerable below the natural angle of repose and the surface of the grain secured by not less than two tiers of bagged grain or other suitable cargo tightly stowed. The bagged grain or other suitable cargo shall be supported on suitable platforms or on strong separation cloths laid over the whole surface of the bulk grain.

(iv) The bags referred to in this clause shall be loosely filled and where used in construction of bulk heads shall be arranged with their mouths laid towards the bulk grain.

Grain Fittings

17. General.—All timber used for grain fittings shall be of good sound quality and of a type and grade which has been proved to be satisfactory for the intended use. The actual finished dimensions of the timber shall be in accordance with the requirements for the particular fitting specified in these rules. Plywood of an exterior type, bounded with waterproof glue and fitted in such a manner as to ensure that direction of the grain in the face piles is perpendicular to the supporting uprights or binders, may be used provided that its strength is equivalent to that of solid timber of the appropriate scantling.

18. Shifting Boards.—Every shifting board used for complying with any of the provisions of these rules shall be of the size, strength and specification set out in the Second Schedule.

19. Uprights.—Every upright used for complying with any of the provisions of these rules except those used in feeders to which requirements of clause (b) of paragraph 2 of the First Schedule apply, shall be of the size, strength and specification set out in the Fifth Schedule.

20. Shore.—Every wooden shore used for complying with any of the provisions of these rules except those used in feeders for which separate provisions are made in these rules shall be of the size, strength and specification set out in the Third Schedule.

21. Feeding Holes.—Where the depth of the hatchway and beams or side girders exceed 0.381 metres (381 millimetres) below the surface of the deck, feeding spaced approximately 0.610 metres (610 millimetres) apart shall be provided as near to deck level as practicable to allow the grain to flow through such beams or girders into the compartments. Such feeding holes shall be of 51 millimetres in diameter where the dept of the hatchway and beams or side girders exceeds 0.381 metres (381 millimetres) but does not exceed 0.457 metres (457 millimetres) and of 88 millimetres in diametre where such depth exceeds 0.457 metres (457 millimetres).

22. Offences.—Contravention of or failure to comply with any of the provisions of these rules by any person shall be deemed as failure to take all necessary and reasonable precautions for preventing the grain cargoes from shifting and it shall constitute an offence under sub-section (1) and (2) of section 332 of the Act.

FIRST SCHEDULE

(See rules 2 (iii) and 5 (i))

1. Construction of Feeders and Bulkheads.—Feeders and Bulkheads.—shall be sufficient strength to withstand the pressure of the grain and shall be grain tight.

2. Construction of wood feeders and bulkheads.—(1) The construction of wood feeders shall conform to either of the specifications and methods set out in sub-paragraphs (2) and (3) of this paragraph.

(2) In feeders constructed of horizontal boards and supported by uprights the following provisions shall apply, namely:—

(a) Board:—The unsupported span of 63 millimetres boards shall not exceed the maximum permitted unsupported span specified in Tables 1 and 2 hereinafter set out for feeder sides and feeder end respectively. The unsupported span for other board which shall not be less than 63 millimetres thick shall not exceed that obtained by modifying the span specified in the aforesaid Tables in direct proportion to the thickness of the board.

TABLE I

Maximum permitted unsupported span of 63 millimetres horizontal boards on feeder sides in metres.

Height of feeder in metres	Breadth of feeder in metres									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	3.35	2.70	2.39	2.21	2.09	2.00	1.93	1.88	1.83	1.79
3.0	3.26	2.59	2.28	2.10	1.99	1.90	1.83	1.70	1.73	1.69
3.5	3.20	2.51	2.20	2.02	1.91	1.82	1.75	1.70	1.66	1.62
4.0	3.14	2.43	2.13	1.95	1.84	1.75	1.68	1.63	1.59	1.55
4.5	3.11	2.37	2.07	1.89	1.78	1.69	1.63	1.58	1.54	1.50
5.0	3.08	2.31	2.02	1.84	1.73	1.64	1.58	1.53	1.49	1.45
5.5	3.05	2.27	1.98	1.80	1.69	1.60	1.54	1.49	1.45	1.41
6.0	3.05	2.26	1.95	1.77	1.66	1.57	1.51	1.46	1.42	1.38
6.5	3.05	2.25	1.93	1.74	1.63	1.54	1.48	1.43	1.39	1.35
7.0	3.05	2.25	1.92	1.73	1.60	1.51	1.45	1.40	1.36	1.32
7.5	3.05	2.25	1.91	1.72	1.58	1.49	1.43	1.38	1.34	1.30

NOTE:—At intermediate feeder heights or breadths, the maximum unsupported span of 63 millimetres boards shall be obtained by interpolation.

TABLE 2

Maxium permitted unsupported span of 63 millimetres horizontal boards on feeder ends in metres

Height of feeder in metres	Length of feeder in metres									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	3.75	3.21	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18
3.0	3.62	3.02	2.89	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88
3.5	3.51	2.88	2.67	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65
4.0	3.40	2.81	2.51	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46
4.5	3.32	2.74	2.40	2.32	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31
5.0	3.26	2.68	2.34	2.20	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18
5.5	3.25	2.63	2.30	2.13	2.08	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07
6.0	3.25	2.63	2.27	2.08	2.00	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97
6.5	3.25	2.63	2.25	2.04	1.93	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89
7.0	3.25	2.63	2.23	2.01	1.87	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82
7.5	3.25	2.63	2.21	1.98	1.82	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76

NOTE:—At intermediate feeder heights or lengths the maximum unsupported span of 63 millimetre boards shall be obtained by interpolation.

(6) Feeder uprights:—The section modules in cms3 of uprights used to support the horizontal boards shall be not less than that given by the expression 79.20 psh in the case of wood uprights or the expression of 792 psh_1 in the case of steel uprights where—

P = Pressure load in tonnes per metre length of feeder side, or breadth of feeder end, on the portion of the feeder side or feeder end supported by the upright, obtained respectively from Tables 3 and 4 hereinafter set out.

s = Half the distance in meters between the nearest upright or support on each side;

h_1 = Unsupported height of upright in metres.

The scantlings of uprights at feeder corners shall be sufficient to withstand the combind stresses due to feeder side and end loading. Uprights constructed of metals other than steel shall be of equivalent strength to the upright referred to in the aforesaid Table 3.

TABLE 3

Pressure load in tonnes per metre length of feeder side

Height of feeder in metres	Breadth of feeder in metres									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0	1.10	1.55	1.90	2.17	2.40	2.59	2.76	2.92	3.07	3.21
2.5	1.49	2.11	2.61	3.05	3.48	3.75	4.01	4.24	4.41	4.55
3.0	1.90	2.80	3.48	4.04	4.51	4.92	5.27	5.57	5.83	6.05
3.5	2.33	3.52	4.44	5.12	5.66	6.15	6.60	7.02	7.43	7.73
4.0	2.77	4.24	5.38	6.25	6.95	7.57	8.12	8.62	9.08	9.52
4.5	3.22	5.00	6.38	7.42	8.32	9.09	9.74	10.34	10.94	11.54
5.0	3.68	5.78	7.43	8.69	9.76	10.68	11.42	12.22	12.92	13.67
5.5	4.15	6.60	8.49	10.03	11.24	12*33	13.26	14.09	14.90	15.69
6.0	4.63	7.44	9.61	11.37	12.81	14.07	15.16	16.10	17.00	17.89
6.5	5.13	8.32	10.78	12.76	14.43	15.86	17.12	18.22	19.22	20.18
7.0	5.65	9.24	12.00	14.21	16.08	17.69	19.12	20.40	21.57	22.66
7.5	6.20	10.10	13.24	15.68	17.74	19.53	21.17	22.67	24.03	25.25

NOTE:—At intermediate feeder heights or breadths the pressure load per meter length of feeder side shall be obtained by interpolation.

TABLE 4

Pressure load in tonnes per metre breadth of feeder end

Height of feeder in metres	Length of feeder in metres									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0	0.67	0.75	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77
2.5	0.97	1.14	1.20	12.0	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
3.0	1.27	1.65	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72
3.5	1.60	2.17	2.33	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36
4.0	1.96	2.71	3.03	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07
4.5	2.36	2.28	3.78	3.86	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
5.0	2.75	3.88	4.57	4.73	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77
5.5	3.11	4.48	5.39	5.69	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76
6.0	3.50	5.14	6.20	6.65	6.85	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88
6.5	3.86	5.75	7.05	7.69	7.97	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07
7.0	4.19	6.37	7.90	8.76	9.14	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35
7.5	4.52	6.99	8.74	9.82	10.34	10.69	10.69	10.69	10.69	10.69

NOTE :—At intermediate feeder heights or lengths the pressure load per metre length of feeder end shall be obtained by interpolation.

(c) Wire stays:—The breaking strength in tonnes of horizontal wire stays used to support feeder side, or end uprights shall be not less than that given by the expression $3P_1S$ where—

P_1 = Pressure load in tonnes per metre length of feeder side, or breadth of feeder end, on the portion of feeder side or feeder end supported by the wire stays, obtained respectively from Tables 3 and 4 herein before set out;

S = Half the distance in Metres between the nearest upright or support on each side

(d) Shores.—The moment of inertia in $(cms)^4$ of shores used to support feeder side or end uprights shall be not less than that given by the expression $27.00\frac{P_1Si2}{Cos\ \theta}$ in the case of wood shores or by the expression in $1.43\frac{P_1Si2}{COS\ \theta}$ in the case of steel shores where—

P_1 = Pressure load in tonnes per metre length of feeder side, or breadth of feeder end on the portion of feeder side or feeder end supported by the shore obtained respectively from Tables 3 and 4 hereinbefore set out;

S = Half the distance in Metres between the nearest upright or support on each side;

I_1 = Length of shore in metres; and

O = Inclination of the shore to the horizontal which shall be not greater than 45 degrees

(3) Where feeders are constructed of vertical boards, the following provision shall apply namely:—

(a) Boards:—The thickness of vertical boards in cms shall be not less than that given by the expression 1.527 Ph2 where—

P = Pressure load in tonne per metre length of feeder side or breadth of feeder end on the portion of feeder side or feeder end supported by the boards obtained respectively from Tables 3 and 4 hereinbefore set out; and

h_2 = Unsupported span of boards in Metres.

(b) Binders:—The section modulus in centimetres 3 of horizontal binders used to support the vertical boards shall not be less than that given by the expression $79.2P_1\ S_1$ in the case of wood binders or by the expression $79.2\ P_1S_12$ in the case of steel binders where—

P_1 = Pressure load in tonnes per metre length of feeder side or breadth of feeder end, on the portion of feeder side or feeder end supported by the binder, obtained respectively from Tables 3 and 4 hereinbefore set out. The vertical extent of the feeder supported by the binder shall be taken as half the distance between the nearest supports above and below the binder; and

S_1 = Unsupported length of binder in metres.

Binders constructed of metals other than steel shall be of equivalent strength to steel binders.

Where binders are formed by two planks or metal angle bars or other sections, one fitted on each side of the vertical boards, the effective section modulus shall be taken as 70 percent of the section modulus obtained by considering each plank or metal angle bar or other section to be fully effective about the netural axis of the combined section.

(c) Wire stays:—The breaking strength in tonnes of horizontal wire stays used to support binders shall not be less than that given by the expression $3P_1S_2$.
Where—

P_1 = Pressure load in tonnes per metre length of feeder side or breadth of feeder end on the portion of feeder side or feeder end supported by the binder, obtained respectively from Tables 3 and 4 hereinbefore set out. The vertical extent of the feeder supported by the binder shall be taken as half the distance between the nearest supports above and below the binders;

S2 = Half the distance in Metres between the nearest support on each side.

(d) Shores :- The moment of inertia in centimetres of shores used to support binders shall be not less than that given by the expression $\frac{27.00\ P_1S_2I^2}{COS\ 0}$ in the case of wood shores or by the expression $\frac{1.43\ P_1S_2I_12}{COS\ 0}$ in the case of steel shore where—

P_1 and S_2 have the same meaning as given in sub-paragraph (c) of this paragraph;

θ = the inclination of the shore to the horizontal which shall be not greater than 45 degrees; and

I_1 = length of shore in metres.

SECOND SCHEDULE

(See rules 2 (vii) and 18)

Requirements for Shifting Boards

1. Shifting boards shall have a thickness of not less than 51 millimetres and shall be fitted grain tight and supported by uprights where necessary.

2. The maximum unsupported span of shifting boards of various thickness shall be as follows:—

Thickness	Maximum unsupported span
(i) 51 millimetres	244 centimetres.
(ii) 63 millimetres	335 centimetres
(iii) 76 millimetres	396 centimetres.

3. The ends of all shifting boards shall be securely housed with a 76 millimetres minimum bearing length.

4. Where shifting boards of 63 millimetres or 76 millimetres are used, the boards may be butt-joined in way of the uprights and at least 10 centimetres of board shall be supported. Where shifting boards of 51 millimetres are used, the joints shall overlap by at least 23 centimetres at the uprights.

5. Where no permanent grain tight divixions exist, wood filling pieces of the same thickness as the shifting boards shall be securely fitted grain tight between the beams.

THIRD SCHEDULE

(See rules 2 (viii) and 20)

Requirements for Shores

1. Any wood shore except a shore used in feeders to which requirements of clause (d) of paragraph 2 of the First Schedule apply, shall be in single piece and shall be securely fixed at each end and heated against the permanent structure of the ship except that it shall bear directly against the side plating of the ship.

2. Subject to provisions of paragraphs 3 and 4 of this Schedule, the minimum size of every such wood shore shall be as follows

Length of shores in metres.	Rectangular section in centimetres.	Diameter of circular section in centimetres.
1	2	3
(1) Not exceeding 3.05 metres	15.24X10.16	13.90
(2) Over 3.05 metres but not exceeding 4.88 metres	15.24X15.24	16.50
(3) Over 4.88 metres but not exceeding 7.32 metres	15.24X15.24	17.78
(4) Over 6.10 metres but not exceeding 7.32 metres	20.32X15.24	19.05
(5) Over 7.32 metres but not exceeding 8.54 metres	20.32X15.24	20.32
(6) Over 8.54 metres	20.32X15.24	21.59

Shores of 7.32 metres or more in length shall be securely bridged at approximately mid-length.

3. Where the vertical unsupported span of the upright is less than 243.84 centimetres or the horizontal distance between the uprights is less than 396.24 centimetres, the size of the shore may be reduced in proportion.

4. Where the angle of the shore to the horizontal exceeds 10 degrees the next larger shore to that required under the provisions of paragraphs 2 of this Schedule shall be fitted, provided that in no case shall the angle between any shore and the horizontal exceed 45 degrees.

FOURTH SCHEDULE

(See rule 2(ix)

Requirements for Stays

1. Where stays are used in any grain fittings except in feeders for which separate provisions are made in sub-rule (1) of rule 1, the following provisions shall apply:—

(a) the stays shall be fitted horizontally and shall be of 7.62 centimetres circumference galvanised flexible steel wire rope of 6 x 12 construction having a breaking strength of not less than 19.97 tonnes;

(b) the rigging screws shall be of 3.17 centimetres diameter and shall be fitted in accessible positions;

(c) the shackles shall be of 2.54 centimetres;

(d) the eye bolts through the uprights shall be of 3.17 centimetres; and

(e) either eye plates of 2.54 centimetres thickness shall be securely attached to the side stringers or frames or 2.54 centimetres shackles passed through the frame,

2. Where shifting boards do not extent to the full depth of the hold, the shifting boards and their uprights shall be supported or stayed so as to be as efficient as shifting board which do not extend to the full depth of the hold.

FIFTH SCHEDULE

(See rules 2(x) and 19)

Requirements for Uprights

1. The horizontal distances between the centres of the uprights except those used in feeders to which requirements of clause (b) of paragraph 2 of the First Schedule apply, shall be appropriate for the spans of boards set out in the Second Schedule. Such distances shall, in no case, be greater than 396 centimetres. Unless means are provided to prevent the ends uprights being dislodged from their sockets, the depth of housing at each end of each upright shall not be less than 76 millimetres. If an upright is not secured at the top, the upper most shore or stay shall be not more than 549 centimetres down from the deck or top of the upright.

2. The vertical unsupported span of an upright supported on each side by wood shores complying with the requirements of the Third Schedule or by wire stays complying with the requirements of the fourth Schedule shall be either the distance between the shores or stays or the distance from the ends of the upright to the nearest shore or stay whichever is greater.

3. Wood uprights shall consist of two planks, one on each side of the Shifting board. They shall be through bolted in a reeled pattern at alternative boards and shall conform with the scantlings given in the following Table 1, namely:

TABLE I

Scantling of double wood plank uprights in centimetres

Vertical unsupported span in metres	Horizontal distance between centres of uprights in metres				
	2	2.5	3	3.5	4
Holds					
upto 2.	25X5	25X5	25X5	25X5	25X5
2.5	25X5	25X5	23X7.5	23X7.5	23X7.5
3.	23X7.5	23X7.5	23X7.5	23X7.5	23X7.5
3.5	23X7.5	23X7.5	28X7.5	28X7.5	23X10
4.	28X7.5	28X7.5	23X10	23X10	30X10
4.5	23X10	23X10	23X10	30X10	30X10
5.	23X10	23X10	30X10	30X10	30X10
5.5	23X10	23X10	30X10	30X10	—
6.	30X10	30X10	30X10	—	—
6.5	30X10	30X10	—	—	—
Tween decks & superstructures,					
upto 2	25X25	25X5	25X5	25X5	25X5
2.5	25X5	25X5	23X7.5	23X7.5	23X7.5
3.	23X7.5	23X7.5	28X7.5	28X7.5	28X7.5
3.5	28X7.5	28X7.5	28X7.5	23X10	23X10
4.	28X7.5	23X10	23X10	30X10	30X10
4.5	23X10	23X10	30X10	30X10	30X10
5.	23X10	30X10	30X10	30X10	..
5.5	30X10	30X10	..	..	..
Thickness of horizontal boards in centimetres	5	5	6	7.5	7.5

NOTE:—At intermideate vertical span or horizontal distances the scantlings applicable to the next higher spn on spacing shall apply.

4. Steel uprights shall conform with the section modulus given in the following table II namely;

TABLE II

Section Modulus of Steel Uprights in cubic centimetres

Vertical unsupported span in metres	horizontal distance between centre of upright in metres				
	2	2.5	3	3.5	4
Holds					
upto 2	27.86	34.82	41.79	48.75	55.72
2.5	37.36	46.70	56.04	65.38	74.72
3	51.94	64.92	77.91	90.89	103.87
3.5	66.51	83.13	99.76	116.39	133.02
4	81.09	101.36	121.63	141.90	162.17
4.5	95.66	119.57	143.49	167.40	191.32
5	110.24	137.80	165.36	192.92	220.48
5.5	124.82	156.03	187.23	218.43	249.63
6	139.39	174.24	209.09	243.93	278.78
6.5	153.97	192.46	230.96	269.45	307.94
7	168.54	210.67	252.81	294.95	337.09
7.5	183.12	228.90	274.69	320.47	366.25
8	197.70	247.12	296.55	345.97	395.40
8.5	212.27	265.34	318.41	371.48	424.55
9	226.85	283.56	340.28	396.99	453.71
9.5	241.42	301.78	362.14	422.50	482.86
10	256.00	320.00	384.01	448.01	512.02
10 5	270.58	338.22	405.87	473.52	541.17
11	285.16	356.45	427.74	499.03	570.32
11.5	299.73	374.67	449.61	524.54	599.48
12	314.31	392.89	471.47	550.05	628.63
12.5	328.89	411.12	493.34	575.56	657.78
tween Decks & superstructures					
upto 2	32.45	40.56	48.67	56.79	64.90
2.5	43.92	54.90	65.88	76.86	87.84
3	54.57	68.21	81.85	95.50	109.14
3.5	71.94	89.92	107.91	125.89	143.88
4	90.17	112.71	135.26	157.80	180.34
4.5	108.40	135.50	162.60	189.70	216.80
5	126.63	158.29	189.95	221.61	253.26
5.5	144.86	181.07	217.28	253.50	289.72
Thickness of horizontal boards in centimetres	5	5	6	7	7

NOTE : At intermediate vertical spans or horizontal distances the section modulus of steel uprights shall be obtained by interpolation.

5. Where uprights are formed by two angle bars or other sections, one fitted on each side of the shifting boards and through bolted at alternate boards, the effective section modulus shall be taken at 70 per cent of the section modulus obtained by considering each angle bar or section to be fully effective about the neutral axis of the combined section.

6. Uprights constructed of metals other than steel shall be of equivalent strength to the uprights referred to in Table II hereinbefore set out.

SIXTH SCHEDULE

[See rule 5(4)]

Methods of correction of metacentric height of feeders for free grain surface effects

The correction of metacentric height in cms. of each feeder for the effects of free grain surfaces shall be made in accordance with the following furmula, namely;

$$\frac{15xLB3}{CxD}$$

Where—

L — Length of feeders in metres;
B — Breadth of feeders in metres;
C — Displacement of ship in tonnes; and
D — Stowage rate of the grain cargo in question in cubic metres per tonne.

SEVENTH SCHEDULE

(See rule 15)

Fair Weather and Foul Weather Seasons

For the purposes of these rules—

(1) The expression "fair weather season" or "fair weather" wherever it occurs shall mean—

(a) in the Arabian Sea, the season from the 1st of September to 31st of May; and

(b) in the Bay of Bengal, the season from the 1st of December to the 30th of April.

(2) The expression "foul weather season" or "foul weather" wherever it occurs shall means—

(a) in the Arabian Sea, the season from the 1st of June to the 31st of August;

(b) in the Bay of Bengal, the season from the 1st of May to the 30th of November.

[No. 30-MD(1)/68-MI..]

B. K. SAHI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1973